जैन धर्म की कुछ मान्यतायें एवं सामाजिक आर्थिक

विकास

जैन धर्मवलम्बियों पर आधारित शोध-प्रबन्ध

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
के कला संकाय के अन्तर्गत समाज-शास्त्र विषय में
पी-एच.डी उपाधि के निमित्त प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध

शोध निर्देशक
डॉ. अरुण शुक्ल
प्रवक्ता, समाजशास्त्र
आर्य कन्या महाविद्यालय, झांसी [उ. प्र.]

शोधार्थी
सुभाषचन्द्र जैन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी [उ. प्र.]
1993

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुभाष चन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध " जैन धर्म के कुछ मान्यतायें एवं सामाजिक आर्थिक विकास - जैन धर्मावलम्बियों पर आधारित शोध प्रबन्ध ", मेरे निर्देशन में किया गया है तथा वह बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के शोध अध्यादेश के सभी उपबन्धों की पूर्ति करती हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान शोध-प्रबन्ध उन्हीं के अनुसंधान, परिश्रम और अध्ययन का परिणाम है तथा इस योग्य है कि परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाये । इस शोध - प्रबन्ध का कोई भी अंश अथवा समग्र किसी अन्य विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु विचारार्थ नहीं है तथा यह पूर्णतया मौलिक कृति है ।

शोध पर्यवेक्षक

डा० अलका शुक्ला
प्रवक्ता, समाज शास्त्र
आर्य कन्या महाविद्यालय, झाँसी
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

निवास : 365, सिविल लाइन्स
झाँसी ।

दिनांक: 24.4.1993

प्राक्कथन

प्राक्कथन

वस्तुतः समाज वैज्ञानिक क्षेत्रों के अन्तर्गत धर्म का समाजशास्त्र सदैव से ही प्रमुख विचार विमर्श का केन्द्र रहा है । साधारणतया प्रत्येक समाज की संरचना के पृष्ठभूमि में धर्म का तत्व आत्मसात होने के कारण सम्पूर्ण आगामी व्यवस्थाओं को निर्देशित करने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने का प्रयास करता है । इस कारण धर्म का स्वरूप इतना व्यापक प्रतीत होता है कि जिसकी किंचित उपेक्षा सहज सम्भव नहीं होती है । सामाजिक विकास के क्रांति में इसके फलस्वरूप में विश्वव्यापी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं । इसलिए समाज वैज्ञानिकों का दायित्व और भी अधिक जटिल हो जाता है । जिससे कि संका मूलक इकाईयों का क्रमिक विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है । उपलब्ध साहित्य का अवलोकन करने से इस आशय की पुष्टि होती है कि कालान्तर में जो भी शोध कार्य धर्म के समाज शास्त्र के परिधि के अन्तर्गत सम्पादित किये गये हैं उनमें क्षेत्रीय अथवा कारकों की विविधता होने के कारण सार्वभौमिक संदर्भ में स्वीकृत करने में अनेक प्रकार की जटिलतायें हो सकती हैं । अतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मौलिक उत्पत्ति इस आशय तथा जिज्ञासा के कारण सम्भव हो सके कि भारत वर्ष जैसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म विशेष के प्रसंग में तथा विशेष रूप से जैन धर्म के प्रकरण में प्रचलित मान्यताओं एवं समाज आर्थिक विकास के मानवीय इकाईयों का संचालन किस प्रकार हो रहा है । इस दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में अनेक प्रकार की परम्परागत विविधताओं को एकीकृत करने के माध्यम से यह भी दिशा प्राप्त होती है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का सामाजिकसमीकरण निश्चित रूप से स्थापित किया जा सकता है । इसकी पुष्टि सम्भवता व्यक्त करने से नहीं अपितु संचित सामग्री के अवलोकन तथा तार्किक स्पष्टीकरण के आधार पर की जा सकती है और इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र का शिक्षाविद सहृदय एवं सादर भाव से आमंत्रित है ।

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रारम्भिक चरण से लेकर अंतिमचरण तक डा० अरुण शुक्ल समाज मानव शास्त्री , प्रवक्ता समाज शास्त्र आर्य कन्या महाविद्यालय , झाँसी का सक्रिय योगदान रहा, जिनके सफल निर्देशन में मैंने इस कार्य को पूर्ण किया । इसनिर्विकार शैक्षिक योगदान के लिए मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रसंग में मैं डा० गार्गी , भूतपूर्व कुलपति बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , झाँसी का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ जो कि एक प्रतिष्ठित समाजशास्त्री हैं और सम सामयिकता से उनका आशीर्वाद इस कार्य को पूर्ण करने में मुझे प्राप्त हुआ है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विभिन्न विभागों में मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय , बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी , जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर , लखनऊ विश्वविद्यालय, इत्यादि स्थानों के पुस्तकालयों से अविस्मरणीय सहयोग प्राप्त हुआ है । मैं सम्बन्धित अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ ।

मैं उन समस्त समाजशास्त्रियों , मानव शास्त्रियों एवं विद्वानों के प्रति भी हार्दिक आभारी हूँ जिनकी कृतियों को सन्दर्भग्रन्थ के रूप में इस शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त किया गया है ।

मैं जनपद भिण्ड के उन सभी जैन धर्मावलम्बियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने सर्वेक्षण , निरीक्षण एवं साक्षात्कार के दौरान सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें प्रदानकर अध्ययन को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया ।

मैं डा० सुभाष कुमार जैन प्राचार्य एवं अध्यक्ष अर्थ शास्त्र विभाग के चरणों का ऋणि हूँ जिनके मार्ग दर्शन एवं प्रेरणा से ही आज इस पथ पर अग्रसर हो सका हूँ ।

इसके साथ ही मैं जैन महाविद्यालय भिण्ड के व अन्यत्र समस्त मनीषियों , विद्वानों , गुरुजनों एवं सहयोगियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध के विषय में समय समय पर निर्देश दिये । इनमें सर्व - प्रथम प्रो० आर. डी. शर्मा , अध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग , प्रो० पी. आर. सिंह , प्रो० आर. पी. जैन , प्रो० विजय कुमार जैन , प्रो० पी. सी. शास्त्री , प्रो० ओ० एन० शर्मा , प्रो० एम० पी० जैन , प्रो० वी० के० जैन , डा० श्याम बिहारी शर्मा श्रीमती मेहता , डा० कोठारी , डा० त्रिपाठी , डा० आर. पी. जादौन

डा0 श्याम सनेही शर्मा, प्रो0 एस. सी. शुक्ला, डा0 मिश्रा, श्रीमती नलिनी जैन अध्यक्ष इतिहास विभाग, डा0 माधवी गौड़, डा0 आदर्श मिश्र दीक्षित, श्रीमती वीना शर्मा, श्रीमती गायत्री शर्मा, श्रीमती मिथलेश [illegible], श्री राजीव दुबे, कु0 सरिता जैन, श्री बी. के. जैन व्याख्याता (कुम.) श्री प्रकाश जैन श्री आर. पी. तिवारी श्री कन्नु भाई जी, एवं श्रीमती आशा जी, श्री नवीन एवं श्रीमती राजकुमारी जैन, प्रदीप जैन, ज्योतिषाचार्य एवं श्री सी. एल. जैन के प्रति विशेष आभारी हूँ जिनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने कुछ भी पाया है वह हमारे लिए अभिनन्दनीय है।

मैं डा0 बी. एन. द्विवेदी प्राचार्य कुसुम बाई कन्या महाविद्यालय का हृदय से आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा सदैव मेरे साथ रही।

एक समर्पित व्यक्तित्व डा0 विनोद सक्सेना के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिनका मार्ग दर्शन मेरे लिए अनुकरणीय रहा।

मैं देश व्यापि प्रसिद्ध कवि, अध्यात्मिक विचारक एवं चिंतक पुज्यनीय तन्मय बुखारिया जी के प्रति नत मस्तक हूँ, जिनके आशीष से आज इस शोध प्रबन्ध को पूरा कर सका।

मैं स्व0 पुज्यनीय नाना जी श्री गिरधारी लाल जी जैन (सिवनी वाले) के चरणों में नतमस्तक हूँ, जिनके प्यार प्रेम और वात्सल्य की स्नेह धारा ही मेरे जीवन पथ का आधार बनी।
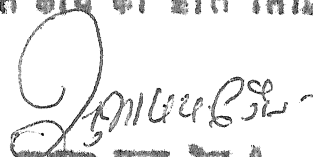
पुज्यनीय पिता जी एवं माँ के चरणों में नतमस्तक हूँ जिनके आशीर्वाद और अनुक्रम प्रेरणा से इस शोध प्रबन्ध को पूरा कर सका।

मैं अपने ससुर एवं सास के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनकी उदार-धार्मिक वृत्ति से, इस शोध प्रबन्ध के धरातल को ठोस आधार मिला।

शोध कार्य को पूरा करने में समय-समय पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष्य में मुझे परिवार जनों का सहयोग मिला, उन सभी के प्रति अपनी विनम्र एवं मौन कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती ममता जैन के प्रति आभार ज्ञापित करना चाहूँगा जिनके अनवरत सहयोग एवं उत्साहवर्धन से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्ण हो सका ।

अन्त में मैं उन समस्त लेखकों, शिक्षाविदों एवं सहयोगियों का आभारी हूँ जिनके निरन्तर प्रयास द्वारा प्रस्तुत कार्य की इति सिद्धि सम्भव हो सकी ।

(सुभाष चन्द्र जैन)

विषय - सूची

विषय - सूची

——— xxxxxxx ———

तालिका - सूची

तालिका - सूची

———— XXXXX ————

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

(अ) शोध समस्या का सामान्य विवरण

(ब) साहित्य का पुनरावलोकन

(स) वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य

(द) वर्तमान शोध अध्ययन के सम्भावित उपयोग

अध्याय - 1

प्रस्तावना

(अ) शोध समस्या का सामान्य विवरण

(ब) साहित्य का पुनरावलोकन

(स) वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य

(द) वर्तमान शोध अध्ययन के सम्भावित उपयोग

(3) शोध समस्या का सामान्य विवरण

सामान्यतः समाज वैज्ञानिक शोधकार्यों में एक प्रतिस्पर्धा इस आशय के प्रति दृष्टिगोचर होती है कि सामाजिक घटनाक्रम के प्रसंग में किसी भी एक इकाई को चयनित करके अध्ययन प्रोत्साहित किये जाते हैं। इस प्रकार की सामयिक आधारशिला समाज-शास्त्रीय सन्दर्भ में भी अनुभव की जाती रही है। इसका स्पष्ट विवरण जब सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन करते हैं तो आवश्यक रूप से प्राप्त होता है । बीसवीं शताब्दी की समाज-शास्त्रीय शोध प्रगति पर प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की क्रिया-प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसमें भारतीय शिक्षण-संस्थाओं के समाजशास्त्रियों को यद्यपि वर्णित धारणा के अतिरिक्त नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः भारतीय जगत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये जो संघर्ष विद्यमान था वह भी इस आशय की पुष्टि करने में सक्रिय योगदान रखता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन एवं प्रोत्साहन राष्ट्रीय विकास धारा के सन्दर्भ में परिलक्षित किया गया, तब यह सम्भव हो सका कि विभिन्न समाजों के सन्दर्भ में समुचित तथ्यों का संकलन इस प्रकार किया जावे तथा जिससे उन्हें सामयिक रूप से प्रयुक्त किया जा सके। इस सन्दर्भ में उल्लेख करना आवश्यक है कि क्षेत्रीय सन्दर्भ में जो व्यापक स्तर पर शोधकार्य किया जाना चाहिये थे वह अपरिहार्य कारणों के कारण समग्रता में नहीं किये जा सके। इससे यह भी दिशा प्राप्त होती है कि समाजशास्त्रीय शोध गतिविधियों को किन्हीं भी संकीर्णताओं का परित्याग करके समाज के समस्त वर्गों के अध्ययनों के लिये उपयोगी माध्यम निर्धारित करना चाहिये। वर्तमान प्रस्तावित शोधकार्य के सन्दर्भ में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश प्रांत के जनपद भिण्ड के सन्दर्भ में कोई भी समाजशास्त्रीय शोधकार्य प्रस्तुत आशय का नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सकता है कि वर्तमान शोध विषय पूर्णरूप से मौलिक एवं समाजशास्त्रीय जगत के लिये एक उपयोगी कड़ी होगा- ऐसी प्रत्याशा है।

(ख) साहित्य का पुनरावलोकन

मानव सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसंग में धर्म एक आवश्यक व्यतिक्रम है जिसकी उपयोगिता चिरकाल से निर्विवाद है। सामाजिक विकास की विभिन्न दशाओं में इसकी संरचनाओं एवं मान्यताओं में आमूलचूल परिवर्तन होता रहा और सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में इसके पर्यायों की धारायें प्रस्फुटित होकर व्यक्ति एवं समाज को स्वावलम्बी बनने का निर्देशन देती रहीं। सामाजिक अदम्य उत्साह के कारण धार्मिकता के प्रसंग में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक इकाईयों की स्थापना विश्व के विभिन्न समाजों में की गई और सम्भवतः इसी क्रम में विभिन्न धार्मिक केन्द्र निर्मित हुये होंगे। समाजशास्त्र के प्रसंग में धर्म की व्यापकता का महत्व समझते हुये विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों का सम्पादन किया गया और इस क्रम में निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है।

प्रस्तुत प्रसंग में जैन धर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक टीका आवश्यक है कि वास्तव में जैन धर्म क्या है इस प्रश्न का सम्यक उत्तर आवश्यक है। प्राचीन समय में दर्शन की विशिष्टता न होने के कारण जैन धर्म को बौद्ध धर्म की एक कड़ी मान लिया गया था, परन्तु नवीन अन्वेषकों के माध्यम से इस भ्रम का निवारण किया जा चुका है कि जैन धर्म यथार्थ में बौद्ध धर्म से प्राचीन है एवं इसके व्यवहारिक मानक पूर्णतः भिन्न हैं। वर्तमान समय में अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जा रहा है और यह प्रचलन है कि उनसे लगभग 250 वर्ष पूर्व में अवतरित भगवान पार्श्वनाथ को स्पष्ट भाव में संस्थापक मानते हुये एक ऐतिहासिक महापुरुष की संज्ञा से विभूषित किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय डा० राधाकृष्णन एवं जर्मन विचारक डा० याकोबी जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में इस मत के हैं कि वस्तुतः इस धर्म का प्रचलन अत्यधिक प्राचीन है तथा उन्होंने इस आशय का खण्डन किया है कि जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक पार्श्वनाथ रहे। वर्तमान स्पष्टीकरण का तात्कालिक अभिप्राय यह है कि एकमात्र रूप से जैन धर्म की भारत वर्ष में सामाजिक स्थापना का एक ऐसा विचार बिन्दु है कि जिसके गहन

अध्ययन की महती आवश्यकता है । इस संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि जैन परम्पराओं में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को इस धर्म का संस्थापक स्वीकृत किया गया है तथा इस प्रकार का घटनाक्रम ऐतिहासिक तथ्यों की पृष्ठभूमि में घटित भी हुआ है ऐसा विचारक मानते हैं । यह सर्वविदित है कि पुराणों की शैली में काल का स्वरूप अनन्त एवं अनादि माना गया है परन्तु धार्मिक प्रचलन में कालों का वर्गीकरण जैन धर्म में इस प्रकार किया गया है :—

(अ) अतिसुखमा (ब) सुखमा (स) सुखः दुख मा

(द) दुःख सुख मा (य) दुख मा एवं (र) अति दुःख मा ।

वर्तमान प्रसंग में वर्णित प्रारम्भिक व्याख्या के क्रम में उपलब्ध सम्बन्धित समाजशास्त्रीय शोध कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा अपरिहार्य है इसलिये प्रस्तुत घटनाक्रमों का व्यवहारिक पक्ष यथास्थान स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा ।

धर्म के समाजशास्त्र के प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार के शोध कार्य साहित्य में उपलब्ध हैं । इनका क्रमानुसार समायोजन वर्तमान क्रम में एक समाजशास्त्रीय प्रयास है ।

विश्व के अन्य समाजों की तुलना में कनाडा का समाज विभिन्न गुणों की पृष्ठभूमि में एक अप्रत्याशित विभिन्नता है । इस देश में मात्र 5% भूभाग व्यवसायिक कृषि कार्यों के लिये उपयुक्त है लेकिन लगभग 1/5 भाग विदेशी मुद्रा का इससे अर्जित होता है और इस समाज में धार्मिक गतिविधियों में निरन्तर परिवर्तन हो रहा ऐसा मत अलेक्जेण्डर, जे० एम० (1982) ने अपने शोध अध्ययन के माध्यम से व्यक्त किया है । वर्तमान शोध अध्ययन में किये गये प्रारम्भिक साहित्य के पुनरावलोकन के माध्यम से अनेक प्रकार की उपयोगी सूचनाओं का समावेश सीमित परिधि में किया जाना उन आवश्यक योगदानों की उपेक्षा होगी जो सम सामयिक रूप से पूर्व समाज वैज्ञानिकों द्वारा संचालित किए गये तथा जिनके वैज्ञानिक महत्व को कदापि अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में समाजशास्त्रीय

मूल्य परिधि के सारानुगत गुणों का उल्लेख इस भावना से किया जा रहा है
जिससे की विषयगत मान्यता का अनुपालन किया जा सके । साधारण अवलोकन
की परिधि में धर्म क्या है, मान्यतायें क्या हैं, तथा इनके प्रचलन किस प्रकार
के हैं । आदि आदि जटिल प्रश्न विचारोत्तेजक हो सकते हैं धार्मिक इन्द्रीयता
की प्रवृत्ति के अन्तर्गत मान्यताओं का समावेशित किया जाना पूर्ण प्राकृतिक
प्रक्रिया है। क्यों कि आचार संहिता की दृष्टि से पारस्परिक तत्वों की
सुसंगता एक निर्विवाद तथ्य है । धर्म की उत्पत्ति के प्रसंग में अनेक समाज
वैज्ञानिकों ने विवेचनायें प्रस्तुत की हैं और समाजशास्त्रीय विषय वस्तु में
मैक्सवेबर दुर्खीम सोरोकिन तथा मैकाइवर आदि का उल्लेख विशेषरूप से किया
जा सकता है । भारतीय समाज व्यवस्था का ऐतिहासिक उद्गम यदि संरचनात्मक
दृष्टि से किया जाय तो इसके अनेक प्रतिमान विकसित हो सकते हैं मूलभूतरूप से
धर्म एवं मूल्यों की समन्वयता का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्यों
का संचालन किया जाय जिससे कि समाज के दूसरे सदस्यों को मर्मान्तक पीड़ा
न हो। ऐतिहासिक दर्शन की व्याख्याओं के अन्तर्गत यह भी स्पष्ट किया गया
कि प्रचलित धर्म की प्रवृत्ति एवं आचार धर्म की संहिता में काल क्रिया की दृष्टि
से अत्याधिक परिवर्तन आता है। और इसी विचार का प्रारम्भिक रूप से
सूचित होना वर्तमान शोध कार्य के समस्त लक्ष्यों का प्रमुख मेरु दण्ड है ।साधारणतः
विवेचना के दो प्रकरण हो सकते हैं :— प्रथम, समस्या का मूल स्वरूप किस
प्रकार का है द्वितीय, समस्या का सार्वभौमिक स्वरूप किस प्रकार का है
इन प्रश्नों का उत्तर वर्तमान प्रसंग में बहुपक्षीय मानकों के सापेक्ष प्राप्त करने
का प्रयास किया जायेगा । तत्कालीन समाज व्यवस्था में औपनिवेशिक परिवर्तन
के कारण भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में धर्म का स्वरूप एवं इसका प्रचलन आवश्यक
रूप से प्रभावित होने के कारण इसका अध्यायित किया जाना चुनौतीपूर्ण कार्य
है— लेकिन समाज वैज्ञानिकों द्वारा इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है

सामान्य व्याख्या के अन्तर्गत धर्म का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक एवं पराप्राकृतिक शक्तियों में विश्वास को धर्म की संज्ञा दी जा सकती है इस धारणा में त्रिपक्षीय मीमांसा है सामाजिक स्वरूप व्यवस्था में व्यक्ति का हित एक पक्ष है, तो इसका सामाजिक प्रचलन किन मानकों द्वारा होगा, इसे द्वितीय पक्ष के रूप में माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अंतिम स्तर में मानवीय चिंतन की पराकाष्ठा है जो काल संचालित के साथ-साथ परिस्थिति जन्य है। व्यक्ति के सापेक्ष धर्म, धर्म के सापेक्ष धर्म, तथा समानुपातिक प्रत्यय में पूर्णतः के सापेक्ष समीपवर्ती विचार बिन्दु हो सकते हैं, लेकिन इनकी कार्य शैली में प्रत्येक काल में अन्तर स्थापित होने के कारण मान्यताओं का मौण स्वरूप अत्याधिक प्रभावित होता है। हिन्दु दर्शन के मनीषियों द्वारा धर्म युक्त दर्शन के विवरण कालान्तर में निर्देशित किये गये और परोक्षरूप में आचार्य मनु का उल्लेख इस अभिप्राय से किया जा सकता है कि सुनियोजित धर्म व्यवस्था का सुचारू संचालन सामाजिक संरक्षण के माध्यम से सम्भावित किया गया था इस पक्ष में भी मूल्यों का निर्माण पूर्ण प्राकृतिक दक्षता के आधार पर अपेक्षित किया गया था तत्कालीन समाज व्यवस्था में व्यक्ति द्वारा व्यवस्थित सामाजिक व्यवहार के माध्यम से नीति निर्धारक तत्वों का अनुपालन किया जाता था इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि सत्तरहवीं शताब्दी के समय तक की, वर्तमान स्वरूप वाले सामाजिक समस्याओं का अध्ययन दर्शन शास्त्रियों तथा अन्य शिक्षाविदों द्वारा किया गया क्यों कि कोई भी समाज वैज्ञानिकी स्पष्ट संरचना न होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं था। भारतीय व्यक्तियों के व्यवहारों एवं धार्मिक ग्रन्थों का व्यवस्थित अध्ययन सत्तरहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोपीय यात्रीयों द्वारा, प्राकृतिक इतिहासकारों द्वारा प्रारम्भ किया गया। इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि अठारहवी एवं उन्नीसवीं शताब्दी में सम्बन्धित अध्ययनों का प्रचुर संकलन किया गया यूरोपीय शिक्षाविद धार्मिक संस्कार की प्रचुरता, नरबलिप्रथा, मूर्तिपूजा, बहुदेवी देवतावाद

तथा सांस्कृतिक विविधता के पहलुओं में अधिक रुचि रखने लगे आरम्भिक अवधि में इन शिक्षाविदों द्वारा अपने अध्ययन कार्यक्रम को तीन पक्षों में केन्द्रित किया गया - प्रथम, धार्मिक विश्वासों का सम्पूर्ण स्वरूप, द्वितीय, इनका प्रसार तथा हिन्दुत्व का आरम्भिक सांस्कृतिक निर्माण, तथा, तृतीया, सम्बन्धित अवधारणाओं की समाज वैज्ञानिक मिश्रित मीमांसा ।

वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि संस्कृति की सापेक्ष भारतीय हिन्दू धर्म एक ऐसा अपरिहार्य दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से परम्परागत सांस्कृतिक अवधारणा को समाज से अलग कर पुनः सांस्कृतिक [illegible] में मूल्यांकित किया जा सकता है यह व्यक्ति की जीवन यापन की विधि है इसके माध्यम से व्यक्ति को उपयोगी कर्तव्यों का आभास होता है रिलीजन और हिन्दू धर्म एक नहीं है क्योंकि रिलीजन का प्रमुख अर्थ उपासना पद्धति एवं विश्वासगत है व्याख्या कार संस्कृत में रिलीजन तथा सम्प्रदाय को एक केन्द्र में रखते हैं । एक पक्ष में पद्धति है तो दूसरे पक्ष में कर्मकान्ड तथा ग्रन्थ । इसके सापेक्ष हिन्दू धर्म की अवधारणाओं को प्रासंगिकता के आधार पर अत्याधिक विस्तृत माना जाता है सामाजिक व्यवस्था में धर्म का सीमित प्रयोग संभव नहीं है क्योंकि भाषा तथा विचार की दृष्टि से यह अनेक अर्थों का बोध कराता है जो संरचना की दृष्टि से न्यून अथवा बृहत हो सकते हैं लेकिन भिन्नता की दृष्टि से सदैव संज्ञा मूलक रहेंगे । तत्कालीन समाज व्यवस्था में निर्धारित किये गये नियम, परम्परा, व्यवहार, नैतिक सदाचार, पुण्य पवित्रता तथा यज्ञ आदि के निर्माण धर्म के अन्तर्गत ही संभव हुये होंगे और इस प्रकार प्रारम्भिक योजना कारों ने यह कदापि अनुभव नहीं किया होगा कि कालान्तर में इन व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण इसके महत्व में परिवर्तन आयेगा । धर्म का प्रचलन एक सामाजिक सहिष्णुता है इसलिये विगत अवधि तक होने वाली मूल्यों की समानुपातिक रूपान्तरणों को एक मात्र रूप से समसामयिक ही कहा जायेगा । भारतीय समाज व्यवस्था के प्रसंग में उल्लेखनीय है कि वर्ष 1872 के बाद की

अवधि में किए गये राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यह प्रयास किया गया कि धार्मिकप्रवृत्ति एवं व्यवहारों के आधारों में से समूहों का वितरण अंकित किया जाय और इस प्रकार भारतीय भूगोलिक परिधि में विद्यमान धर्म और वर्गीकरणों का विश्लेषण संभव हुआ इस प्रसंग में कुछ कुलन (1925), हयुबायस (1928), भारनाथ (1954), दास (1927), चट्टोपाध्याय (1935), रजिलो (1915), हट्टन (1961) तथा राय (1928) का उल्लेख किया जा सकता है । वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि रिजले द्वारा हिन्दू धर्म के प्रमुख व्यवस्थाओं का निरूपण निरूपण इस अभिप्राय से किया गया है जिससे की भारतीय संस्कृति में विद्यमान मान्यताओं का विवेचन होसके बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में धर्म व्यवस्था का विश्लेषण करने के उद्देश्य से स म्समोर (1915), व्हाइटहेड (1921) का उल्लेख अनिवार्य प्रतीत होता है क्योंकि इनके अध्ययनों में समाजशास्त्री दृष्टि विद्यमान थी ।

भारतीय स्मृतिकारों ने चार प्रकार के वेदों की व्याख्या की है- ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद और इनमें ऋग्वेद अत्याधिक प्राचीन है पाश्चात्य शिक्षाविदों ने ऋग्वेद के महत्व को सर्वाधिक रूप से स्वीकृत किया है, डा० राधाकृष्णन (1967) के मतानुसार ईश्वरी उपासना के अतिरिक्त प्रत्येक वेद में अग्नि वायु सूर्य आदि देवों की विवेचना की गई है और प्रारम्भिक पूजा अर्चना के समय इन शक्तियों का आमन्त्रण आवश्यक माना है । इसके अतिरिक्त यह विचार भी व्यक्त किया कि वेद में विद्यमान ज्ञान आदि युगीन ऋषियों द्वारा प्रदत्त है और यह युग निर्माता का कार्य कर सकता है । दार्शनिक चिंतन में उपनिषद का उल्लेख किया गया है और इसे ब्रह्म विद्या के भण्डार के रूप में विभूषित किया गया है और इसके माध्यम से पाप पुण्य स्वर्ग-नरक आदि का विश्लेषण भी किया जा सकता है । हिन्दू धर्म व्यवस्था के अनुसार धर्म, मोक्ष, काम तथा अर्थ पुरूषार्थ के रूप में व्यक्त किये गये हैं । इसके माध्यम से हिन्दू समाज व्यवस्था पूर्णतया निर्देशित रहती है । इनमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि धर्म की स्थिति प्रारम्भिक तथा मोक्ष की स्थिति अंतिम है । व्याख्या कारों द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि धर्म के द्वारा मोक्ष

प्राप्त करने में बल एवं प्रेरणा का मिश्रित समन्वय प्राप्त होता है तथा यह प्रमुख स्थान पर है । धार्मिक पद्धति में यह विवरण है कि सम्बन्धित समाज का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक संचालित करे, जिससे कि एक आदर्श समाज की कल्पना की जा सकती है । आत्मा के अमर एवं अमर होने के उल्लेख सम्बन्धित साहित्य में अनेक प्रकार से किये गये हैं और इस क्रम में मैक्सवेबर (1920-21) का उल्लेख किया जा सकता है ।

किसी धर्म की श्रेष्ठता उसकी प्राचीनतम अथवा अर्वाचीनता पर अनिवार्यतः निर्भर नहीं होती, किन्तु यदि कोई धार्मिक परम्परा प्राचीन होने के साथ-साथ सुदीर्घ काल पर्यन्त सजीव, सक्रिय, प्रेरक एवं प्रगतिवान बनी रहती है और लोक उन्नति, नैतिक वृद्धि तथा सांस्कृतिक समृद्धि में प्रबल प्रेरक एवं सहायक सिद्ध हुई होती है तो उसकी वह प्राचीनता जितनी अधिक होती है वह उतनी ही अधिक उस धर्म के स्थायी महत्व एवं उसमें निहित सर्वकालीन एवं सार्वलौकिक तत्वों की सूचक होती है । इसके अतिरिक्त किसी भी संस्कृति के उद्भव एवं विकास का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने तथा उसकी देनों का उचित मूल्यांकन करने के लिए भी उसकी आधारभूत धार्मिक परम्परा की प्राचीनता का अन्वेषण आवश्यक होजाता है । इस संदर्भ में जैन संस्कृति की आपेक्षिक प्राचीनता के कतिपय प्रमुख प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं ।

मोहन जोदड़ों और हड़प्पा के अवशेषों से पुरातत्ववेत्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि आर्यों के कथित भारत आगमन के पूर्व यहाँ एक समृद्ध संस्कृति और सभ्यता थी । उस संस्कृति के मानने वाले मानव सुसभ्य, सुसंस्कृत और कलाविद ही नहीं थे अपितु आत्मविद्या के भी प्रकाण्ड पण्डित थे । पुरातत्वविदों के अनुसार जो अवशेष मिले है उनका सीधा सम्बन्ध जैन संस्कृति से है ।

जैन धर्म की प्राचीनता का प्रमाण हमें वेदों और पुराणों से भी मिलता है । वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ माने जाते हैं इन वेदों में ही कई स्थानों पर जैन तीर्थंकरों—यथा ऋषभनाथ, सुपार्श्वनाथ और नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) के नाम आये हैं और उनका उल्लेख करके उनको नमस्कार किया गयाहै ।

इन तीर्थंकरों को "जिन" तथा "अर्हन्त" के नाम से सम्बोधित किया गया है।

अवलोकन के लिए यहाँ पर कुछ वेद मंत्रों का हिन्दी अनुवाद दे रहे हैं- "जिसमें बड़े-बड़े घोड़े जुते हुए हैं ऐसे रथ में बैठे हुए आकाश पथ पर चलने वाले सूर्य के समान चितशक्ती रथ में बैठे हुए अरिष्टनेमि का हम आह्वान करते हैं।" [ऋग्वेद 302304 व24]

"हे अरिष्टनेमि मेरी रक्षा करो..."

—[यजुर्वेद 3026]

"ओ यजमान लोगों। इस यज्ञ में देवों के स्वामी, सुखसन्तानवर्द्धक, दुःखनाशक, दिव्य आशावाली, अपार ज्ञानप्रदाता वृषभनाथ भगवान का आह्वान करो।"

—[ऋग्वेद 36/4-6-8-6-2-20]

"पुरातन समय में ऋषभ का पुत्र मुनि श्रेष्ठ भरत नाम का राजा था। उसके नाम से इस देश का नाम भारत कहा जाता है।"

—[नारद पुराण पूर्व खण्ड अ0 48—5]

सिन्धु-घाटी के उत्खनन में जिस संस्कृति और सभ्यता का रूप हमारे सामने आया है वह निश्चित ही प्राग्वैदिक कालीन है। मूर्ति पूजा आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे यह कहा जा सकता है कि सिन्धु-घाटी सभ्यता वैदिक विरोधी सभ्यता थी। वह उपर्युक्त द्रविड़ अथवा विद्याधर जाति की सभ्यता से सम्बद्ध रही होगी। यह जाति ऋषभ [बैल] को पूज्य मानती थी जिसे कालान्तर में ऋषभदेव तीर्थंकर के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है।"

मथुरा म्यूजियम में दूसरी शती की कायोत्सर्ग में स्थित ऋषभदेव जिनकी एक मूर्ति है। इस मूर्ति की शैली सिन्धु से प्राप्त मोहरों पर अंकित खड़ी हुई देव मूर्तियों की शैली से बिल्कुल मिलती है।

वैदिक एवं पौराणिक साहित्य में जैन संस्कृति के तत्व वेद तथा अनेक परवर्ती ग्रन्थों में अर्हन, व्रात्य, श्रमण, वातरशना, केशी, ऋषभ और वृषभ, पार्श्व, अरिष्टनेमि महावीर आदि संज्ञा जैन-संस्कृति की प्रागैतिहासिकता को सिद्ध करते है। रामायण, महाभारत व पुराणों जैसी अनेकसंदर्भ आयी हैं।

विनोबा भावे ने अपने एक लेख में ऋग्वेद के एक मन्त्र का उद्धरण देते हुए जैन — संस्कृति की प्राचीनता सिद्ध की है । वे कहते हैं कि ऋग्वेद में भगवान की प्रार्थना में कहा गया है कि "अर्हन इदं दयसे विश्वमभ्वम्", अर्थात हे अर्हन , तुम इस तुच्छ दुनियाँ पर दया करते हो । इसमें अर्हत और दया दोनों जैनों के प्यारे शब्द हैं । मेरी तो मान्यता है कि जितनी वैदिक संस्कृति प्राचीन है शायद उतनी ही जैन संस्कृति प्राचीन है । ऋग्वेद का उपरोक्त मन्त्र इस प्रकार है :—

अर्हन् बिभर्षि सायकानि , धन्वार्हन्निष्कं यजतं विश्वरूपम् ।
अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं , न वा ओ जीओ रुद्र त्वदन्यदस्ति ।।

डा० राधाकृष्णन कहते हैं — " जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म का प्रारम्भ ऋषभदेव से होता है । जो सदियों पहले हो चुके थे । ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक ऋषभदेव की उपासना करने वाले लोग थे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैन धर्म वर्धमान और पार्श्वनाथ के पहले भी था ।

सुपार्श्वनाथ अरिष्टनेमि तथा महावीरादि तीर्थंकरों की स्तुति का वेदों में तथा वेदोत्तरकालीन साहित्य में उल्लेख हुआ है ।

आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्य नग्नहुः ।
रूपमुपसदामेतत्तिस्रो रात्रीः सुरासुता ।।

यजुर्वेद के उपरोक्त मन्त्र में भगवान महावीर का नामोल्लेख स्पष्ट है ।
उपर्युक्त मन्त्रों में तीर्थंकरों का [ऋषभदेव , सुपार्श्व , अरिष्टनेमि , महावीर आदि] उल्लेख किया गया है । इसकी पुष्टि डा० राधाकृष्णन , डा० अल्बेयर , प्रो० विरूपाक्ष , डा० विमलाचरण लाहा , जी. सी. जैन प्रभृति विद्वज्जन भी करते हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रमण संस्कृति भारत की एक महान संस्कृति और सभ्यता है जो प्रागैतिहासिक काल से ही भारत के विविध अंचलों में फलती फूलती रही है । यह संस्कृति वैदिक संस्कृति की धारा नहीं है अपितु एक स्वतन्त्र संस्कृति है । इस संस्कृति की विचारधारा वैदिक संस्कृति की विचारधारा से पृथक है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैन संस्कृति जिसे श्रमण संस्कृति कहा गया है वैदिक और बौद्ध संस्कृति से पूर्व की संस्कृति है भारत आदि संस्कृति है ।

कर्मों तथा कषायों [आत्मा के कुभावों] को जीतकर परम शुद्ध परमात्मा को "जिन" [जयति इति जिनः - विजेता] कहते हैं। जिन भगवान ने जो आत्मा को शुद्ध करके महात्मा तथा परमात्मा बनाने वाला मार्ग बतलाया उसको जैन धर्म कहते हैं। प्रत्येक धर्म के दो अंग होते हैं विचार और आचार। जैन धर्म के विचारों का मूल स्याद्वाद और आचार का मूल है अहिंसा. न किसी के विचारों के साथ अन्याय हो और न किसी प्राणी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो . सब सबके विचारों को समझें और सबके जीवनों की रक्षा करें यही उन जिनों के उपदेश का मूल है। इसी से उन्हें हितोपदेशी कहा जाता है वे किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष या सम्प्रदाय विशेष के हित की दृष्टि से उपदेश नहीं देते वे तो प्राणी मात्र के हित की दृष्टि से उपदेश देते हैं वे केवल मनुष्यों के ही हित की बात नहीं बतलाते, किन्तु जंगम और स्थावर सभी प्राणियों के हित की बात बतलाते हैं। उनका मूल मंत्र ही यह है ——

"माहिंस्यात सर्वभूतानि"

किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो." न वे पशुओं का वध बतलाते है और न किसी वर्ग विशेष को अवध्य, उनकी वीतराग दृष्टि में सब बराबर हैं ऐसे वे सर्वज्ञ वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी "जिन" होते हैं और उनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है वही जैन धर्म कहलाता है।

जैन परम्परा के अनुसार इस दृश्यमान जगत में कालका चक्र सदा घूमा करता है। यद्यपि काल द्रव्य प्रवाह अनादि और अनन्त है तथापि उस कालचक्र के छः विभाग हैं- 1. अतिसुखमा, 2. सुखमा. 3. सुख-दुःखमा 4. दुःखसुखमा. 5. दुखमा और 6. अतिदुःखमा। जैसे चलती हुई गाड़ी के चक्र का प्रत्येक भाग नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाता आता है वैसे ही यह छः भाग भी क्रमवार सदा घूमते रहते हैं अर्थात एक बार जगत सुख से दुःख की ओर जाता है तो दूसरी बार दुःख से सुख की ओर बढ़ता है सुख से दुःख की ओर जाने को अवसर्पिणीकाल या अवनतिकाल कहते हैं और दुःख से सुख

की ओर जाने को उत्सर्पिणीकाल या विकास काल कहते हैं । इन दोनों कालों की अवधि लाखो करोड़ों वर्षों से भी अधिक है । प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के दुःख सुखम भाग में चौबीस तीर्थंकरों का जन्म होता है जो "जिन" अवस्था को प्राप्त करके जैन धर्म का उपदेश देते हैं ।

जैन दृष्टि से इस विश्व के मूलभूत तत्व दो भागों में विभाजित हैं एक जीवतत्व और दूसरा अजीव या जड़तत्व । अजीव एवं जड़ तत्व भी पाँच भागों में विभाजित है -- पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल । इस तरह यह संसार इन छः तत्वों से बना हुआ है इन छयों को छै द्रव्य कहते है । इन छै द्रव्यों के सिवा संसार में अन्य कुछ भी नही है, जो कुछ है उन सबका समावेश इन्हीं छै द्रव्यों में हो जाता है । गुण, क्रिया सम्बन्ध आदि जो अन्य तत्व दूसरे दार्शनिकों ने माने हैं, जैन दृष्टि से सब द्रव्य की ही अवस्थाएँ है उनसे पृथक नहीं, क्यों कि जो कुछ सत् है वह सम्बन्ध द्रव्य है । सत् ही द्रव्य का लक्षण है असत् या अभाव नामक कोई स्वतंत्र तत्व जैन दर्शन में नहीं है ।

यह संसार अनादि व अनन्त है जैन दृष्टिकोण इस मत को मानता है कि यह संसार अर्थात इसकी समस्त आत्माएँ व पुद्गल द्रव्य अनादि, अकृतिम व अनन्त हैं । (अनादि - अन+ आदि -- का अर्थ है जिसका कभी आदि-प्रारम्भ - न हुआ हो अर्थात जो सदैव से हो । अनन्त-अन+ अन्त -का अर्थ है जिसका कभी अन्त - विनाश-न हो, अर्थात जो सदैव तक रहे। न तो किसी तथाकथित सर्वशक्तिमान ईश्वर/ने किसी विशेष समय में इस सृष्टि का निर्माण ही किया था और न इस का कभी विनाश ही होगा । इस संसार की समस्त आत्माएँ सदैव से है और वे सदैव तक रहेंगी । वे अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न शरीर ग्रहण करती रहती हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार सुख व दुःख भोगती रहते हैं । जब तक उनके कर्म नष्ट नहीं हो जाते, वे कोई - न - कोई शरीर धारण करती ही रहेंगी । जब उनके कर्मों का सर्वथा अभाव हो जायेगा वे मोक्ष में चली जायेंगी । मोक्ष में भी प्रत्येक आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व बना रहेगा ।

एक बार मोक्ष प्राप्त कर लेने पर यह आत्मा हमेशा के लिए मोक्ष में ही रहती है । वह फिर कभी लौट कर इस संसार में नहीं आती है । इन आत्माओं के अतिरिक्त जो कुछ भी संसार में है वह सब पुद्गल है । कुछ पुद्गल भी सदैव से है और सदैव तक रहेगा । हाँ, कुछ कारण मिलने पर इनका रूप परिवर्तन होता रहता है । इस संदर्भ में तीर्थंकर महावीर का कथन है कि संसार का एक परमाणु न तो कभी नया बना था और न एक ही परमाणु का विनाश ही होगा । हाँ, उनका रूप परिवर्तन अवश्य होता रहता है । इस प्रकार समाजशास्त्रीय परिपेक्षय में जैन धर्म का अवलम्बन मानवीय परिधि में माना जाता है सकता है तथा मूल्यों की इस निधि का विभाजन पूर्ण सामयिक है ।

प्रत्येक जीव अपने पतन और उत्थान के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है जीव अपने कार्यों से ही बंधता है और अपने कार्यों से ही वह उस बंधन से मुक्त होता है अन्य कोई न उसे बांधता है और न बंधन से मुक्त करता है वह स्वतः ही भिखारी बनता है और स्वतः ही भिखारी से भगवान बन सकता है । इस संदर्भ में जैन दर्शन प्रत्येक संसारी आत्मा को कर्मों से बद्ध मानता है यह कर्म बंधन, उसके किसी अमुक समय में नहीं हुआ किन्तु अनादि से है । जैसे खान से सोना शुद्ध ही निकलता है वैसे ही संसारी आत्माएँ भी अनादि काल से कर्म बंधन में जकड़ी हुई ही पायी जाती हैं ।

संसार में किसी की इच्छाओं और तृष्णाओं की कोई सीमा नहीं है हमारी एक इच्छा पूरी हो नहीं पाती की अन्य अनेकों नई इच्छाये आकर खड़ी हो जाती हैं यही दशा तृष्णाओं की भी है । व्यक्ति की इच्छाओं और तृष्णाओं का अन्त नहीं है इन्हीं इच्छाओं और तृष्णाओं की पूर्ति के लिये हम दूसरे जीवों पर तरह-तरह के अन्याय व अत्याचार करते हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते हैं । विडम्बना तो यह है कि यह सब अन्याय व अत्याचार करने के पश्चात भी यह निश्चित नहीं होता कि हमारी सभी इच्छाये पूरी हो जायेंगी । इस संदर्भ में जैन धर्म का अपरिग्रह का सिद्धान्त पूर्णतः सही है।

संसार में प्रत्येक प्राणी दुःखी है, कोई कम कोई अधिक। कोई किसी एक कारण से दुःखी है तो दूसरा किसी अन्य कारण से अधिकांश में यह दुःख के कारण स्वयं के ही आ खड़े होते है यह आवश्यक नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति किसी को दुखी करे तभी वह दुखी हो। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि सुख पाने के अनेक प्रयत्न करने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो पाता, जबकि कभी बिना विशेष प्रयत्न किये ही उसको सुख प्राप्त हो जाता है। इस तरह संसार में अनेक विषमतायें और विडम्बनाये हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बिना परिश्रम किये तथा दूसरों पर अन्याय व अत्याचार करते हुए भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है जबकि एक अन्य व्यक्ति परिश्रम व ईमानदारी से कार्य करता है और दूसरों का उपकार करने मैंलगा रहता है फिर भी वह दुःखी रहता है। क्या यह सुख-अन्यायअत्याचार का सुफल परिणाम है क्या अन्याय व अत्याचार करने वाले व्यक्ति को कभी दण्ड नहीं मिलेगा। क्या परोपकार करने वाले व्यक्ति को अपने अच्छे कार्यों का कभी सुफल नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में तीर्थंकर महावीर ने गहन चिंतन व मनन किया और उन्होंने संसार को बतलाया कि कोई भी प्राणी केवल वर्तमान में दिखनेवाला स्थूल शरीर ही नहीं है, वास्तविक प्राणी तो उसकी आत्मा है इस आत्मा का अस्तित्व अनादिकाल से है और अनन्तकाल तक रहेगा। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को उतार कर नये वस्त्र धारण कर लेते है उसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार नये - नये शरीर धारण करते रहते हैं। और अपने कर्मों के अनुसार ही वह सुख दुःख भोगता रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस जन्म में हम जो भी अच्छे व बुरे कार्य कर रहे हैं उनका फल हमें इसी जन्म में मिल जाये वह फल हमको इसी जन्म में भी मिल सकता है और अगले जन्मों में भी मिल सकता है। इस संदर्भ में जैनमत मानता है कि यह संसार चक्र अनादि काल से इसी प्रकार चलता आया है और भविष्य में भी तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा, जब तक हम अपने पुरुषार्थ से अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते यही पुनर्जन्म का सिद्धान्त है।

संसार में दुखों से बचने और सुख प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा का पालन करने पर सबसे अधिक बल दिया प्राणी मात्र हेतु शांति एकता और समता के लिए अहिंसा जैसा मूल मंत्र जैन दर्शन का आधार है इस मत के अनुसार मन से वाणी से और शरीर के द्वारा जानबूझकर तथा असावधानी से भी, किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष व परोक्षरूप से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये, मानव मन में किसी प्राणी के प्रति स्वार्थ भेदना और आतंकपूर्णता आदि भावनाओं का उत्पन्न होना ही हिंसा है चाहे वह दुर्भावना आर्थिक सामाजिक राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, इसलिये इस सिद्धान्त को "कि स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो" का पालन करके ही विश्व शांति की स्थापना हो सकती है।

जैन दर्शन के अनुसार सब आत्मायें समान हैं और सब अपना विकास करके सर्वज्ञ और ईश्वर बन सकती हैं। आत्मा के गुणों की अपेक्षा से जीव और ईश्वर में कोई अन्तर नहीं है अन्तर केवल इतना है कि साधारण जीवों में वे गुण प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं और ईश्वर में वे गुण पूर्ण विकास को प्राप्त करके प्रकाश मान होते हैं इस सम्बन्ध में जैन दार्शनिकों ने कहा है कि ईश्वर पद किसी व्यक्ति विशेष के लिये सुरक्षित नहीं है कोई भी भव्य जीव अपनी आत्मा का विकास करके ईश्वर बन सकता है।

अवतारवाद के संदर्भ में जैन दर्शन की मान्यता है कि सकार्ईश्वर मुक्त होने के बाद कभी भी संसार में लौटकर नहीं आता है वह तो कृतकृत्य हो चुका है। उसे संसार का कोई भी काम करना शेष नहीं रहा, जिसे करने के लिए उसे ऊपर से उतरकर नीचे आना पड़े। अवतारवाद के विपरीत जैन धर्म का सिद्धान्त उत्तारवाद है। अर्थात अध्यात्म के क्षेत्र में जैन दर्शन पूर्णस्वातन्त्र्य प्रदान करता है ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा से सब जीव समान हैं और वे क्रमशः अपना विकास करके नीचे से ऊपर संसार से मोक्ष में पहुँचकर ईश्वर बन सकते हैं। जैसे भारतीय गणतंत्र में भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनकर शासन में सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार संसार का कोई भी जीव अपने प्रयत्नों से अर्हन्तऔर सिद्ध पद

को प्राप्त करके ईश्वर बन सकता है । जैन दर्शन में नीचे से ऊपर जाने का मार्ग बतलाया गया है वह मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक चरित्र ।

सृष्टिकर्तृत्व विचारों के बारे में जैन दर्शन की मान्यता है कि यह विश्व अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है और अनन्तकाल तक ऐसा ही बना रहेगा । तब शरीरादि की सृष्टि का कारण क्या है । इस विषय में आचार्य समन्त भद्र ने आप्तमीमांसा में कहा है — कामादि प्रभवश्चित्रः कर्मबन्धानुरूपतः । अर्थात इस संसार में इच्छा, द्वेष शरीर आदि अनेक कार्यों की जो उत्पत्ति देखी जाती है वह जीवों के अपने अपने कर्म के अनुसार होती है संसार का सारा चक्र कर्म के अनुसार चलता है ।

अनेकान्त और स्याद्वाद ही इस देश की संस्कृति का मूल तत्व है । एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, एक ही तत्व के अनेक गुण धर्म हैं । अनेकान्त में वस्तु के रूपों को देखा और जाना तो जा सकता है पर शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । शब्द द्वारा एक ही वस्तु के अनेक रूप को कहने की जो पद्धति है वही जैन धर्म का स्याद्वाद है । सहिष्णुता मानव का अपना गुण है उसको मानव द्वारा मानव हृदय में विकसित करना "अनेकान्त" है । अनेकान्त सर्वांगीण विचार चिन्तन है अनेकान्तवादी संसार के सभी मतभेदों को मिटाने में सक्षम है । सहअस्तित्व और सह-जीवन का सिद्धान्त जो सब स्वीकारते हैं जैन धर्म का अनेकान्त ही है ।

जैन दर्शन के मतानुसार प्राणी स्वयं अपने कर्मों द्वारा सुख दुःख को प्राप्त करता है तथा भगवतकृपा के बिना ही स्वयं अपने प्रयत्न से अपना विकास करके ईश्वर बन सकता है जो प्राणी कर्म शत्रुओं को जीत कर भगवान या ईश्वर बना है वह हमारे लिए स्तुत्य है, चाहे उसको महावीर बुद्ध, हरि शिव ब्रह्मा, जिन आदि किसी भी नाम से सम्बोधित क्यों न किया जाये ।

जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित अहिंसा सत्य, ब्रह्मचर्य अस्तेय एवं अपरिग्रह ये पाँच अणुव्रत सामाजिक आर्थिक एवं विविध समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकते हैं ।

विश्व की प्रत्येक संस्कृति में "मंत्र" को महत्व दिया गया है। चाहे वह भारतीय संस्कृति हो अथवा विदेशी संस्कृति सब में मंत्र प्रतिष्ठापित है। जैन संस्कृति भी इससे अछूती नहींरही है। "णमोकार मन्त्र" इस संस्कृति का महामन्त्र है। महानता इसलिए कि इसमें अन्य मन्त्रों की भाँति किसी व्यक्ति- विशेष अथवा शक्ति- सत्ता की उपासना नहीं अपितु आत्मिक गुणों की वन्दना का विधान है। ये गुण प्रत्येक प्राणवन्त जीवधारियों में सदा विद्यमान रहते हैं। जब ये जीव में सुप्तावस्था अथवा काषायिक - आवरणों में प्रच्छन्न रहते हैं तब जीव साधारण कोटि (छद्मस्थ अवस्था) का कहलाता है किन्तु जब इन आत्मिक - गुणों के जागने पर वही जीव पूज्य बन जाता है, आराध्य बन जाता है।

णमो अरिहंताणं

अरिहन्त भगवन्त अर्थात वे महान आत्माएं जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष आदि समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर चुकी हैं, को नमस्कार हो।

णमो सिद्धाणं

सिद्ध भगवन्त अर्थात वे महान आत्माएं जिन्होंने सर्वथा कर्मनाश द्वारा शुद्ध स्वरूप प्रकट किया हो और पुनर्जन्म से मुक्त हो चुकी हैं, को नमस्कार हो।

णमो आयरियाणं

संघ के आचार्य महाराज जो स्वयं महाव्रतों का पालन करते हुए अपने अधीन समस्त संघ साधु साध्वियों को इसके लिए प्रेरित करते हैं, को नमस्कार हो

णमो उवज्झायाणं

जो साधु महाराज ज्ञान और क्रिया का अभ्यास करवाते हैं, को नमस्कार हो।

णमो लोए सव्व साहूणं

पंच महाव्रतों का पालन करने वाले तथा समस्त परिषहों को सहते हुए साधना पथ पर अग्रसर संसार के समस्त साधुओं को नमस्कार हो।

एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्पणासणो।
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढ़मं हवइ मंगलं।।

जैन साहित्य का भारतीय साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है दर्शन, न्याय व्याकरण काव्य नाटक तथा शिल्प मन्त्र तन्त्र वास्तु वैधक आदि-आदि अनेकविषयों पर प्रचुर प्राचीन जैन साहित्य आज भी उपलब्ध है । भारत के अनेक भाषाओं में जैन साहित्य लिखा हुआ है, जिनमें प्राकृत, संस्कृत द्रविडियन भाषाओं का नाम उल्लेखनीय है । जैन धर्म में प्रारम्भ से ही अपने प्रचार के लिए लोक भाषाओं को अपनाया और समय विशेष की प्रचलित लोक भाषा में जैन साहित्य की रचना की । 10 वीं 12 वीं शदी तक अपभ्रंश भाषा जो उस समय की जन भाषा थी रचनाएं की गईं । वर्तमान में आधुनिक भारतीय भाषाओं में जैन साहित्य प्रचुरमात्रा में लिखा गया । जैन परम्परा में ज्ञानियों के दो ही पद सबसे महान गिने जाते हैं - प्रत्यक्ष ज्ञानियों में केवल ज्ञानी और परोक्ष ज्ञानियों में श्रुतकेवली । जैन साहित्य विधा में गणधर गौतम, भद्रबाहु, धरसेन, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिद्धसेन, [illegible] वीरसेन, जिनसेन, जिनचन्द्र गणि अकलंक, पुष्प दन्त आदि आदि श्रेष्ठ साहित्यकारों का नाम उल्लेखनीय है । जैन साहित्य की कुछ श्रेष्ठतम पुस्तकें निम्न प्रकार हैं - षट्खण्डागमसूत्र, समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय आप्तमीमांसा, हरिवंशपुराण, महापुराण, पद्मचरित, कथा साहित्य के अन्तर्गत आराधना कथाकोश, पुण्याश्रवकथाकोश चम्पू काव्य भी जैन साहित्य में बहुत है । नाटको में विक्रान्त कौरव, मैथिलीकल्याण, अंजनापवनंजय आदि है । स्तोत्र साहित्य में विषापहार, कल्याण मन्दिर, इसके अतिरिक्त ज्योतिष, आयुर्वेद व्याकरण कोश, छन्द अलंकार गणित और राजनीति विषद आदि विषयों पर भी जैनाचार्यों की अनेक रचनायें उपलब्ध हैं ।

जैन संस्कृति का कला और पुरातत्व के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है । कला की परिभाषा जो "सत्यं शिवम् सुन्दरम्" से की जाती है अर्थात जो सत्य है कल्याणकर है और सुन्दर है वही कला है, यह भावना जैन कला में सुगठित है, क्यों कि जैन धर्म से सम्बद्ध चित्र कला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, सुन्दर होने के साथ ही साथ कल्याणकर भी है और सत्य कार्यान्वकराती है ।

जैन धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है अतः प्रारम्भ से लेकर आज तक उसके मूर्ति विधान में प्रायः एक ही रीति के दर्शन होते हैं, जैन तीर्थंकर की मूर्ति विरक्त, शांत और प्रसन्न होती है उसमें मनुष्यहृदय के विकृतियों को स्थान नहीं होता । इससे जैन प्रतिमा उनकी मुखमुद्रा के आर से तुरन्त ही पहचानी जा सकती है । खड़ी मूर्तियों के मुखपर प्रसन्नता और दोनों हाथ निर्जीव जैसे सीधे लटकते हुए होते हैं । बैठी हुई प्रतिमा ध्यानमुद्रा में पद्मासन से विराजमान होती है । दोनों हाथ गोदी में सरलता से स्थापित रहते हैं । 24 तीर्थंकरों के प्रतिमाविधान में व्यक्ति भेद न होने से उनके आसन के ऊपर अंकित चिन्हों से जुदे- जुदे तीर्थंकर जी की प्रतिमा पहचानी जाती है । यथा श्री ऋषभनाथ- बैल, श्री अजितनाथ- हाथी, श्री सम्भवनाथ — घोड़ा, श्री अभिनन्दननाथ- बन्दर, श्री पद्मप्रभ- कमल, श्री सुपार्श्वनाथ-साथिया, श्री सुमतिनाथ- चकवा, श्री चन्द्रप्रभ-चन्द्रमा, श्री पुष्पदन्त--मगर, श्री शीतलनाथ-कल्पवृक्ष, श्री श्रेयांसनाथ- गैंडा, श्री वासुपूज्य- भैंसा, श्री विमल नाथ--शूकर, श्री अनन्तनाथ- सेही, श्री धर्मनाथ-वज्र श्री शान्तिनाथ- हिरण, श्री कुन्थुनाथ- बकरा, अरनाथ- मछली, मल्लिनाथ- कलश, श्री मुनिसुव्रतनाथ- कछुआ, श्री नेमिनाथ-शंख श्री नमिनाथ- नीलकमल, श्री पार्श्वनाथ- सर्प, श्री महावीर- सिंह

श्रमण संस्कृति के प्रतीक एवं ज्ञानवैराग्य के प्रेरक स्थल तीर्थ क्षेत्र हैं जैन परम्परा में तीर्थों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है- (अ) निर्वाण क्षेत्र अथवा सिद्ध क्षेत्र (ब) कल्याणक क्षेत्र (स) अतिशय क्षेत्र और (द) कला क्षेत्र ।

(अ) निर्वाण क्षेत्र वह पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ से तीर्थंकर केवली अथवा मुनि ने निर्वाण प्राप्त किया हो ।

(ब) कल्याणक क्षेत्र वह प्रेरक स्थल है जहाँ तीर्थंकर का कोई कल्याणक (गर्भ जन्म तप- केवल ज्ञान) मनाया गया हो ।

(स) अतिशय वह जहाँ कोई दैवकृत अतिशय या प्राकृतिक चमत्कार दिखाई पड़ता है

(द) कला क्षेत्र वहजिसमेंकलाशिल्पयास्थापत्यकला के विशिष्ट शैलीकेउपकरणप्राप्तहों ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उपर्युक्त क्रम में सम्मिलित व्याख्याओं का आधार ऐतिहासिक दर्शन तंथा तत्कालीन धार्मिक प्रचलनों का माना जा सकता है । यह स्पष्ट होता है कि जैन धर्म का भारत वर्ष में प्रचार तथा प्रसार एक अत्याधिक सीमा तक हुआ है और रूपक रूपी मानकों के प्रसंग में विख्यात दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्री तंथा अन्य विद्वानों के शिक्षा विद सदैव तत्पर रहे हैं । इस प्रसंग में एक उल्लेख और भी किया जा सकता है कि समाज शास्त्रीय अर्थ में वर्तमान प्रसंगों का गुणात्मक मूल्यांकन न किये जाने के कारण यह विषय वस्तु नियोजित परिधि के अन्तर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाई गयी है । प्रो० श्रीनिवास (1952) के द्वारा दक्षिण भारत में कुर्गसमूह पर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि सामाजिक संरचना में प्रत्येक प्रमुख इकाई धार्मिक संस्कारों से युक्त है इस अध्ययन से एक निष्कर्ष यह भी प्राप्त होता है कि सामाजिक स्वच्छता के प्रसंग में उपयोगी मानक समानान्तर तंथा ऊर्ध्वाधर व्यक्ति क्रम में हो सकते हैं । जाति तंथा धर्म से सम्बन्ध रखने वाले उपयोगी अध्ययनों में निकोलस (1967), अग्नि बी कु टी (1964-65), हार्पर (1957 अ, 1957 बी, 1959, 1963, 1964 ब), माथुर (1964), गफ (1959) तथा स्टीवेन्सन (1954) का उल्लेख किया जा सकता है । भारतीय समाज व्यवस्था, जाति तथा धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करने के अभिप्राय से समाज वैज्ञानिक जगत में यह प्रयास किया गया कि उन विशेष घटना क्रमों का मूल्यांकन आवश्यकता से किया जाये जो न्यूनतम आधार पर किसी भी धर्म सम्प्रदाय के नैतिक आवश्यकता हो सकते हैं इस क्रम में ड्यूमोंट (1970), रेडफील्ड एण्ड सिंगर (1954) का उल्लेख किया जा सकता है । उत्तर भारत के किशनगढ़ी गाँव में परम्परागत मूल्यों का अध्ययन मैरियट (1955) द्वारा किया गया इस अध्ययन में सार्वभौमीकरण तंथा धर्म निर्वैयक्तिकरण को अध्ययनित किया गया इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि सामाजिक संगठन की सफलता के प्रसंग में रेडफील्ड के विचारों में तथा मैरियट एण्ड कोहन (1953) के विचारों में समानता है ।

सिंगर (1955), 1958, 68, 72) ने परम्परागत मूल्यों का अध्ययन इस तात्पर्य से किया कि सामाजिक संगठन में इनकी उपादेयता भली भाँति स्थापित की जा सके ।

भारतीय संस्कृति और दर्शन के सम्बन्धित साहित्य का विवेचन करने से कुछ ऐसे शोध कार्य प्राप्त हुए जिनका उल्लेख वर्तमान प्रसंग में उपेक्षित नहीं किया जा सकता, और इसक्रम में कर्वे (1961), विद्यार्थी (1961), कपाड़िया (1946), तथा घुरिये (1946) आदि प्रमुख हैं । उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि वह धर्म जो हिन्दू धर्म पद्धति से संबन्धित है । उदाहरणार्थ जैनिज्म, सिक्खिज्म तथा बौद्धिज्म उनके व्यवस्थित समाजशास्त्रीय अध्ययन कम मात्रा में उपलब्ध हैं । दार्शनिक एवं ऐतिहासिक केन्द्रण के प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि बुद्धिज्म अवधारणा को सिक्खवाद के क्षेत्र में समायोजित किया गया । जैन धर्म समुदाय का अन्तरविवाही समूह के रूप में समाजशास्त्री अध्ययन संगवे (1959), मैनडिलबाम (1970) द्वारा किया गया है ।

प्रस्तुत प्रसंग में संदर्भित शोध अध्ययनों के अन्तर्गत तुलनात्मक विवेचना करने पर यह स्पष्ट होता है कि बीसवीं शताब्दी के सम्पूर्ण अवधि में संकलित किये गये अधिकांश शोध पत्रावलियाँ सीमित अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों को पुष्टांकित करती हैं । धर्म की न्यायोचित मान्यतायें प्रचलन की दृष्टि से सामाजिक व्यवस्था की वह मूल इकाइयाँ हैं जिनका सतप्रतिशत विवेचन समाज वैज्ञानिक अर्थ में संभव नहीं हो सकता है और इस कारण ऐसा माना जा सकता है कि वर्तमान भारतीय समाज में धर्म निर्पेक्षता की पद्धतियों में जो अनिश्चय की स्थिति निर्मित हो रही है उसका यदि सामाजिक निराकरण न किया गया तो स्पष्टतया से सम्पूर्ण मानव समाज के लिए एक ऐसी किंम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का निर्माण होगा जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विघटन हो जाने का खतरा है ।

इस प्रकार वर्तमान शोध कार्य का इस अवधि में किया गया समाजशास्त्रीय प्रयास पूर्णतया सामायिक एवं वांछित है तथा इस अभिप्राय की पूर्ति हेतु तथ्यों का निर्धारण समाज वैज्ञानिकक्रम में व्यवस्थित रूप में किया गया है इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि विगत दशक में अन्तर विषयी शोध कार्यों में

अत्याधिक प्रसार हुआ है । लेकिन स्पष्टरूप से जैन धर्म के समाजशास्त्र तथा विशेषरूप से मध्य प्रदेश प्रान्त के भिण्ड जनपद के जैनों के प्रसंग में कोई सटीक शोध कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया । इस आधार पर वर्तमान शोध अध्ययन के समाज शास्त्रीय सामायिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है ।

§ स § वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य

सामान्य विवरणों के आधार पर यह दिशा निर्धित होती है कि प्रस्तुत स्वभाव वाले शोध शीर्षक के प्रसंग में जो भी सूचनायें साहित्य में उपलब्ध हैं उनमें एक उपयोगी निदेश बैंक के रूप में वर्तमान शोध कार्य के उद्देश्यों को समायोजित किया जा रहा है । सम्बन्धित सूचनाओं से जो निष्कर्ष प्रोत्सा-हित होते हैं, उस विषय में यह माना जा सकता है कि अन्य धर्मों के व्यक्तियों की तुलना में जैन धर्म के व्यक्तियों का समाज-आर्थिक योगदान जनपद भिण्ड में उल्लेखनीय योगदान रखता है । इस विषय पर दीर्घकालिक एवं समाज वैज्ञानिक क्रमबद्ध अध्ययन के महती आवश्यकता है ।

वर्तमान समाज शास्त्र शोध कार्य के लिए जो प्रस्तावित उद्देश्य निर्धित किये गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. जनपद भिण्ड में जैन धर्म की स्थापना ।
2. जनपद भिण्ड में जैन धर्म के व्यक्तियों की जन संख्या,
3. जनपद भिण्ड में जैन धर्म के व्यक्तियों की सामाजिक व्यवस्था,
4. जनपद भिण्ड में जैन धर्म के व्यक्तियों की आर्थिक व्यवस्था ,
5. जनपद भिण्ड में जैन धर्म के व्यक्तियों का समाज- आर्थिक समन्वय,
6. अन्य उपयोगी सूचनाओं का विवरण एवं
7. समीक्षा ।

(द) वर्तमान शोध अध्ययन के सम्भावित उपयोग

वर्तमान शोध कार्य के द्वारा प्राप्त होने वाले निष्कर्षों को यदि पूर्वानुमानित किया जाये तो यह माना जा सकता है कि भारत वर्ष में क्षेत्रीय जातीय समाज आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण के क्रम स्पष्ट रूप से राष्ट्रधारा से संलग्नित रहते हैं । इसलिये इनके सामयिक उचित अध्ययन एवं सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिये वर्तमान प्रकृति के समाजशास्त्रीय शोधकार्य की अत्यधिक उपयोगिता है । इसके समक्ष धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक एवं व्यवहारिक इकाईयों का निरूपण वर्तमान स्वरूप वाले शोध आयामों की परिधि में सम्भावित हैं । उपर्युक्त उपपक्षों की पृष्ठभूमि को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, पुष्ट उपयोग दर्शाया जा सकता है एवं क्रमानुसार निष्कर्षों का क्रम शोध प्रबन्ध के अध्ययोपरांत सम्भव होगा, परन्तु यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन प्रतीकात्मक स्वरूप में शोधकार्य की गुणवत्ता के आधार पर समाजवैज्ञानिक क्षेत्रों के लिये उचित आधार निर्मित करने में सहयोगी भूमि का कानिर्माण कर सकता है, — ऐसी कल्पना की जा सकती है और सम्भवतः यह अतिशयोक्ति भी नहीं होगा ।

—— xxx ——

द्वितीय अध्याय

अध्ययन पद्धति

अ) अध्ययन क्षेत्र

ब) तथ्यों के संकलन की विधियाँ

स) आदर्श आकार

द) प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य

य) सारणीयन

र) सांख्यिकी विश्लेषण

ल) वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें

द्वितीय अध्याय

अध्ययन पद्धति

(अ) अध्ययन क्षेत्र

(ब) तथ्यों के संकलन की विधियाँ

(स) आदर्श आकार

(द) प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य

(य) सारणीयन

(र) सांख्यिकी विश्लेषण

(ल) वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें

अध्याय - 2

अध्ययन पद्धति

(अ) अध्ययन क्षेत्र

(ब) तथ्यों के संकलन की विधियाँ

(स) आदर्श आकार

(द) प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य

(य) सारणीयन

(र) सांख्यिकीय विश्लेषण

(ल) वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें

(अ) अध्ययन क्षेत्र

समाज शास्त्रीय सर्वेक्षण को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्र का चयन करना नितान्त आवश्यक है । किसी भी अध्ययन पर भौगोलिक कारकों का सीधा प्रभाव पड़ता है । यह प्रभाव केवल सामाजिक सम्बन्धों, संस्थाओं, और समूहों पर ही पड़ने वाला प्रभाव नहीं है अपितु वह यह भी स्पष्ट करता है कि सामाजिक प्रक्रियायें, प्रेरणायें एवं मूल्यों की धारणा किस तरह अपना परिवर्तनीय रूप प्रकट करती है । यह भौगोलिक भू-भाग एवं ऐतिहासिक घटनाओं का पारस्परिक प्रभाव है जिसे ध्यान में रखना अध्ययन की पूर्णता के लिए आवश्यक है । अतः अध्ययन विषय के लिए भिण्ड नगर का चुनाव किया गया ।

भिण्ड जनपद मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम सीमान्त पर स्थित है । इसके उत्तर में इटावा, उत्तर पश्चिम में आगरा पश्चिम में मुरैना, दक्षिण में ग्वालियर, दक्षिण पूर्व में दतिया एवं पूर्व में जालौन जनपद की सीमायें लगी हुई हैं । इस जनपद के भौगोलिक स्थिति एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की दृष्टि से विचार करने पर इसे शूरसेन प्रदेश का एक जिला स्वीकार करने का कोई संदेह नहीं रह जाता है । रामायण एवं महाभारत में इस जनपद का उल्लेख हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह जनपद अस्तित्व में था । मनु स्मृति में भी इस प्रदेश का नाम शूरसेन जनपद ही था । भदावर की सीमायें इसी जनपद से जुड़ी हुई थी इस कथन की पुष्टि रामायण एवं महाभारत दोनों ही ग्रन्थों में शूरसेन के साथ आये भद्र के एवं भद्रका शब्द से हो जाती है जिसे कुछ विद्वान भदावर का ही प्राचीन पर्याय मानते हैं । एक अन्य मत के अनुसार भदावर जनपद शूरसेन [illegible] का ही अंग था । आदि ब्रह्म पुराण के अनुसार - शौरीपुर के शासक वसुदेव की पत्नी भद्रा के नाम पर इस क्षेत्र को भदावर नाम से सम्बोधित किया जाने लगा परन्तु उपर्युक्त मतों से कौन सा मत समीचीन है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

मेरे विचार से यह क्षेत्र बहुत दिनों तक भदौरिया शासकों के अधीन रहा इसलिए इस क्षेत्र को भदावर नाम से जाना जाता है । डा० शिवशंकर भटारे ने "भदावर के इतिहास" में इसकी सीमाओं का उल्लेख किया है और कहा है कि भदावर की सीमायें उत्तर-प्रदेश में आगरा जिले की बाह एवं इटावा तहसील के, मध्य प्रदेश में भिण्ड जिले की मेहगाँव और अटेर तहसीलें और राजस्थान में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा भू-भाग तक फैली हुई हैं । इस प्रकार जनपद भिण्ड भदावर का ही एक हिस्सा ठहरता है यही कारण है कि आज भी इसे भदावर धार के नाम से सम्बोधित किया जाता है ।एक अन्य अवधारणा के अनुसार भिण्ड जनपद का निर्माण भदावर, तंवरधार, कछवायधार एवं बुन्देलखण्ड आदि पाँच प्राचीन जनपदों के कतिपय अंशों को लेकर हुआ है । यही कारण है कि इस जनपद के उत्तरी पश्चिमी अंचल में कन्नौजी मिश्रित ब्रज भदावरी, पश्चिमी अंचल में तंवरधारी, दक्षिणी अंचल में पवारी, दक्षिण पूर्व अंचल में बुन्देलखण्डी तथा पूर्वी भाग में कछवायधारी की बोली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।

ऐतिहासिक लेखों तथा वृद्ध जनों की सुनी-सुनाई के मुताबिक भिण्ड नगर का नामांकन भिण्डिक मुनी के नाम पर हुआ था। ऐसी किवदन्ति है कि महाभारत काल में भिण्डिक इस क्षेत्र में आये थे और यहीं बियावान जंगल में तपस्या करते-करते समाधि में लीन हो गये थे । कालांतर में उनका नाम अपभ्रंश होते होते भिण्डी ऋषि हो गया । अतः हम इस क्षेत्र को भिण्डी ऋषि की तपोभूमि भी कह सकते हैं । यहाँ पर मौजूद भिण्डी ऋषि मन्दिर भिण्ड नगर को उनकी तपोभूमि होना दर्शाता है ।

यह जनपद-- 25.55 से 26.48 उत्तरी अक्षांश तथा 78.12 से 79.10 पूर्व देशान्तर के मध्य स्थित है । इसका कुल क्षेत्रफल 4452 वर्ग किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का (1.01) प्रतिशत है क्षेत्रफल की दृष्टि से इस जनपद का मध्य प्रदेश में 42 वाँ तथा जनसंख्या की दृष्टि से 25 वाँ स्थान है । समुद्र तल से 152.183 मीटर ऊँचाई पर बसे इस जिले में मैदानी क्षेत्र के अलावा - चम्बल, क्वारी, वैसली, कालीसिन्ध एवं पहुज नदियों के आस - पास बीहड़ क्षेत्र हैं । जिले की जलवायु ग्रीष्म में अत्याधिक गर्म तथा शीतकाल में ठण्डी होती है

तापक्रम 2 से 45 डिग्री सेन्टी ग्रेड तक रहता है ।

भिण्ड जिले की जनसंख्या जनगणना 1991 के अनुसार 12,14,480 है इसमें से 9,63,482 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं । नगरीय जनसंख्या 2,50,998 है । जिले की कुल जनसंख्या में से 6,66,645 पुरुष तथा 547535 स्त्रियाँ हैं । 1991 में भिण्ड जिला खास मुद्दों को लेकर उभरा है जिले में कार्यशील जनसंख्या (26.05) मध्य प्रदेश में न्यूनतम है तथा अकार्यशील जनसंख्या (72.99) मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है । इस जिले में प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे केवल 822 महिलायें ही हैं यह अनुपात म०प्र० के अन्य जिलों की तुलना में न्यूनतम है । इसी प्रकार भिण्ड जिले में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत भी म०प्र० में न्यूनतम है ।

जनपद भिण्ड में कृषि आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार है भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 66 प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है । फसलोत्पादक क्षेत्र भू भूमि का मात्र 960 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है । जिले की मुख्य फसलें गेहूँ, सरसों, ज्वार, बाजरा, अरहर हैं गोहद तथा मेहगाँव विकास खण्ड के कुछ क्षेत्र में धान की फसल भी अच्छी होती है । इसके अतिरिक्त उड़द मूँग अलसी की पैदावार भी जनपद में होती है । जिले के लगभग सभी भागों में कछारी मिट्टी पाई जाती है । दोमट एवं मडुवा मिट्टी भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ है । नदियों के किनारे की मिट्टी रेतीली होने के कारण वर्षा में कटकर गहरे बीहड़ों में परिवर्तित हो रही है । सिंचाई के लिए जिले के कृषक मुख्यतः कुओं, नलकूपों एवं नालों पर निर्भर रहते हैं ।

आर्थिक प्रगति यातायात के साधनों पर निर्भर होती है । भिण्ड जनपद में प्रति 100 किलो मीटर पर 12.38 किलो मी० लम्बी सड़क है जबकि राज्य में यह लम्बाई 12.06 कि०मी० है लेकिन जनपद भिण्ड की जनसंख्या के अनुपात से राज्य की तुलना में सड़क की लम्बाई बहुत कम है

रेल्वे लाइन मेरोगेज प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 पर 1.88 कि0 मी0 की लम्बाई रखती है जबकि राज्य में यह लम्बाई 1.29 कि0मी0 है । प्रमुख सड़क मार्ग छः हैं— 1. भिण्ड ग्वालियर मार्ग 2. भिण्ड आलमपुर मार्ग 3. भिण्ड अटेर मार्ग 4. भिण्ड इटावा मार्ग 5. भिण्ड अमायन मार्ग एवं 6. एक दूसरा मार्ग भी है जिस पर भिण्ड फूफ, सुरपुरा, प्रतापपुरा और अटेर स्थित है । रेलवे मार्ग केवल भिण्ड ग्वालियर है ।

भिण्ड जनपद के व्यापार को कृषि उत्पादनों पर आधारित माना जाता है । कृषि उत्पादन के विक्रय के लिये छः मण्डियाँ हैं, इनमें भिण्ड लहर तथा गोहद की मण्डियाँ बड़ी हैं । मेहगाँव, मौ एवं मिहोना आलमपुर की मण्डियाँ छोटी हैं । निर्यात होने वाली वस्तुओं में सीमेन्ट दवाईयाँ सरसों एवं सरसों का तेल और अनेक खाद्यान्न भी सम्मिलित हैं । इसके अलावा भिण्ड से बालटियाँ और गोंद भी निर्यात होती हैं । आयात वस्तुओं की सूची लम्बी है जिसमें मिट्टी का तेल डीजल, नमक, कपड़ा, रासायनिक उर्वरक, आधुनिक कृषि उपकरण, रेडियो टी. वी. तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुयें सम्मिलित हैं ।

खनिज उत्पादन की दृष्टि से भिण्ड जनपद अत्यन्त महत्वहीन है । मुख्यतः से खनिज दो प्रकार के होते हैं — प्रमुख और गौड़, भिण्ड जिले में प्रमुख खनिज नहीं पाये जाते हैं । गौड़ खनिजों में पत्थर, मुरम और ईंट मिट्टी ही जनपद में पाई जाती है ।

जनपद भिण्ड की जनसंख्या की ओर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि जिले की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है । सन् 1981 में जिले की जनसंख्या 9.73 816 थी और घनत्व प्रतिवर्ग कि0मी0 219 व्यक्ति था, लेकिन सन् 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 12,14,480 तथा घनत्व प्रति वर्ग किलो मी0 व्यक्ति हो गया ।

उद्योगों की दृष्टि से यह जनपद पिछड़ा हुआ है लेकिन उद्योगों के विकास के रूप में मालनपुर उद्योग क्षेत्र जो भिण्ड जिले में ही आता है एक महत्वपूर्ण देन साबित हुई है ।

भारत वर्ष के मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड के परिपेक्ष्य में उपलब्ध ऐतिहासिक भौगोलिक सामाजिक एवं प्रशासनिक तथ्यों (तालिका सं० 1 एवं 2) का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि इस जनपद में विकास की गति अत्याधिक उल्लेखनीय नहीं है । वस्तुतः एक मिश्रित सी समाज व्यवस्था का स्वरूप विद्यमान है । जैन धर्म सम्प्रदाय के समर्थक सदस्य लगभग 20-25 हजार के मध्य हैं और इनमें व्यवसायिक कार्यक्रम प्रमुख रूप से संचालित किये जा रहे हैं । तुलनात्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जनपद भिण्ड में जैन धर्मावलम्बियों का जनसंख्या घनत्व निश्चितरूप से महत्वपूर्ण है । प्रारम्भिक सर्वेक्षण में प्राप्त किये गये अतिविशिष्ट ऐतिहासिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के मान्यताओं का उल्लेख अध्याय विशेष के प्रसंग में किया जायेगा । जनपद भिण्ड की साक्षरता प्रतिशत में परिवर्तनीय स्थिति है । (तालिका संख्या - 3) एक प्रशासनिक आधार पर प्राप्त सूचना का विवरण संलग्नित किया जा रहा है जिसमें जनपद भिण्ड की तहसीलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । (तालिका संख्या- 4)

सामान्य सूचनाओं के प्रसंग में प्राप्त तथ्यों का विवरण तालिका संख्या - 5) में अंकित किया गया है और प्रस्तुत प्रसंग में व्यक्त की गई सूचनायें पूर्णतः सामायिक है । स्थानीय प्रशासनिक माध्यमों से प्राप्त जनपद भिण्ड के विधान सभाओं का विवरण (तालिका संख्या - 6) में प्रस्तुत किया गया है । और इस तालिका के अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जनपद भिण्ड में मात्र एक विधान सभा क्षेत्र गोहद अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है जबकि पाँच विधान सभा क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिये है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड तथा जनपद दतिया संलग्नित करके एक लोक सभा क्षेत्र का निर्माण किया गया है ।

वर्तमान प्रसंग में प्रशासनिक आधारों पर प्राप्त अनेक प्रकार की उपजों का वर्गीकरण (तालिका संख्या- 7) में प्रस्तुत किया गया है । तथा इस तालिका का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक है जबकि मक्का की उपज न्यूनतम है ।

तालिका संख्या - 1

जनपद भिण्ड की जनसंख्या राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर आधारित (वर्ष 1901 - 1991)

क्र. सं०	वर्ष	जनसंख्या
1.	1991	1214480
2.	1981	973816
3.	1971	796935
4.	1961	641169
5.	1951	566970
6.	1941	494059
7.	1931	430376
8.	1921	395849
9.	1911	412684
10.	1901	432266

स्रोतः- राष्ट्रीय सर्वेक्षण पत्रिका भारत सरकार

तालिका संख्या- (2)

जनपद भिण्ड का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या घनत्व

क्र.सं.	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)		जनसंख्या घनत्व
1.	4452		252
2.	4452		218
3.	4492		178
4.	4462	1901—1991	144
5.	4462		118
6.	4462		111
7.	4462		96
8.	4462		88
9.	4462		92
10.	4462		97

स्रोतः राष्ट्रीय सर्वेक्षण पत्रिका भारत सरकार

तालिका संख्या - (3)

जनपद भिण्ड में साक्षरता का प्रतिशत

क्रम संख्या	वर्ष	साक्षरता		कुल प्रतिशत
		महिला	पुरुष	
1.	1971	9.55	55.15	23.55
2.	1981	14.56	44.81	31.07
3.	1991	19.00	51.25	33.10

स्रोत : राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

तालिका संख्या - (4)

जनपद भिण्ड की तहसीलों का विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	जनसंख्या	जनसंख्याघनत्व	क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.)
1.	मेहगाँव	196190	202	969
2.	मिहोना	89385	260	425
3.	लहार	142420	217	656
4.	अटेर	146300	151	696
5.	भिण्ड	219001	320	685
6.	गोहद	180485	175	1028
7.	रौन	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

स्रोतः राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

तालिका संख्या- §5§

जनपद भिण्ड का उपयोगी स्वरूपों में व्याख्या

क्र.सं.	स्वरूप	विवरण
1.	वाणिज्य बैंक	36
2.	कार्यशील व्यक्ति	255784
3.	कृषक	197613
4.	कृषि श्रमिक	33912
5.	ग्रामीण शिल्पी	2297
6.	अन्य कार्यों में	21882
7.	पंचायतों की संख्या	366
8.	गाँव की संख्या	925
9.	नगरपालिकायें	11
10.	विकास खण्ड	6

स्रोतः राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

तालिका संख्या- (6)

जनपद भिण्ड की विधान सभाओं का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वरूप
1.	गोहद	अनुसूचित जाति
2.	मेहगाँव	सामान्य
3.	अटेर	सामान्य
4.	भिण्ड	सामान्य
5.	रौन	सामान्य
6.	लहार	सामान्य

स्रोत: राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

तालिका संख्या - (7)

जनपद भिण्ड की प्रमुख उपजों का विवरण

क्र. सं.	फसल	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	उत्पादन (हजार मी. टन)
1.	सरसों	69200	51.72
2.	अलसी	1172	0.49
3.	धान	5344	9.06
4.	जौ	12760	22.04
5.	तिल	2231	0.77
6.	सोयाबीन	491	0.38
7.	मसूर	29593	14.97
8.	चना	21625	53.48
9.	ज्वार	21413	25.98
10.	बाजरा	35754	37.65
11.	गेहूँ	85356	208.94
12.	मक्का	113	0.92

स्रोत: राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत सरकार

§ब§ तथ्यों के संकलन की विधियाँ

वर्तमान शोध अध्ययन के प्रसंग में प्रारम्भिक अवधि में किये सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया गया था कि तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची तथा सहभागी अवलोकन द्वारा किया जायेगा तथा इसकी स्वीकृति विषय विशेषज्ञों से भी प्राप्त की गयी । जनपद भिण्ड का विस्तार शहरी एवं ग्रामीण परिवेश्य में अत्याधिक है और साक्षात्कर्ता की इकाई उत्साह वर्धक नहीं है इसलिये साक्षात्कार अनुसूची प्रणाली तथा व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप से आधार प्रदत्त करती है । उन अनेक प्रकार के अवयवों के एकत्रीकरण के लिए जो प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के क्रम में वांछित है । साक्षात्कार अनुसूची पद्धति के अन्तर्गत यह प्रावधान प्राप्त हो जाता है कि सम्बन्धित समस्या के अनेक मूल्यों एवं कठिनाइयों का निराकरण उत्तरदाता से प्राप्त किया जा सकता है । और इस प्रकार वर्तमान शोध अध्ययन में प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची पद्धति समाज वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतया उपयोगी है । इसके समकक्ष सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग इस अभिप्राय से किया गया है जिससे कि उन अपरोक्ष मानकों का मूल्यांकन किया जा सके जो उत्तरदाता प्रायः सामान्य वैचारिक आदान प्रदान में व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं इस प्रकार तदानुसार सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग समाजवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः सामायिक एवं उचित है । पी.वी. यंग §1956§ का उल्लेख करते हुए यह वर्णन किया जा सकता है कि धर्म सम्प्रदाओं के मानको का विश्लेषण साक्षात्कार पद्धति द्वारा तथा अवलोकन पद्धति द्वारा अत्याधिक सीमातक किया जा सकता है । क्यों कि एक मात्र रूप से वर्तमान अध्ययन में ऐतिहासिक सूचनाओं को व्याख्या का अभिष्ट केन्द्र विन्दु नहीं बनाया गया है । तथा अन्य पद्धतियों द्वारा प्रस्तुत प्रकार के मानकों का वाँछित एकत्रीकरण तथा विश्लेषण उचित समाज वैज्ञानिक परिधि में सम्भावित प्रतीत नहीं होता है । इस विचार की संस्तुति पाल §1953§ ने भी की है ।साक्षात्कार पद्धति में यह विशेषता है कि सर्वेक्षण के पूर्व सम्पूर्ण स्थिति को नियोजित किया जाता है तथा संग्रहित किए जाने वाले मानक ों को व्यापक आधार पर प्रस्तुत भी किया जाता है । इसके समकक्ष अवलोकन पद्धति के प्रसंग में र्टन §1949§, बर्नाल्ड §1934§ का उल्लेख किया जा सकता है ।

इन समाज वैज्ञानिकों ने वर्तमान शोध स्वभाव वाले अध्ययनों के लिए अवलोकन पद्धति की संस्तुति की है ।

प्रारम्भिक शोध सर्वेक्षण की अवधि में एकत्रित की जाने वाली वांछित सूची का प्रशासनिक निर्माण किया गया और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक महत्व के प्रश्नों को समूहवत हस्तांतरित किया गया । इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन की द्वितीयक सर्वेक्षण में समायोजित प्रश्नो की साक्षात्कार अनुसूची से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त हुआ इस प्रसंग में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन के सम्पूर्ण अवधि में दैनिक डायरी अंकित की है और इसमें उन अपरोक्ष सूचनाओं का अधिक संकलन किया गया जो सर्वेक्षण अवधि में उत्तरदाता साधारण रूप में व्यक्त नहीं करते है । समाज वैज्ञानिक क्रम में साक्षात्कार अवलोकन तथा डायरी पद्धति से एकत्रित सूचनाएं सम्प्रतिशत रूप में मौलिक, विश्वनीय, सामयिक तथा वैज्ञानिक चिन्तन के लिए उपयोगी है । साक्षात्कार सूची का प्रारूप वर्तमान शोध प्रबंध के अंतिम चरण में संलग्नित किया जा रहा है ।

(स) आदर्श आकार

वर्तमान शोध अध्ययन में निर्मित अनेक प्रकार के उद्देश्यों की परिधि में यह आवश्यक था कि आदर्श संख्या को इस प्रकार प्रभावी सीमा तक विकसित किया जाये जिससे कि समाज वैज्ञानिक महत्व की सूचनाओं का संकलन विस्तृत रूप से हो सके ।

वर्तमान शोध अध्ययन के क्रम में प्रारम्भिक परिकल्पना का निर्माण यह किया गया कि " क्षेत्रीय समाज- आर्थिक गतिविधियाँ आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव से प्रभावित होती हैं ।" इसक्रम में जनपद भिण्ड का जैन समाज कोई अपवाद नहीं है । इसके अतिरिक्त एक परिकल्पना और भी निर्धारित की गई कि " जैन धर्म का प्रमुख अवलम्बन मूल मान्यतायें हैं तथा इनका समानुपातिक स्वरूप जनपद के अन्य धर्मों को भी प्रभावित कर रहा है ।" वस्तुतः इन दोनों परिकल्पनाओं की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध अध्ययन की अवधि में एकत्रित तथ्यों का स्वरूप तथा विश्लेषणदार्शनिक

चिन्तन की परिधि में उस विशेष प्रकार की अलौकिक कड़ी के समान हो सकते हैं जिसने मानव समाज की स्थापना करने के क्षणों में यह विचार अवश्य किया होगा कि आचार संहिता का प्रमुख केन्द्र बिन्दु धर्म है अथवा इसके प्रसंग की प्रचलित मान्यतायें ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए जनपद भिण्ड में निवास करने वाले 1000 जैन व्यक्तियों का चयन "रेण्डम सेम्पलिंग", प्रणाली के द्वारा किया गया और वर्ग के आधार पर सर्वेक्षित इस संख्या का विवरण तालिका संख्या 8 में प्रस्तुत किया गया है ।

वर्तमान शोध अध्ययन के प्रसंग में संकलित उत्तरदाताओं का प्रारम्भिक वर्गीकरण पर्यावरण के सापेक्ष किया गया और इसक्रम की सूचनाओं का विवरण तालिका संख्या - 9 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जैन सम्प्रदाय के व्यक्तियों की संख्या नगरीय क्षेत्र में अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक मात्र रूप से वह जैन व्यक्ति निवास कर रहे हैं जो परम्परा - गतआवासीय स्थल तथा कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व में है । इस प्रकार यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि संकलित उत्तरदाताओं में नगरीय प्रतिशत की अधिकता यह निर्दिष्ट करती है कि जैन समाज के व्यक्तियों का पलायन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहा है इस क्रम में उल्लिखित किया जा सकता है कि जैनसमाज में विद्यमान वर्गीकरणों के अनुपालन में प्राप्त सूचनाओं का विधिवत उल्लेख अध्याय विशेष के प्रसंग में किया गया है

(द) प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य

वर्तमान शोध अध्ययन के क्रम में प्राप्त अभिलेखों एवं ऐतिहासिक विवरणों को द्वैतीयक तथ्य के रूप में प्रयुक्त किया गया, जबकि इसके सापेक्ष प्राथमिक तथ्य के प्रसंग में आदर्शों की कुल संख्यायें 1000 हैं । समाजवैज्ञानिक शोध कार्यों में प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्यों का स्थापन्न एक विषय गत मान्यता है और इसका निर्वाह वर्तमान शोध कार्य के परिपेक्ष में पूर्णतः किया गया है इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि जैन धर्म के अनेक ऐसे सामायिक अभिलेख प्राप्त होते रहे जिनके विभाजन से उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हुई और इन्हें उचित सीमा के अन्तर्गत वर्णन के क्रम में प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका संख्या- {8}

जनपद भिण्ड में संकलित उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र. सं.	वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरुष	624	62.4
2.	महिला	376	37.6
	कुलयोग :-	1000	100.00

तालिका संख्या - (9)

जनपद भिण्ड में संकलित उत्तरदाताओं का पर्यावरण के आधार पर वर्गीकरण

क्र. सं.	पर्यावरण	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	27
2.	नगरीय	73
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

(स) सारणीयन

वर्तमान शोध अध्ययन के क्रम में एकत्रित तथ्यों को साधारण द्विकारक एवं बहुकारक सारणियों में परिवर्तित किया गया । यह क्रम विश्लेषण की दृष्टि से आधारभूत मान्यता का है ।

(र) सांख्यकीय विश्लेषण

समाज साहित्य में विद्यमान समाज वैज्ञानिक विश्लेषण की सांख्यकीय विधियों का मूल्यांकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि वर्तमान स्वभाव वाले शोध कार्य के मानकों की विवेचना प्रतिशत पद्धति द्वारा की जा सकती है और इस प्रकार आधारित विवेचना में प्रतिशत प्रणाली बहुमुखी रूप से तथ्यों का उचित विश्लेषण करने में सक्षम भी रही है । यद्यपि तथ्य स्रोतों की न्यूनता के कारण प्रस्तुत शोध कार्य के न्यादर्शों की विवेचना जटिल सांख्यकीय तंत्रों में नहीं की जा सकी है । दैनिक डायरी से प्राप्त सूचनाओं का हस्तांतरण अध्याय विशेष के प्रसंगों में भी किया गया । इस प्रकार सांख्यिकीय विश्लेषण का उपक्रम वर्तमान समाज वैज्ञानिक क्रम में पूर्णतः उपयुक्त है ।

(ल) वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें

प्रस्तुत शोध कार्य में सामयिक एवं आर्थिक सीमा के कारण तथ्यों का विश्लेषण जटिल सांख्यकीय पद्धतियों में न किया जाना मात्र एक सीमा है । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि समाजवैज्ञानिक प्रयास में कोई त्रुटि है । समाजवैज्ञानिक क्षेत्र में उपलब्ध अनेक शोध पत्रों के क्रम में स्पष्ट की गयी सूचनाओं के आधार पर यह वर्णित करने में कोई हिचक नहीं है कि संकलित आदर्शों की 1000 संख्या जो शोध अवधि की प्रारम्भिक स्थिति में स्वीकृत की गयी थी वह शोध अभिप्राय की दृष्टि से उपयुक्त थी लेकिन यदि समाज वैज्ञानिकों के मिश्रित

प्रयास द्वारा जनपद भिण्ड के समस्त जैन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता तो समाजशास्त्रीय महत्व की और भी अधिक सूचनाएं एकत्रित हो सकती थी ।

---- xxx ----

तृतीय अध्याय

सामाजिक व्यवस्था

(अ) जैन धर्म का विकास
(ब) जनपद भिण्ड में जैन जनसंख्या
(स) सामाजिक घटनाक्रम
(द) समीक्षा

अध्याय - 3

सामाजिक व्यवस्था

(अ) जैन धर्म का विकास

(ब) जनपद भिण्ड में जैन जनसंख्या

(स) सामाजिक घटना क्रम

(द) समीक्षा

§3§ जैन धर्म का विकास

सामाजिक व्यवस्था तथा संबंधित गतिविधियों के प्रसंग में जैन धर्म की स्थापना भिण्ड जनपद के प्रसंग में एक वैचारिक परामर्श की विषयवस्तु कालांतर में रही है । वस्तुतः सामाजिक आधार संहिता एक ऐसे मानवीय परिधि में उचित माना गया हो । अतः जैन धर्म के के विकास की सामान्य दशाओं का अवलोकन करने से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जनपद भिण्ड में इस धर्म की स्थापना लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई होगी और इस आशय के शिलालेख क्षेत्रीय भ्रमण में देखे जा सकते हैं । जनपद भिण्ड में जैन धर्म की प्रमुख अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों का उल्लेख प्रस्तुत समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाओं के उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह पता चलता है कि विक्रम की दूसरी शताब्दी में विशाल जैनसंघ स्पष्टतया से दो भागों में विभाजित हो गया और विभाग का मूल कारण साधुओं का वस्त्र परिधान था जो पक्ष साधुओं की नग्नता का पक्षपाती था वह दिगम्बर कहलाया और जो पक्ष वस्त्र पात्र का समर्थन करता था वह श्वेताम्बर कहलाया किन्तु बाद में उनमें भेद की अन्य सामग्री भी जुटती गयी और धीरे- धीरे दोनों सम्प्रदाओं में भी अवान्तर पन्थ हो गये किन्तु भेद के कारणों पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि जैन धर्म के विभिन्न सम्प्रदाय में तात्विक दृष्टि से भेद नहीं है बल्कि जो कुछ भेद है वह अधिकांश में व्यवहारिक दृष्टि से ही है सभी जैन सम्प्रदाय और पन्थ अहिंसा और अनेकांतवाद के अनुयायी हैं आत्मा परमात्मा, मोक्ष/संसार आदि के स्वरूप के विषय में कोई भेद नहीं है । विश्लेषण की दृष्टि से प्रत्येक सम्प्रदाय और उसके अवान्तर पन्थों का परिचय निम्न प्रकार है ---

§1§ दिगम्बर सम्प्रदाय :-- दिगम्बर सम्प्रदाय के साधु नग्न रहते हैं । वे जीव- जन्तु को दूर करने के लिए मोरपंख की एक पीछी रखते हैं और मल- मूत्र वगैरह की बाधा के लिए एक कमण्डलु रखते हैं, जिसमें प्रासुक जल रहता है दिन में एकबार खड़े होकर अपने हाथ में ही भोजन लेकर आहार लेते हैं । दिगम्बर साधु का यह स्वरूप

प्रारम्भ से प्रायः ऐसा ही चला आ रहा है । समय के साथ दिगम्बर संघ में मतभेद उभरने लगे और आचार प्रक्रिया को लेकर कुछ संघों का उदय हुआ ।

§2§ मूलसंघ :—— इसकी उत्पत्ति का स्थान और समय अज्ञात है परन्तु इसका सम्बन्ध विशेष कुन्द - कुन्द आचार्य से रहा है । कुन्द कुन्द का समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना गया है शिथिलाचारी साधुओं के विरोध में विशुद्धतावादी साधुओं ने जिस आन्दोलन को चलाया उसे मूलसंघ कहा गया है ।

3§ यापनीय संघ :—— यह सम्प्रदाय दिगम्बर श्वेताम्बर के बीच की एक कड़ी थी इसकी स्थापना वि0सं0 205 में श्री कलशाचार्य के श्वेताम्बर साधु ने की थी यह सम्प्रदाय कर्नाटक और उसके आस पास प्रभावशाली रहा ।

§4§ द्रविड़ संघ :—— इस का सम्बन्ध द्रविड़ देश से है द्रविड़ देश में रहने वाले जैन समुदाय का नाम द्रविड़ संघ है दर्शनसार के अनुसार इस संघ की स्थापना पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दि ने वि0सं0 526 में दक्षिण मथुरा में की ।

§5§ कूर्चक संघ :— कर्नाटक प्रान्त में ईसा की पाँचवी शताब्दी में जैनो का एक सम्प्रदाय कूर्चक नाम से था यह साधुओं का ऐसा सम्प्रदाय था जो दाढ़ी मूँछ रखता था इस कारण कूर्चक कहलाता था ।

§6§ काष्ठा संघ :—— इस संघ की उत्पत्ति मथुरा के समीपवर्ती काष्ठा ग्राम में हुई दर्शनसार के अनुसार इस संघ की उत्पत्ति वि0सं0 653 में दक्षिण प्रांत में विनय सेन के शिष्य कुमार सेन द्वारा की गई थी उन्होने कर्कश केश और गौ की पूँछ ग्रहण करके सारे देश में उन्मार्ग चलाया ।

§7§ गौड़ संघ :—— इस संघ का उल्लेख एक ही लेख में मिलता है गौड़ संघ के आचार्य सोमदेव के लिए चालुक्य राज्य वदिग द्वारा शुभ धाम जिना लय के बनवाने का उल्लेख है ।

§8§ श्वेताम्बर सम्प्रदाय :—— इस सम्प्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनके पास चौदह उपकरण होते हैं——— 1. पात्र 2. पात्रबन्ध 3. पात्रस्थापन 4. पात्र प्रमार्जनिका 5. पटल 6. रजस्त्राण 7. गुच्छक 8.9. दो चादरें 10. ऊनी वस्त्र §कम्बल§ 11. रजोहरण 12. मुखवस्त्र 13. मात्रक 14. चोलपट्टक ।

इनके सिवाये अपने हाथ में एक लम्बा डण्डा भी लिये रहते हैं । श्वेताम्बर मत के अनुयायी जिन मूर्तियों को वस्त्र आभूषणों से सजाते है । दिगम्बर सम्प्रदाय की तरह श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भी विभेद हैं

1. पुजेरा या मूर्ति पूजक या साधु मार्गी —— इस मत के व्यक्ति मूर्ति पूजा करते है मूर्तियर केशर चढ़ाते है साधु श्वेत वस्त्र धारण करते है बोलते समय मुँह पर सफेद पट्टी लगाते हैं ।

2. ढूंढिया या स्थानकवासी :—— इस मत के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास नही करते । इनके साधु मुँह पर सफेद पट्टी रखते हैं बदन पर केवल सफेद वस्त्र धारण करते हैं ।

3. तेरह पंथ :—— इस पंथ की स्थापना भीकम जी महाराजा ने वि०सं० 1817 में की थी वे तरह सिद्धान्त – पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति पर अधिक जोर देते हैं इस कारण तेरह पंथ कहलाया ।

4. तारण पंथ :—— परवार जाति के एक व्यक्ति ने जो बाद में तारण तरण स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, ईसा की पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त में इस पंथ को जन्म दिया यह पंथ मूर्ति पूजा का विरोधी है इनके उपासना स्थल को चैत्यालय कहा जाता है और उनमें मूर्ति की जगह शास्त्र विराजमान रहते हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है किन्तु द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता ।

5. नवीन मत :——वर्तमान में दिगम्बर सम्प्रदाय में एक नया उपभेद स्थापित हुआ जो "कानजीपंथ" के नाम से प्रचलित हो रहा है इस मत में कुन्द कुन्द स्वामी के विचारों को प्रधानता दी गयी ।

इस विवेचन विवेचन में यह स्पष्टरूप से देखने में आया कि जैन धर्म मुख्यरूप से दो शाखाओं में विभाजित हुआ । और पीछे से प्रत्येक में उप सम्प्रदाय उत्पन्न हुए । फिर भी सभी मत और उनके अनुयायी एक वीतरागदेव को ही मानते हैं ।

भिण्ड नगर के उत्तर दिशा में इटावा राजमार्ग पर बरही गाँव स्थित है यह गाँव भिण्ड से सतह कि० मी० दूर चम्बल नदी के किनारे

बसा हुआ है गाँव के पश्चिम दिशा में एक ऊँचे टीले पर प्राचीन जैन मन्दिर बना हुआ है यह सिद्ध क्षेत्र है । बताया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी का समवशरण पहले भिण्ड जिले के बरासो गाँव में रुका, फिर चलकर बहरी गाँव में आया । समवशरण के रुकने के स्थान पर बहरी गाँव में जैन मन्दिर की स्थापना हुई की गई, जिसका निर्माणकाल ढाई हजार वर्ष पूर्व का हुआ बताया जाता है । बरई का प्राचीन नाम वल्कीपुर माना जाता है । पुरातत्वीय शोध के बीच में प्राचीन भवन एक हजार वर्ष का प्रतीत होता है इस अतिशय क्षेत्र पर प्राप्त जिन प्रतिमाएं 10 वीं 11वीं शताब्दी की हैं । बरासो गाँव भी समवशरण क्षेत्र बताया जाता है आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर का समवशरण यहाँ कुछ समय के लिए रुका था । जिस स्थान पर समवशरण रुका, उसी स्थान पर बेसली नदी के किनारे मन्दिर का निर्माण कराया गया । इस मन्दिर में भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित है । इसके अतिरिक्त जैन तीर्थंकरों की लगभग 20 प्रतिमाएँ रखी हुई हैं, जिनमें से एक 11वीं सदी के मध्य की है ।

भिण्ड लहार मार्ग पर पैंतीस कि0मी0 की दूरी पर रौन कस्बा स्थित है यह ग्राम बहुत प्राचीन बताया जाता है इसी ग्राम के बीच में एक प्राचीन जैन मन्दिर है इसके पास जैन वर्गों की बस्ती होने से यह जैन मोहल्ला कहलाता है । इस मन्दिर में अजनार ग्राम से ई0 1956 में 13वें जैन तीर्थंकर भगवान विमल नाथ की एक भव्य प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई थी । जिसकी प्रतिष्ठापना मूर्ति पर अंकित पादलेख के अनुसार उज्जयनी के नरेश महाराजा भोज ने वीर सं0 1305 में कराई थी । जनपद भिण्ड से इक्कीस कि0 मी0 की दूरी पर पिपलपुरा चौराहा मिलता है इस चौराहे से पश्चिम दिशा की ओर तीन कि0 मी0 की दूरी पर ग्राम पावई पड़ता है इसी ग्राम के उत्तर दिशा में एक प्राचीन जैन मन्दिर है, जो ग्यारहवीं शताब्दी का बना बताया जाता है । भिण्ड इटावा राजमार्ग पर भिण्ड से 13 कि0 मी0 पर फूफ नगर उत्तर दिशा में स्थापित है । यहाँ से पश्चिम उत्तर दिशा में तीन कि0 मी0 पैदल मार्ग द्वारा ग्राम चाली होकर बहेरी पहुँचते हैं इसी ग्राम की उत्तरी दिशा में समीप ही एक प्राचीन जैन मन्दिर स्थापित है । मन्दिर की प्राचीनता 200-300 वर्ष

पुरानी बतायी जाती है । एक मान्यता जनपद में ऐसी है कि भिण्डी ऋषि जिनके नाम पर इस जनपद का नाम भिण्ड पड़ा है वह जैन ऋषि थे । जनपद भिण्ड के निकट ही एक स्थान सोरीपुर है जिसे भगवान नेमिनाथ की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है । जनपद भिण्ड की सीमा से सटा हुआ नगर फिरोजाबाद है इस नगर बस से 6 कि0 मी0 दूर यमुना तट पर चन्द्रवार नगर स्थित है इस नगर की स्थापना वि0 सं0 1052 में चन्द्रपाल नाम के एक दिगम्बर जैन राजा की स्मृति में की गयी थी ।

बरही में श्री 1008 श्री अजितनाथ भगवान का भव्य जिनालय चैत कृष्ण द्वितीय गुरुवार वीर सम्वत 1520 को देवी द्वारा निर्मित किया गया है । ऐसी मान्यता प्राचीन समय से है । ऐतिहासिक दृष्टि से जनपद भिण्ड में शिवमत और जैन मत ही प्रभावशाली रहे । भिण्ड जिले की अटेर तहसील में एक ग्राम कनारारा है । यह ग्राम बहुत पुराना बताया जाता है यहाँ पर एक पुराना जैन मन्दिर चन्द्रहवी शताब्दी का बना बताया जाता है । यहाँ पर स्थापित सोने चाँदी की जैन मूर्तियों की पूजा अर्चना यहाँ होती रही ।

धार्मिक प्रसंग में प्राप्त ऐतिहासिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि जनपद भिण्ड में शिवमत सम्प्रदाय तथा जैन मत सम्प्रदाय अत्याधिक प्रभाव शील रहे क्यों कि नगर एवं उसके आस पास शैव एवं जैन मन्दिरों की अधिकता है । सामान्य सर्वेक्षण की अवधि में व्यक्तिगत रूप से यह अवलोकित किया गया कि भिण्ड के प्रत्येक ग्रामीणक्षेत्र परम्परागत जैन मन्दिर स्थापित है इसक्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर यह निर्दिष्ट होता है कि जैन धर्म का सम्भु वर्ग लगभग 800 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया और इस वर्ग के सदस्य वर्तमान समय में जनपद भिण्ड में सर्वत्र वितरित है । ब्रिटिश कालीन मध्य प्रान्त के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जैन धर्म के प्रसंग में एक निष्कर्ष यह भी प्राप्त होता है कि मध्य प्रान्त का सबसे बड़ा राजवंश कलचुरीवंश का था जो जैन धर्म का समर्थक माना जाता था । ऐतिहासिक विवरणों के प्रसंग में किये गये तुलनात्मक विवेचन से एक सूचना प्राप्त हुई और वह

इस प्रकार है — आचार्य ऋषभदेव द्वारा मान्यनीय मूल्य में प्रवर्तित की विवेचना धर्म के रूप में अहिंसात्मक अवधारणा के अन्तर्गत की तथा इसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन में सुखी रह सकता था और कालान्तर में मोक्ष भी प्राप्त कर सकता था। वस्तुतः इस सिद्धान्त के माध्यम से एक विशेष प्रकार की संस्कृति का निर्माण हुआ और उसे जैन दर्शन में श्रमण संस्कृति माना जाता है । इस संस्कृति के प्रमुख पोषक के रूप में आचार्य अजित नाथ सहित समस्त जैन समाज को माना जाता है ।

धार्मिक प्रसंग में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वस्तुतः जैन धर्म के समस्त अवधारणायें एवं सिद्धान्त शाश्वत रूप में मान्यनीय हैं । इस धर्म में अहिंसावादी मार्ग का प्रचलन इस अभिप्राय से प्रचलित किया गया है कि ईश्वर द्वारा स्थापित प्रत्येक जीव संज्ञा की रक्षा की जा सके । पाप और पुण्य के विकल्प व्यवस्था के अन्तर्गत एक ऐसी कार्य शैली निर्मित करने के अभिप्राय से स्वीकृत किये गये, जिससे कि धार्मिक गतिविधियों के प्रवाह में निरन्तरता रहे । अजर अमर आत्मा का सिद्धान्त भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम धरोहर है और इसका समर्थन जैन सम्प्रदाय द्वारा भी किया गया । व्यक्ति समाज में रह कर नीति निर्धारक तत्वों का अनुपालन एवं प्रचार करे — यह मान्यतावादी पक्ष है और इसकी पुष्टि अनेक कालों में जैन महर्षियों द्वारा समय-सामयिक रूप से की है । जनपद भिण्ड में विद्यमान एक जिनालय अत्यधिक प्राचीन है और वर्तमान समय में इस मन्दिर पर दर्शनार्थ श्रद्धालु भक्तों का बहुत बड़ा समूह प्रतिदिन एकत्रित होता है, तथा इसकी व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा सक्रिय सहयोग दिया जाता है ।

धार्मिक प्रसंग में जनपद भिण्ड के स्थापना के परिप्रेक्ष्य में एक दृष्टान्त इस प्रकार प्राप्त होता है कि कई हजार वर्ष पूर्व भिण्डी ऋषि का आगमन इस स्थान पर हुआ और उनके द्वारा कई वर्षों तक यहाँ तप कार्य किया गया । इस प्रकार इस तपोभूमि का नाम कालान्तर में भिण्ड पड़ गया । जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जनपद भिण्ड में धार्मिक गतिविधियों का जो सिल-सिला प्राचीन समय से प्रारम्भ हुआ वह निरन्तर चल रहा है । धार्मिक प्रसंग में यह उल्लेख किया जा सकता है कि जिस प्रकार दैनिक आचार संहिता होती है का निर्माण तत्कालीन मनीषियों ने किया उसका अधिकांश

प्रतिशत वर्तमान समय में प्रचलित है, उदाहरणार्थ दैनिक कर्म, मन्त्रों का उल्लेख, पानी छानकर पीना तथा सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान के अनेक अवसर भिण्ड जनपद में वर्तमान जैन समाज में एक उल्लेखनीय मौलिकता है । जैन धर्म की मूल आस्था जड़ चेतन और अचेतन अवधारणाओं में है । धर्म के सापेक्ष प्राप्त समाज शास्त्रीय सूचनाओं का विवरण समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्याधिक उपयोगी है, और इसका कारण यह हो सकता है कि समानान्तर उपर्युक्त विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं । जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन सम्प्रदाय के व्यक्तियों से प्राप्त सामान्य धार्मिक दृष्टिकोणों को परीक्षित किया गया और उसका विश्लेषण तालिका संख्या - 10 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि शतप्रतिशत उत्तरदाताओं ने जैन धर्म की महत्ता को स्वीकृत किया है । इसका अभिप्राय यह है कि सर्वेक्षण में संकलित समस्त उत्तरदाता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग में विश्व के विभिन्न समाजों में स्वतः के धर्म का अनुपालन करने का जो प्रचुर प्रसार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जनपद भिण्ड का जैन समाज कैसे अपवाद रह सकता था । इसके समक्ष संवैधानिक रूप से जब धार्मिक अनुपालन की पूर्ण स्वतंत्रता है तो व्यक्ति द्वारा स्वतः के धर्म को अनुपालित किया जाना सामाजिक एवं वैधानिक हित में है । प्रस्तुत प्रसंग में समीपवर्ती प्राप्त सूचना - जैन धर्म के विभाजन के प्रसंग में पक्ष एवं विपक्ष में 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत मानक में प्राप्त हुई है । इस तथ्य का निरूपण करने से स्पष्ट होता है कि धार्मिक सम्प्रदाय के विभाजन परम्परात्मक आधारों पर है और इसका निर्वाह सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाताओं के एक बड़े प्रतिशत द्वारा किया जा रहा है । तदोपरान्त प्राप्त उद्धार के प्रसंग में सूचना निर्दिष्ट करती है कि 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार धर्म के माध्यम से उद्धार हो सकता है जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में अस्वीकृति दी है और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकता है कि संभवता न्यून प्रतिशत वाले उत्तरदाताओं के व्यक्तित्व पर आधुनिक

तालिका संख्या- ऽ1.6ऽ

उत्तरदाताओं के मतानुसार जैन धर्म का दृष्टिकोण

क्र.सं.	दृष्टिकोण	विचार हाँ	विचार नहीं	कुलप्रतिशत
1.	जैन धर्म महत्वपूर्ण है	100	---	100
2.	जैन धर्म के क्रियाकलाप उचित हैं	80	20	100
3.	धर्म के माध्यम से उद्धार हो सकता है	98	2	100
4.	जैन धर्म में जादू-टोना महत्वपूर्ण है	95	5	100

सामाजिक शक्तियों का प्रभाव हो । क्योंकि इसके पश्चात बाहु टोने के प्रसंग में प्राप्त 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं की स्वीकृति निर्विवाद रूप से यह सम्मति है कि धार्मिक प्रसंग के मूल्य वर्तमान जैन समाज में आज भी उपलब्ध हैं । इस प्रकार वर्तमान तालिका की उपलब्धियाँ धार्मिक परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः गुणात्मक एवं अत्यधिक उल्लेखनीय है । तालिका संख्या - 11 में धार्मिक कार्यों से सम्बन्धित माध्यमों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । वस्तुतः यह तालिका सम्यक पुष्टि के उद्देश्य से निर्मित की गयी है इसप्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि भजन कीर्तन, कथा, यज्ञ, वस्त्र चढ़ाना, माला जपना आदि आदि कार्यक्रमों में उत्तरदाताओं की शतप्रतिशत स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो पुनश्च यह पुष्टि करती है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाला जैन सम्प्रदाय का प्रतिनिधि निर्धारित आधार संहिता का अनुपालन करता है प्रस्तुत प्रसंग में साधारण अवलोकन से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से भी यह पुष्टि होती है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाला जैन सम्प्रदाय की धार्मिक गतिविधियों का संचालन अनेक प्रकार के माध्यमों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और दैनिक कार्यक्रम के अन्तर्गत इनका समावेश जैन प्रतिनिधियों में है । धर्म सम्प्रदाय की संचालन की पद्धतियों का प्रभाव प्रत्येक सामाजिक व्यक्तित्व पर पड़ता है मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के अन्तर्गत इस बात के प्रमाण अनेका एक हैं कि सामाजीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत जिन इकाइयों का बाहुल्य होगा उन्हीं का सापेक्ष प्रचलन कालान्तर में व्यक्ति द्वारा किया जायेगा । एशिया महाद्वीप में जहाँ देशीयता के सापेक्ष धार्मिक मान्यताओं को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी स्थान पर मध्य प्रदेश प्रान्त का जनपद भिण्ड संवैधानिक गरिमा के अनुरूप ऐसे जैन प्रतिनिधियों से परिपूर्ण है जिनमें उदारवादी प्रवृत्ति वर्तमान सर्वेक्षण में 89 प्रतिशत प्राप्त हुई है और इसका प्रदर्शन तालिका संख्या- 12 में किया गया है कट्टर वादी धर्म समर्थक के रूप में 11 प्रतिशत उत्तरदाता संकलित किए गये हैं और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है कि संभवता इस वर्ग के प्रतिनिधियों के मन में परम्परागत मान्यताओं का सर्वाधिक प्रभाव है वर्तमान प्रसंग में

तालिका संख्या - (11)

उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यमों का विवरण

क्र. सं.	माध्यम	प्रतिशत
1.	भजन कीर्तन	100
2.	कथा	100
3.	यज्ञ	100
4.	वस्त्र चढ़ाना	100
5.	माला जपना	100
6.	अन्य	100

तालिका संख्या- {12}

उत्तरदाताओं के सामान्य धार्मिक प्रवृत्ति का विवरण

क्र. सं.	प्रवृत्ति	प्रतिशत
1.	कट्टर पंथी	11
2.	उदार	89
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

प्रश्न कट्टरवादी एवं उदारवादी दृष्टिकोण का यह नहीं है कि जैन धर्म समाज के मूल मान्यता कट्टरवादी है, लेकिन परिवर्तित वर्तमान सामाजिक आयामों में संभवता प्राप्त उदारवादी है. दृष्टि कोण व्यवहारिकता का परिणाम है । इस प्रकार धार्मिक सम्प्रदाय की सामान्य गतिविधियों का संचालन त्रिपक्षीय अर्थ में — व्यक्ति, सिद्धान्त एवं व्यवहारिकता के वशीभूत होकर किया जा रहा है और वस्तुतः यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय उपयोगिता का है । तालिका संख्या- 13 में धार्मिक गतिविधियों के नियन्त्रण के अभिप्राय से प्राप्त सूचनाओं का संकलन प्रस्तुत किया गया है । इस संदर्भ में प्राप्त तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि धार्मिक गतिविधियों के संचालन की इकाईयां पारस्परिक सामंजस्य में हैं । इस वर्ग में संकलितअनेक वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है और प्राप्त निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन प्रतिनिधियों के विचारों पर परम्परागत मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव है ।

धार्मिक क्रियाकलापों की विविध अभिरुचियों का मूल्यांकन वर्तमान सर्वेक्षण में किया गया और इसकी गुणात्मक इकाईयों को तालिका संख्या - 14 में संकलित किया गया है । जैन धार्मिक क्रियाकलापों के अनुपालन की स्वीकृति 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दी इसकेअलावा शतप्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह मत व्यक्त किया है कि धार्मिक कार्यक्रमों में कोई आडम्बर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शतप्रतिशत उत्तरदाता इस धारणा के भी हैं कि धर्म और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं और शतप्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार शुभ कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व मूर्ति दिखाना आवश्यक है । समीपवर्ती सूचना में समीपवर्ती अनुपात प्राप्त हुआ है कि दूसरे धर्म के व्यक्तियों से सामंजस्य उचित है । इस प्रसंग में परम्परागत मान्यता का एक परीक्षण और भी किया गया जिसमें प्राकृतिक आपदा के निराकरण में धर्म का योगदान मूल्यांकित किया गया और इस क्रम में 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया तथा 9 प्रतिशत उत्तरदाता नकारात्मक मत के प्राप्त हुए । वस्तुतः वर्तमान तालिका के बहु मुखीय आयाम पारस्परिक रूप से कदापि विरोधाभाषी नहीं हैं और तालिका में व्यक्त समस्त तथ्यों की पृष्ट भूमि में यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश प्रान्त

तालिका संख्या - (13)

उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक गतिविधियों के संचालन का विवरण

क्र. सं.	संचालन का प्रकार	मत		कुल प्रतिशत
		हाँ	नहीं	
1.	पिता द्वारा	50	50	100
2.	माता द्वारा	58	52	100
3.	स्वयं द्वारा	10	90	100
4.	दादा - दादी द्वारा	50	50	100
5.	पुजारी द्वारा	100	—	100

तालिका संख्या - (14)

उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक क्रिया कलापों की अभिरुचियों का विवरण

क्र.सं.	अभिरुचि	मत हाँ	नहीं	कुलयोग
1.	जैन धार्मिक क्रिया कलापों का पालन करते हैं	98	2	100
2.	धर्म में आडम्बर आवश्यक है	—	100	100
3.	धर्म एवं विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं	100	—	100
4.	शुभ कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मुहूर्त दिखाना आवश्यक है	100	—	100
5.	दूसरे धर्म के व्यक्तियों से सामंजस्य उचित है	56	44	100
6.	प्राकृतिक आपदायें धर्म के माध्यम से कम निराकृत की जा सकती हैं	91	9	100

के जनपद भिण्ड में जैन धार्मिक गतिविधियों का सम्पूर्ण क्रियान्वयन परम्परात्मक शैली में हो रहा है और जहाँ कहीं भी न्यूनांश विचलन है वह मात्र आकस्मिक अपवाद स्वरूप है ।

(ब) जनपद भिण्ड में जैन जनसंख्या
=========================

वर्तमान शोध प्रबन्ध की अवधि में प्रशासनिक अभिलेखों के आधार पर जनपद भिण्ड की जैन जनसंख्या एकत्रित की गयी और इसका प्रदर्शन तालिका संख्या-15 में किया गया है, इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1981 से लेकर 1991 की अवधि में लगभग 6 हजार व्यक्तियों की वृद्धि जैन धार्मिक वर्ग में हुई है । एक अपरोक्ष तुलना के आधार पर यह भी प्रमाण मिला कि पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 1:1.6 है, जो यह निर्दिष्ट करता है कि जनपद भिण्ड में जैन सम्प्रदाय के अन्तर्गत महिला सदस्यों की अधिकता है । पुरुष एवं महिला सदस्यों का प्रमाणिकता के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए उसे वर्तमान तालिका में अंकित नहीं किया गया है ।

(स) सामाजिक घटनाक्रम
===================

वर्तमान शोध प्रबन्ध में क्रम में सामाजिक घटनाक्रमों का उल्लेख इस अपेक्षा से किया जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के उन देदीप्यमान मानकों की व्याख्या सम्भव हो जो आदि काल में स्थापित किये गये थे । व्यक्ति एवं समाज की सम्पृक्तता को मैकाइवर एवं पेज जैसे समाजशास्त्रियों द्वारा स्थापित किया गया जो दर्शन में सामाजिकता का प्रसंग दो पक्ष में स्पष्ट किया गया है — व्यक्ति की मूल उत्पत्ति तथा सामाजिक संरचना में इसके उत्तरदायित्व । इनकी मिश्रित समीक्षा प्रस्तुत प्रसंग में इसलिये की जा रही है जिससे कि सिद्धान्तगत धारणाओं का वास्तविक विमोचन हो सके । परस्पर सहयोग, समन्वय, सद्भाव और एकता समाज की अभ्युन्नति का अवलम्बन है । जैन धर्म समाज व्यवस्था आत्मानु शासन पर केन्द्रित है । जैन संस्कृति और उसकी व्यवस्था एक क्रांतिकारी दर्शन लिए हुए है । उत्तराध्ययन

तालिका संख्या -{15}

जनपद भिण्ड में जैन समाज की जन संख्या का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	जनसंख्या
1.	1981	36342
2.	1991	42001

स्रोत :- राष्ट्रीय सर्वेक्षण, भारत सरकार

में स्पष्ट कहा गया है कि — कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से शूद्र होता है जाति की कोई महिमा नहीं, महिमा हैतप की। प्रत्येक आत्मा सर्वोच्च विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है इसमें वर्ण, जाति, गोत्र, का कोई बन्धन नहीं। जैन संस्कृति की यह कर्मणा व्यवस्था बहुत समय तक नहीं चल सकी। उत्तरकाल में यह वैदिक संस्कृति से प्रभावित होनेलगी और आठवीं शताब्दी के आते आते जैन धर्म ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को दबी आवाज में स्वीकार कर लिया। यह व्यवस्था सामाजिक दृढ़ता बनाये रखने के लिए स्वीकार करली गई। इस प्रकार जैन धर्म में समाज व्यवस्था कर्मणा रहते हुए जन्मना की ओर झुकने लगी।

जैन जातियों का निर्माण कब और कैसे हुआ इसका इतिहास गर्भ में है निर्माणकाल को लेकर विद्वानों के विचारो में अनुकूलता दिखाई नहीं देती है। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वान, जातियों की स्थापना दसवीं शताब्दी में मानते हैं। जबकि अन्य विद्वान विक्रम की प्रथम शताब्दी में मानते हैं। और प्रथम शताब्दी से ही जाति निर्माण की प्रक्रिया को मानते हैं। इस सम्बन्ध में सिद्धांताचार्य पण्डित फूलचन्द शास्त्री अभिनन्दन" ग्रन्थ में शास्त्री जी ने अपने एक लेख "पोरवाड(परवार) अन्वय) में अपने विचार प्रस्तुत किये है कि दो हजार वर्ष पूर्व में मानव समाज अनेक भागों में विभक्त हो गया था। वर्तमान में जो अनेक उपजातियां दृष्टि गोचर होती हैं उनकी नींव बहुत पहले पड़ गई थी और उस समय जैन धर्म जो जाति प्रथा का विरोधी था वह इस दोष से अपने को नहीं बचा सका। इस सम्बन्ध में शौरीपुर(बटेश्वर) से प्राप्त आचार्य पट्टावली है, इसके कुछ अंश इस प्रकार है- " विक्रम सम्वत् 26 में कुन्दि गुप्त स्वामी जाति के पमार विक्रमेय के नातीताने 52 पोहनपुर में सहस्त्र परिवार पाये श्री जिन सेन ने खण्डेला में खण्डेलवाल पाये वहीरा में श्री लोहाचार्य ने बघेरवाल पाये। श्री मानतुंग ने बागड़ में बागड़िया पाये। स्थूल भद्र ने ओसा में ओसवाल पाये। जैसलमेर में जैसवाल पाये। पुरपट्टन में पोरवाड़ पाये। हेमाचार्य ने पल्लीवाल पाये। इतिक्रम में महावीर कीर्ति के गुटके में एक पट्टावली है, जो नेमीचन्द ज्योतिषाचार्य द्वारा रचित"तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा नामक पुस्तक में प्रकाशितहै।"

इस पट्टावली में आचार्यों की जन्म तिथि, नाम जाति, गृहस्थ वर्ष, दीक्षा वर्ष, पट्ट वर्ष, सर्व वर्ष दिये हैं। जब शौरीपुर में प्राप्त पट्टावली और महावीर कीर्ति के गुटके में प्रकाशार्थ पट्टावली का मिलान होता है तो स्पष्ट होता है कि विक्रम की प्रथम शताब्दी से ही जाति निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया था।

उपजातियों के इतिहास के सम्बन्ध में शास्त्रों में उल्लेख नहीं है जाति निर्माण के सम्बन्ध में सबसे अधिक सप्रमाण कथन आदि पुराण में पाया जाता है, मगर उसमें उपजातियों का कहीं भी नाम नहीं है यथा—

भरते पंचमे काले नानासंकलमाकुलम्।
वीरस्य शासनं जातं विचित्राः कालशक्तयः ॥2॥
स्वर्गं गते विक्रमार्के भद्रबाहौ च योगिनि।
प्रजाः स्वच्छन्दचारिण्यो बभूवुः पापमोहिताः ॥3॥
यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां परमार्थविदामपि।
स्वापराध्यबलायदभाविरासीदतिक्रमम् ॥4॥
तदा सर्वोपकाराय जातिसंकर भीरुभिः।
महर्द्धिकैः परं चक्रुग्रामाख्याभिधया कुलम् ॥5॥

—— नीतिसार।

अर्थात पंचम काल में वीर भगवान का शासन (जैनधर्म) नाना संघों में विभाजित हो गया। काल की शक्ति ही कुछ विचित्र है विक्रमादित्य और भद्रबाहु के स्वर्ग चले जाने के बाद प्रजा एकदम स्वच्छन्द हो गई, और लोग पापयुक्त हो गये। मुनिजन भी स्वपर का विवेक भूल गये और उनकी वृत्ति बिगड़ गई उस समय जाति संकरता के डरसे कुछ प्रभावक लोगों ने ग्रामादिक के नाम से जातियों की रचना कर डाली।

नीति शास्त्र के इस कथन से स्पष्ट होता है कि ग्रामादिक के नाम पर जातियों की रचना कर दी गई थी, इसलिए उन्हें अनादि या स्थाई नहीं माना जा सकता है। इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है। जैन समाज में लिये 84 जातियों के वृत्तान्त साहित्य में मिलते हैं, परन्तु व्यवहारिक रूप से इन समस्त 84 जातियों के

प्रचलन वर्तमान समय में नहीं देखे जा सके । इन 84 जातियों का विवरण-तालिका संख्या 16 में देखा जा सकता है । जनपद भिण्ड में सभी उपजातियों का समावेश तो देखने को नहीं मिलता है लेकिन कुछ प्रमुख जातियां जिनका जनपद भिण्ड में ही सबसे अधिक बाहुल्य है- जिला भिण्ड के अलावा अन्य क्षेत्रों एवं प्रदेशों में इनका रूप कम देखने को मिलता है । उनका उल्लेख एवं विवरण दिया जा सकता है-

1. गोलसिंगार (गोलसिंगारे)
2. बरोंया
3. लैंबेचू
4. गोलालारे

गोलालारे और बरोंया की जातियों के सम्बन्ध में अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि पहले सिर्फ एक जाति "गोला लारे" थी और "बरोंया" उसका गोत्र थी । (अजीगंज के मन्दिर में मंत्र नं. 2 में गोलालारे बरोंया वीसाडु उदैराज" ऐसा उल्लेख है यह लेख संवत 1684 का है तथा जसवन्त नगर के मंत्र नं. 5 से संवत 1691 में भी बरोंया गोत्रे ऐसा उल्लेख है, तथा मंत्र नं. 10 में गोलाराला बरोंआ की" संवत 1684 लिखा है, तथा इससे भी प्राचीन हथिकांट की प्रतिमाओं में मात्र गोला लारे जाति का उल्लेख है) इन सब प्रमाणों से प्रगट है कि गोलालारे जाति का बरोंया एक गोत्र है । इस जाति में बरोंया और मिठौवा भेद भी हैं । इस संदर्भ में ऐतिहासिक विवेचन यह है कि इक्ष्वाकुवंशी महाराजाधिराज भानु प्रताप जो इतिहास में भानुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है पूर्वी मालवा अमरावती में इनका राज्य शासन था । मालवा का ही एक अंग गोलाकुण्ड था इनके ही वंश में गुलाबचन्द थे । जो गोल कुण्ड में आकर परिजनों सहित रहने लगे, गोलाकुण्ड से जब भी बाहर जाते थे तो उन्हें गोलालार वाले (अर्थात गोलाकुण्ड के निकट रहने वाले) नाम से जाना जाता था । मालवा के समीप को लार कहा जाता है । अतः गोलकुण्ड के समीप बसने वाले गुलाबचन्द के वंशज "गोलालारे" कहलाये । इन्हीं के वंश में ताराचन्द हुए जिन्होंने ग्वालियर मध्य प्रदेश में वि० स० 791 में पावई नामक नगर बसाया और एक बड़ा जिनालय बनाकर प्रतिष्ठा कराई थी इनके दो पुत्र

तालिका संख्या - (16)

जैन समाज में जातियों का सामान्य वर्गीकरण

क्र. सं.	जाति का नाम	क्र. सं.	जाति का नाम	क्र. सं.	जाति का नाम
1.	खंडेलवाल	15.	श्रीमाल	29.	बघेरवाल
2.	दूसतवाल	16.	मेडतवाल	30.	पुकरवाल
3.	अगलवाल	17.	अग्रवाल	31.	ओसवाल
4.	जैसवाल	18.	डीसावाल	32.	करवाल
5.	रायकवाल	19.	अधीतवाल	33.	श्रीमाली
6.	जायतवाल	20.	नानावाल	34.	कारवाल
7.	गुरुवाल	21.	पल्लीवाल	35.	अठसखापरवार
8.	पुरवार	22.	मुरीवार	36.	पद्मावतीपुरवाल
9.	तारणिया, पुरवार	23.	खारापुरवार	37.	मानीपोरवार
10.	जांगरा पोरवाल	24.	हरतोर	38.	अनदोरा
11.	हरदोरा	25.	बघनोरा	39.	दसोरा
12.	सोहोरा	26.	पीतोरा	40.	कैरा
13.	तैरा	27.	जनहरा	41.	नम्बूसरा
14.	भवारा	28.	तायोरा	42.	नरसिंहपुरा

क्र. सं.	जाति का नाम	क्र. सं.	जाति का नाम	क्र. सं.	जाति का नाम
43.	गोलापूरब	57.	गोलालारे	71.	गोलसिंगारे
44.	बरैया	58.	तेरहिया	72.	नागरिया
45.	करहिया	59.	करनतिया	73.	गहमातया
46.	बड़बड़	60.	नारायण	74.	दूसरे
47.	कठनेरे	61.	हैडू	75.	बलाकमकोमटी
48.	अठना	62.	चवपड़ा	76.	बेहराना
49.	भाड़ाबाड़ा	63	लाडू	77.	धनोरा
50.	कांधड़	64.	गंगरानी	78.	खडायता
51.	बजद	65.	पढ़ी	79.	नीवा
52.	[illegible] धारक	66.	तहेलवा	80.	नेमु
53.	हूमड़	67.	भटनागर	81.	कपोल
54.	गोड़	68.	श्रीगोड़	82.	श्री श्रीमाल
55.	पार्थ	69.	पंचम	83.	कपूरी
56.	नागदह	70.	कपूरी	84.	नागदह

खेसाह और भिठ्ठूसाह हुए इन दोनों में किसी कारण को लेकर मत भेद हो गये थे और राज्य दो भागों में बँट गया — तत्पश्चात दोनों भाइयों ने पावई में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई । पावई वर्तमान में भिण्ड जिले में है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अवसर पर जल व्यवस्था हेतु अपने- अपने क्षेत्र में दोनों भाइयों ने दो कुँये खुदवाये । खेसाह के कुँए का पानी खारा निकला इस कारण उनकावंश खरौआ कहलाया । भिठ्ठूसाह ने जो कुँआ खुदवाया उसका पानी मीठा निकला , इस कारण उनका वंश मिठौआ कहलाया इस प्रकार गोला लारे समाज के अंग के रूप में जाने जाते थे । एक समय ऐसी स्थिति आई कि खरौआ गोत्र रूप में जाने जाना लगा । वि0 सं0 1686 में यह गोला- लारे समाज से अलग होकर एक स्वाधीन जाति बन गया । दोनों के गोत्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । रहन- सहन एकता है फिर भी आपस में ~~बे ही~~ बेटी व्यवहार नहीं करते हैं ।

लमेचू गोत्र राजपुरोहित पटिया लोगों की बहियों से तथा परम्परा के पुराने लोगों के कथन से यह विदित है कि यदुवंशी जैन क्षत्रिय हैं और लम्बकांचन देश राजा लम्बकर्ण या लोमकरण राजा ने बसाया । उसके रहनेवाले लम्बकंचुक का अपभ्रंश लमेचू कहलाये । लमेचू जाति वंशावली श्रीयुत पं. उमराति राय (उल्फतिराय) जी सेठी अटेर भिण्ड निवासी से प्राप्त — से पता चलता है श्री नेमिनाथ स्वामी के बाड़े में नेमिनाथ व श्री कृष्ण वंश में राजा लोमकरण भये तिन से लम्बकांचन देश प्रख्यात भया इसी से लम्बेचु वंश कहाये जिनके नाम प्रथम सोनी , बजाज रपरिया चंदवरिया राउत बकेवरिया कुम्हार , सोहाने चौसठधारी , बरोलिहा , पचोलये , कुअरूरये , ये द्वादश गोत्र सन्तान प्रति सन्तान राजा लोमकरण के वंशधर द्वादश पुत्रों से भये । — गोलसिंगारे , कोलसिंघाड़े — जनपद भिण्ड में जैन धर्म मानने वाली इस उपजाति की संख्या सबसे अधिक है यद्यपि गोलसिंगारे जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई ठोस साहित्य उपलब्ध नहीं है । लेकिन इस जाति के संबंध में भिण्ड में बहुत सी किवदन्तियाँ हैं , और इस जाति के अनुयायीओं के विचार भी इन किंवद-

किवदन्तियों से मिलते हैं। किवदन्ती के अनुसार जनपद भिण्ड से 20 कि0 मी0 दूर बरासो ग्राम में भगवान महावीर का समोशरण आया था वहाँ एक धर्म सभा का आयोजित किया गया। जिसमें समाज के सभी वर्गों ने चाहे वह किसी मत या जाति के ही समान रूप से भाग लिया — धर्मप्रवाह के वशी भूत होकर भगवानके आदेश से सभा में आये धर्मावलम्बियों ने जैन धर्म अंगीकार किया। तथा इस पंथका अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प लिया। इन्हीं धर्मावलम्बियों को गोलसिंगार के नाम से जाना जाताहै। इनके गोत्रों से पता चलता है कि इस जाति में बहुत सी जातियों के गोत्रों का मिश्रण है। इन प्रमुख जातियों के अतिरिक्त जनपद भिण्ड में अन्य जैन उपजातियां जैसे श्वेताम्बर, जायसवाल, अग्रवाल, पोरवाल, परवार आदि प्रतिनिधित्व करती हैं। जिनकी संख्या बहुत कम है. इन जातियों के संबंध में कहा जा सकता है कि जीवकोपार्जन या व्यावसायिक या नौकरी जैसे कारणों के कारण आवासीय में निवास करने लगे। जैन समाज में प्रचलित परम्परागत जातियों के सापेक्ष वर्तमान सर्वेक्षण में जो जातियां प्राप्त हुई हैं उनका वर्गीकरण तालिका संख्या-17 में प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण में संकलित समस्त उत्तरदाताओं में सर्वाधिक उत्तरदाता 59 प्रतिशत गोल-सिंगारे वर्ग में प्राप्त हुए हैं और लैंचू बरोंया गोलालारे वर्ग में इनका प्रतिशत क्रमशः 20, 13.5 है. जबकि श्वेताम्बर तथा परवार समाज में उत्तरदाताओं का प्रतिशत 1: 2 है। इस विश्लेषण का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में जैनजातियों के अनेक वर्गों के मध्य आनुपातिक विभेदीकरण हैं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक प्रवृत्ति में केन्द्रीयता होने के कारण सक्षम समुदाय के व्यक्तियों का संभवतः भिण्ड क्षेत्र से पलायन होता गया। जाति एवं उपजातीय प्रणाली के प्रसंग में समस्त उत्तरदाताओं के मत में एक समान सहमती है. जिसकी सूचना वर्तमान सर्वेक्षण की अवधि में दैनिक डायरी में अंकित की गयी और इसे प्रस्तुत प्रसंग में ठोस पुष्टिका आधार बनाया जा रहा है इस तालिका की उपलब्धियों में एक तथ्य प्रकाश में आता है, वह इस प्रकार है कि बरोंया, गोलालारे तथा लैंचू वर्ग

तालिका संख्या - [17]

उत्तरदाताओं की जाति का वर्गीकरण

क्र. सं.	जाति	प्रतिशत
1.	गोलसिंघाड़े	59
2.	लैंचू	20
3.	बरौता	13
4.	गोलालारे	5
5.	श्वेताम्बर	1
6.	परवार समाज	2
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

के अतिरिक्त अन्य जैन जातियों के व्यक्तियों की स्थानीय उत्पत्ति के कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हुए हैं । वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाली जैन जातियों के व्यक्तिगत धार्मिक स्थल पूर्णतः अलग संस्था के रूप में विद्यमान हैं । इस संदर्भ में यह भी वर्णन किया जा सकता है कि जातियों के विभेदीकरण के बावजूद भी समस्त सदस्यों में पारस्परिक सौहार्दता स्थापित है ।

उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनकी शैक्षिक स्तरों का वर्गीकरण तालिका संख्या 18 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अशिक्षित वर्ग में 10 प्रतिशत उत्तरदाता हैं तथा इसके सापेक्ष प्राथमिक एवं स्नातक स्तर तक शिक्षित उत्तरदाताओं का समान रूप से 18 प्रतिशत प्राप्त हुआ है । अन्य प्रकार के शिक्षा वर्गीकरणों में जैन समाज के सदस्यों का प्रतिशत यह निर्दिष्ट करता है कि भिण्ड जनपद में साक्षरता प्रतिशत सम्भवतः विकसित हो रहा है । शिक्षा सामाजिक अभिकरण के रूप में विकास का माध्यम है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि इसके उद्देश्य के बारे में जनपद भिण्ड का जैन समुदाय भलीभाँति अवगत है । साधारण सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि व्यवसायिक क्षेत्र में प्रखरता के लिये प्रारम्भिक शिक्षा का योगदान आवश्यक है और जो तथ्य प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की अवधि में प्राप्त हुये हैं उनसे इस आशय की सत्प्रतिशत पुष्टि होती है । प्रत्येक समाज व्यवस्था की गतिविधियों का सामान्य संचालन विचारों के आदान - प्रदान से होता है और इसका परम आवश्यक अंग भाषा है । कदाचित प्राचीनतम समाज व्यवस्था में जो भी अवलम्बन रहे हों उनकी सफलता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है परन्तु वर्तमान समाज में व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रमुख केन्द्रण भाषा द्वारा होता है । इस आशय की प्राप्त सूचनाओं का विवरण तालिका की संख्या 19 में प्रदत्त किया गया है । इस तालिकाका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि हिन्दी वर्ग में 78 प्रतिशत, अंग्रेजी वर्ग में 10 प्रतिशत, क्षेत्रीय

तालिका संख्या - {18}

उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण

क्र. सं.	शैक्षिक स्तर	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	10
2.	प्राथमिक	18
3.	जुनियर हाईस्कूल	7
4.	हाई स्कूल	11
5.	इण्टरमीडियट	9
6.	इंजीनियरिंग	6
7.	चिकित्सक	4
8.	स्नातक	18
9.	परास्नातक	12
10.	अन्य प्रशिक्षण	05
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या- ।19।

उत्तरदाताओं के परिवार में भाषा के प्रचलन का वर्गीकरण

क्र.सं.	भाषा	प्रतिशत
1.	हिन्दी भाषा	78
2.	अंग्रेजी भाषा	10
3.	क्षेत्रीय भाषा	10
4.	उर्दू भाषा	2
	कुलयोग :--	100 प्रतिशत

भाषा वर्ग में 1 प्रतिशत तथा उर्दू भाषा वर्ग में 2 प्रतिशत उत्तरदाता संकलित किये गये हैं किन्तु इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि आवागमन के साधनों में विकास होने के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रसार हुआ होगा तथा अन्य भाषायी वर्ग सैद्धान्तिक पक्ष के स्थानीय जनमानस के लिये परम्परात्मक एवं शैक्षणिक देन है । मध्य भारत का सम्पूर्ण क्षेत्र हिन्दी भाषी होने के कारण एक समान दिखाई देता है, लेकिन इसमें अत्याधिक तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो कुछ विशेष प्रकार की क्षेत्रीय भाषायें भी देखी जा सकती हैं । इसका प्रमाण जनपद भिण्ड के जैन समाज में भी देखा गया क्योंकि इन समाजों के व्यक्ति बुन्देलखण्डी आदि जैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं । वस्तुतः जनपद भिण्ड के जैन समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं के प्रचलन वर्तमान शोध सर्वेक्षण की अवधि में देखे गये तथा यह तथ्य उनकी बौद्धिक अथवा व्यवसायिक प्रवृत्ति की क्षमता की पुष्टि कर सकते है ।

समाज वैज्ञानिक साहित्य में विद्यमान अनेक प्रकार की सूचनाओं पर यह निर्देशित किया गया कि सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से सत्ता का स्वरूप निर्धारित किया जायेगा और इसकी अनिवार्यता के बारे में भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के किसी भी समाज में कोई अपवाद नहीं होगा । सत्ता का निर्धारण परम्परा के आधार पर किया जाता है लेकिन आधुनिक समाज व्यवस्था में इसका निर्धारण जनसंख्या घनत्व एवं जनमत के आधार पर हो सकता है । इस दिशा में विचारों का प्रवाह किसी भी सीमा तक व्यक्त किया जा सकता लेकिन इसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि वर्तमान सर्वेक्षण में 100 प्रतिशत उत्तरदाता पितृसत्तात्मक परिवारों के हैं और इस आशय के तथ्यों का प्रदर्शन तालिका संख्या 20 में प्रदर्शित किया गया है । यद्यपि दक्षिण भारतीय समाज व्यवस्था में मातृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन आज भी है लेकिन वह सांस्कृतिक परिपाटी में संलग्नित योजना है । जनपद भिण्ड के जैन समाजो में सत्ता का स्वरूप एवं पारिवारिक संरचना हिन्दू समाज व्यवस्था के अनुसार ही अवलोकित की गई है क्यों कि तालिका संख्या 21 में वर्णित तथ्य स्पष्ट करते हैं कि इस भौगोलिक क्षेत्र में 31 प्रतिशत संयुक्त, 18 प्रतिशत केन्द्रीय तथा 1 प्रतिशत विस्तृत प्रकार के परिवारों का विद्यमान होना स्वयं में एक ठोस प्रमाण है इस

तालिका संख्या - [20]

उत्तरदाताओं की पारिवारिक सत्ता का वर्गीकरण

क्र. सं.	सत्ता का स्वरूप	प्रतिशत
1.	पितृसत्तात्मक	100
2.	मातृसत्तात्मक	———
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - {21}

उत्तरदाताओं के पारिवारिक स्वरूप का वर्गीकरण

क्र. सं.	परिवार का स्वरूप	प्रतिशत
1.	संयुक्त	81
2.	केन्द्रीय	18
3.	विस्तृत	01
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

अभिप्रायः था कि जैन समाज तथा हिन्दू समाज सांस्कृतिक विरासत में समानुपातिक हैं इस वर्ग में प्राप्त । प्रतिशत विस्तृत परिवारों वाले प्रतिनिधि पूर्णतः अकेले जीवन यापन कर रहे हैं । इनके परिवार में कोई अन्य सदस्य जीवित नहीं है । साधारण सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि इस वर्ग के व्यक्ति व्यवसायों में कार्यरत हैं तथा अपनी आमदनी का सर्वाधिक प्रतिशत धार्मिक कार्यों पर खर्च करते हैं । वर्तमान में उल्लेख किया जा सकता है कि अनेक सदस्यों की संख्या के कारण पारिवारिक संरचना का स्वरूप तथा आर्थिक अधिकारों का दायित्व कम ज्यादा हो सकता है तथा इसका समाज शास्त्रीय मूल्यांकन करने के अभिप्राय से सामान्य विवरण प्राप्त किया गया । जिसका उल्लेख तालिका सं. 22 में किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दो से पांच सदस्यों के वर्ग में 3.8 प्रतिशत, पांच से दस सदस्यों के वर्ग में 41 प्रतिशत प्राप्त हुआ है यदि इन दोनों वर्गों को मिश्रित कर दिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि जनपद भिण्ड के जैन परिवारों में सदस्य संख्या 2 - 10 में सर्वाधिक प्रतिशत है । इसके समकक्ष न्यूनतम दो सदस्यों के वर्ग में तथा दस सदस्यों के अधिक के वर्ग में जो प्रतिशत प्राप्त हुआ है वह 21 है। इस प्रकार गुणात्मक व्याख्या के प्रसंग में जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष व्यक्त किया जा सकता है वह इस प्रकार है कि पारिवारिक सदस्यों आधार पर संरचनात्मक ~~वस्तुनिष्ठता~~ वस्तुनिष्ठता हिन्दू समाज व्यवस्था से मिलती जुलती है और पुनः यह विचार व्यक्त किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड के जैनों की पारिवारिक व्यवस्था तथा हिन्दू पारिवारिक व्यवस्था में स्पष्ट संरचनात्मक समन्वय स्थापित है । सामाजिक पक्ष में सत्ता निर्धारण एक अभिप्राय था तो दूसरे पक्ष में इसकी व्यवहारिकता को मूल्यांकित किया जाना अत्याधिक आवश्यक है । इसका समाजशास्त्रीय मूल्यांकन तालिका संख्या 23 में प्रदत्त किया गया है । इस तालिका के तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 59 प्रतिशत उत्तरदातों के परिवारों में परिवार प्रमुख पिता को माना गया है । 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यवहारिक कार्यों के संचालन के लिए माता को परिवार का प्रमुख माना है । पतिवर्ग

तालिका संख्या - (22)

उत्तरदाताओं की पारिवारिक संरचना का वर्गीकरण

क्र. सं.	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1.	2 सदस्य	14
2.	2 से 5 सदस्य	38
3.	5 से 10 सदस्य	41
4.	10 से अधिक	7
	कुल योग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या- (23)

उत्तरदाताओं के परिवार प्रमुख का वर्गीकरण

क्र. सं.	प्रमुख	प्रतिशत
1.	पिता	59
2.	माता	11
3.	पति	20
4.	दादा	06
5.	दादी	02
6.	अन्य कोई सदस्य	02
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

में यह तथ्य 20 प्रतिशत प्राप्त हुआ है और दादा प्रमुख वर्ग में 6 प्रतिशत उत्तरदाता-ओं ने स्वीकृति दी है जबकि दादी एवं अन्य किसी सदस्य की प्रमुखता के प्रसंग में समान्य राशि में 2 प्रतिशत प्राप्त हुए है । इन तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज में व्यवहारिक प्रचलन की दृष्टि से परिवार प्रमुखता उत्तरदायित्व अनेक प्रकार के व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है । सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान नीति निर्धारक तत्व व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को निश्चित करने में सक्रीय योगदान करते हैं । जनपद भिण्ड में जैन समाज के सदस्यों के आत्मनिर्भरता का प्रसंग तालिका संख्या 24 में प्रतिशत किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के मतानुसार 63 प्रतिशत परिवारों में सदस्यों की आत्मनिर्भरता है जबकि 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारो में आश्रित सदस्यों की संख्या अधिक है । वस्तुतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है । कि समाज आर्थिक परिवेक्षय में जनपद भिण्ड के जैन परिवारों की स्थिति सन्तोषजनक है । इसका तदोउपरान्तमूल्यांकन विधिवत रूप से किया गया और शिक्षा, व्यवसाय एवं मासिक आय वर्ग के प्रसंग में प्राप्त सूचनाओं का संकलन तालिका संख्या 25 में किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित, 78 प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसायिक दृष्टि से सेवारत तथा 83 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुये हैं जिनके परिवारों के सदस्यों की मासिक आय 2000 हजार रूपये से अधिक है ।

समाज व्यवस्था में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप से कुछ विशेष प्रकार के अवयवो में पूर्ण समन्वय स्थापित होता है । इस प्रसंग में विवाह व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है वर्तमान सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं की प्राप्त वैवाहिक स्तर का विवरण तालिका संख्या 26 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 13 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित, 71 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित, 8 प्रतिशत उत्तरदाता विधुर एवं 8 प्रतिशत विधवा वर्ग में हैं । वस्तुतः तलाकशुदा वर्ग में कोई उत्तरदाता प्राप्त नहीं हुआ है,

तालिका संख्या - (24)

उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की स्थिति का वर्गीकरण

क्र. सं.	स्थिति	प्रतिशत
1.	आत्मनिर्भर	63
2.	आश्रित	37
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - [25]

उत्तरदाताओं की सामान्य सामाजिक स्थिति का वर्गीकरण

क्र. सं.		स्थिति	प्रतिशत	कुलप्रतिशत
1.	शिक्षा	शिक्षित	60	100
		अशिक्षित	40	
2.	व्यवसाय	सेवारत	78	100
		असेवारत	22	
3.	मासिकआय वर्ग	500 से कम	2	100
		500 से 1000 तक	5	
		1000 से 2000 तक	10	
		2000 से अधिक	83	

तालिका संख्या - (26)

उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्तर का वर्गीकरण

क्र. सं.	वैवाहिक स्तर	प्रतिशत
1.	अविवाहित	13
2.	विवाहित	71
3.	विधवा	8
4.	विधुर	8
5.	तलाकशुदा	——
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

जिसका यह निष्कर्ष निकलता है कि संभवतः जैन समाज में तलाकप्रथा विद्यमान नही है अथवा इसके प्रतिशत की न्यूनता है । सामान्य सर्वेक्षण की अवधि में इस प्रकार की सूचनायें प्रकाश में आयी कि अधिकांश उत्तरदाताओं के मतानुसार विवाह एक संस्कार गत प्रक्रिया है और इसका सफल संचालन उन्हीं पारिवारिक परिस्थितियों में संभव है जबकि धार्मिक संचालित व्यवस्था का उचित सम्मान किया जाय । जैन समाज में वैवाहिक प्रसंग में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन किया जाता है और इसमें गोत्र प्रमुख अवलम्बन है जो सम्पूर्ण घटनाक्रम का निर्धारण करता है । समीपवर्ती प्रसंग में उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया इसमें सर्वेक्षित सम्पूर्ण उत्तरदाताओं पारिवारिक सदस्यों की स्थिति का विभाजन किया गया, जिसका विवरण तालिका संख्या- 27 में अंकित किया गया है । वर्तमान प्रसंग में 18 प्रतिशत अविवाहित 53 प्रतिशत विवाहित 17 प्रतिशत विधवा 12 प्रतिशत विधुर सदस्यों का वर्ग प्राप्त हुआ है तथा तलाक युक्त वर्ग में सम्पूर्ण उत्तरदाताओं के परिवार में कोई भी सदस्य प्राप्त नहीं हुआ, जो पुनः पूर्ववर्ती विचार की पुष्टि करता है जनपद भिण्ड के जैन समाज में तलाक प्रथा संज्ञाहीन है । वर्तमान प्रसंग में उत्तरदाताओं को मनोवैज्ञानिकविभ्रम देने के अभिप्राय से पारिवारिक सदस्यों के प्रति अभिरुचि का विकल्प रखा गया, तथा इसका विवरण तालिका संख्या - 28 में प्रदर्शित किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से यह निर्दिष्ट होता है कि 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं की अभिरुचि पारिवारिक सदस्यों के प्रति है, 10 प्रतिशत उत्तरदाता असामान्य वर्ग में है और 18 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ न कहने वाले वर्ग में दृष्टिगत होते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि यदि असामान्य एवं कुछ न कहने वाले वर्ग को मिश्रित कर दिया जाये तो संभवता यह युग्मक उन प्रतिनिधियों का होगा जिनके परिवारों में आधुनिकीकरण की प्रतिस्पर्धा के कारण विरोधी भावी वक्तव्य दिये जाते हों । प्रस्तुत पक्ष में यह निष्कर्ष समायोजित किया जा सकता है कि भिण्ड जनपद के जैन परिवारों में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव आवश्यक रूप से हुआ है । तालिका संख्या-29 में उत्तरदाताओं के परिवारों में प्रचलित भोजन पद्धति का विवरण प्रस्तुत

तालिका संख्या - [27]

उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण

क्रम सं.	वैवाहिक स्थिति	प्रतिशत
1.	अविवाहित	18
2.	विवाहित	53
3.	विधवा	17
4.	विधुर	12
5.	तलाकशुदा	——
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - [28]

उत्तरदाताओं की पारिवारिक सदस्यों के प्रति अभिरुचि का वर्गीकरण

क्र. सं.	अभिरुचि	प्रतिशत
1.	सामान्य	72
2.	असामान्य	10
3.	कुछ नहीं कह सकते	18
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

[illegible] तालिका संख्या - (29)

उत्तरदाताओं के परिवारों में भोजन स्वरूप का वर्गीकरण

क्र. सं.	भोजन स्वरूप	प्रतिशत
1.	शाकाहारी	100
2.	माँसाहारी	———
3.	मिश्रित	———
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

किया गया है । इस तालिका में व्यक्त सूचनायें स्पष्ट करती है कि उत्तरदाता शाकाहारी वर्ग के हैं । सामान्य सर्वेक्षण की अवधि में इस प्रवृत्ति के बारे में अपरोक्ष सूचना के आधार पर इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन के स्वरूपों की चर्चा देखने को मिली है, लेकिन सर्वेक्षण कर्ता के पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है । तालिका संख्या 30 में उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्यों की अभिरुचियों को अनेक विकल्पों में मूल्यांकित करते हुये उल्लेख किया गया है कि व्यवसायिक वर्ग में सर्वाधिक अभिरुचि है । यह वस्तुतः उत्तरदाता को सामान्य अवसर प्रदत्त किया गया था कि वह सहजता से पारिवारिक सदस्यों के प्रसंगों की सूचनायें प्रदत्त करें । आवासीय सुविधा का विवरण तालिका संख्या 31 में प्रदत्त किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास निजी आवासीय सुविधा है और 32 प्रतिशत उत्तरदाता किराए के मकान में रहते हैं । इसके समक्ष तालिका संख्या 32 में प्रदर्शित तथ्य स्पष्ट करते हैं कि 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास पक्के निवास है तथा 8 प्रतिशत उत्तरदाता कच्चे मकानों में निवास करते हैं । सामाजिक प्रसंग में वेशभूषा का उल्लेखनीय महत्व होता है और इस प्रसंग में उत्तरदाताओं के अभिमत में यह जानने का प्रयास किया गया कि उनके पारिवारिक सदस्य किस प्रकार के वस्त्रों का अत्याधिक पसन्द करते हैं । इस तथ्यों की सूचना तालिका संख्या 33 में प्रदर्शित की गयी है । सर्वेक्षण के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई उसका क्रम इस प्रकार है सूती 30 प्रतिशत, रेशम 20 प्रतिशत, टेरीकोट 20 प्रतिशत और मिश्रित प्रकार के वर्ग में 30 प्रतिशत उपलब्धता रही है । इसका तात्पर्य यह है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज के व्यक्तियों में मिश्रित प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन है ।

सामाजिक व्यवस्था में प्रथा का सर्वाधिक योगदान होता है और इसका समाज शास्त्रीय मूल्यांकन विवाह पद्धति के प्रसंग में किया गया, जिसकी सूचना तालिका संख्या 34 में प्रदत्त की गयी है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एक विवाह प्रणाली को स्वीकृत किया है, जो कि सामाजिक सूचक इस अभिप्राय का है कि जैन धर्म के अनुसार मात्र एक विवाह

तालिका संख्या - {30}

उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक सदस्यों की अभिरुचियाँ

क्र. सं.	पारिवारिक सदस्यों की अभिरुचियाँ	प्रतिशत
1.	शिक्षा	14
2.	व्यवसाय	63
3.	धार्मिक	13
4.	सामाजिक	8
5.	मिश्रित	2
6.	अन्य कोई	———
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (31)

उत्तरदाताओं के परिवार में आवासीय सुविधा का वर्गीकरण

क्रम सं.	आवासीय स्वरूप	प्रतिशत
1.	निजी मकान	68
2.	किराये का मकान	32
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (32)

उत्तरदाताओं की आवासीय सुविधाओं के प्रकार का वर्गीकरण

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार	प्रतिशत
1.	कच्चा आवास	8
2.	पक्का आवास	92
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - {33}

उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक सदस्यों की वस्त्र अभिरुचि का विवरण

क्र. सं.	अभिरुचि	प्रतिशत
1.	सूती	30
2.	रेशम	20
3.	टैरीकाट	20
4.	मिश्रित	30
5.	अन्य कोई	——
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - 34

उत्तरदाताओं के परिवार में विवाह पद्धति का विवरण

क्रम सं.	विवाह का प्रकार	प्रतिशत
1.	एक विवाह	100
2.	बहु पत्नि प्रथा	------
3.	बहु पति प्रथा	------
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

ही वैध है । इस प्रसंग में प्रथा का मूल्यांकन पुनः किया गया और दहेज प्रथा के प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या 35 में प्रदर्शित किया गया । तालिका में प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकारात्मक मत व्यक्त किया है 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया और इसके समक्ष 2 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुये हैं जिन्होंने किसी पक्ष के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने में असमर्थता प्रकट की है । प्रस्तुत पक्ष में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुतः विवाह के समय किये जाने वाले धार्मिक संस्कारों के अन्तर्गत कुछ राशि दान के रूप में कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है, और यदि यह दहेज है तो जनपद भिण्ड को जैन समुदाय अपवाद नहीं है, यह बात अलग है कि वर्तमान समय में दिये जाने वाले आर्थिक दानका स्वरूप इतना विकसित हो गया है कि यह समाज के लिए अत्याधिक घातक है । प्रत्येक प्रथा का संचालन निश्चित मानक के अन्तर्गत होता रहता है और इसका संक्षिप्त सार तालिका संख्या 36 में प्रस्तुत किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 62 प्रतिशत उत्तरदाता गोत्र के अन्तर्गत, 8 प्रतिशत उत्तरदाता गोत्र के बाहर और 30 प्रतिशत उत्तरदाता मिश्रित प्रक्रिया द्वारा वैवाहिक प्रक्रिया को निर्धारण करते है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि गोत्र के बाहर वैवाहिक निर्धारण करने वाले उत्तरदाता संभवतः आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप सैद्धान्तिक मान्यता से अलग हो । प्रत्येक समाज व्यवस्था में गोत्र की अभिव्यक्ति किसी विशेष प्रकार के आधार पर की जाती है और इस परिपेक्ष्य मे प्राप्त सूचनाओं का विवरण तालिका संख्या 37 में दिया गया है । इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार गोत्रका प्रचलन देवी – देवता के नाम के आधार पर है, जबकि इसके सापेक्ष इस अभिप्राय के लिए 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वनसंपदाएवं प्राकृतिक संरचना पर गोत्र प्रचलन की स्वीकृति दी है । वर्तमान तालिका की कुल उपलब्धियों का अर्थ यह है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज में स्पष्ट गोत्र प्रथा का प्रचलन विद्यमान है । तालिका संख्या-38 में पर्दा प्रथा का प्रचलन दर्शाया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट

तालिका संख्या - (35)

उत्तरदाताओं के मतानुसार दहेज प्रथा का विवरण

क्रम सं.	मत	प्रतिशत
1.	हाँ	82
2.	नहीं	16
3.	कुछ नहीं कह सकते	2
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (36)

उत्तरदाताओं के मतानुसार विवाह का निर्धारण गोत्र के सापेक्ष

क्रम सं.	मत	प्रतिशत
1.	गोत्र के अन्तर्गत	62
2.	गोत्र के अन्यत्र	8
3.	मिश्रित प्रक्रिया	30
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (37)

उत्तरदाताओं के मतानुसार गोत्र प्रचलन के आधारों का विवरण

क्रम सं.	गोत्र प्रचलन का आधार	प्रतिशत
1.	देवी-देवताओं के नाम पर आधारित	91
2.	वनसम्पदा/प्राकृतिक संरचना पर आधारित	9
3.	अन्य कोई प्रचलन	------
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - {38}

उत्तरदाताओं के मतानुसार पर्दा प्रथा का विवरण

क्रम सं.	पर्दा प्रथा	प्रतिशत
1.	हाँ	51
2.	नहीं	49
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

होता है कि पर्दा प्रथा के पक्ष एवं विपक्ष में समानुपातिक प्रवृत्ति है । समाज शास्त्रीय प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि संभवतः इस प्रथा पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के कारण किसी सीमा तक प्रभाव पड़ा है । परम्परागत मन्त्रों एवं संस्कारों की उपयोगिता के प्रसंग में विश्वास का दृष्टिकोण तालिका संख्या 39 में अंकित किया गया है । इस संदर्भ में परीक्षित विकल्प के प्रति 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी है, जबकि इसके सापेक्ष 9 प्रतिशत उत्तरदाता असहमति व्यक्त करते है । यह पुनः निर्दिष्ट करता है कि मन्त्रों एवं संस्कारों की अवधारणाओं में आधुनिक सामाजिक शक्तियों के कारण परिवर्तन आया है । इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया और इस तालिका सं० 40 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत उत्तरदाताओं मत में विवाह एक सामाजिक बन्धन एवं संस्कार है तथा 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार व्यवहारिक जीवन में विवाह से कोई कठिनाई नहीं आती है, 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों की स्वीकृति दी है और शत प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार वंश चलने के लिए कम से कम एक पुत्र की आवश्यकता को स्वीकृत किया गया है, जन्मपत्री के मिलान के प्रसंग में 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृति दी है, और इसके सम्बन्ध विवाह के समय 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह के समय आडम्बरों के प्रचलन को उचित बताया है जबकि 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असहमति प्रकट की है । प्रस्तुत वर्ग में प्राप्त समस्त सूचनाओं का निरूपण करने पर यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक आधारों की उपलब्धता के बावजूद भी व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार के सम्बन्ध जनपद भिण्ड के जैन समाज में समन्वयात्मक रूप से स्थापित किये जा रहे है जो परोक्ष तथा अपरोक्ष अर्थ में यह संस्तुति करने में बाध्य करते है कि सामाजिक शक्तियों का प्रादुर्भाव इस देश में हो चुका है जो समाज वैज्ञानिकों के लिए यह एक ठोस आधार है कि वह सक्षम होकर इनका विश्लेषण करें ।

तालिका संख्या - (39)

उत्तरदाताओं के मतानुसार रिकार्डों एवं मंत्रों की उपयोगिता में विश्वास का विवरण

क्रम सं.	मत	प्रतिशत
1.	सहमत	93
2.	असहमत	7
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - [40]

उत्तरदाताओं की सामान्य अभिरुचियों का वर्गीकरण

क्रमसं.	अभिरुचि	विचार		कुलयोग प्रतिशत
		हाँ	नहीं	
1.	विवाह एक सामाजिक बंधन है	100	----	100
2.	विवाह एक धार्मिक संस्कार है	100	----	100
3.	व्यवहारिक जीवन में विवाह से कोई कठिनाई नहीं होती	95	5	100
4.	परिवार नियोजन के प्रसंग में रुचि	54	46	100
5.	वंश चलाने के लिये एक पुत्र आवश्यक है	100	----	100
6.	जन्म पत्रिका मिलान उपयोगी है	73	27	100
7.	विवाह के समय अनेक आडम्बरों का प्रचलन उचित है	12	88	100

(द) समीक्षा

समाज वैज्ञानिक दर्शन में अत्याधिक विशालता है और इसका सीमांकन कदापि संभव नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक होगा कि विचारों के क्रम के एवं विश्लेषण के प्रवाह को स्पष्ट योजना के अन्तर्गत सीमांकित किया जाय। इसलिए वर्तमान अध्याय की सम्पूर्ण उपलब्धियों को समाजशास्त्रीय प्रसंग में परखने की आवश्यकता है। सामाजिक व्यवस्था का शीर्ष बिन्दु धर्म आचार संहिता का नियंत्रक है जबकि इसके सापेक्ष जाति, परिवार, वंश, विवाह, गोत्र, प्रथाएं आचार संहिता के आवश्यक मानक हैं। इस इन अभीष्ट तथ्यों के प्रसंग में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह समाजवैज्ञानिक प्रसंग में सर्वाधिक रूप से उल्लेखनीय है। जनपद भिण्ड के जैन समाज में सैद्धान्तिक मान्यता के अन्तर्गत धार्मिक विचार धाराओं का प्रचलन है जिसकी स्वीकृति परीक्षण किए गये अनेक विकल्पों में उत्तरदाताओं ने दी है। इस प्रसंग में व्यवहारिक परिवर्तन का स्वरूप प्राप्त हुआ है वह कदाचित वर्तमान समाज वैज्ञानिकों के लिए पूर्णतः नवीन है। वर्तमान अध्याय के प्रसंग में जाति, परिवार, विवाह तथा अन्य अनेक सम्बन्धीय प्रसंगों में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक जो सत्यीकरण प्राप्त हुए है उन्हें वर्तमान शोध प्रबन्ध की वस्तुनिष्ठता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक रूप से संकलित करना पड़ा। यह विदित है कि एक प्रक्रिया आदि से लेकर अन्त तक अनेक स्थानों से निकलती है और इस व्यवस्था में वह बिन्दु विशेष उल्लेख के होते हैं जहाँ पर व्यवस्था का पड़ाव रुचिकर प्रसंगों में हो। इस मनोभावना के अन्तर्गत वर्तमान शोध अध्याय की सम्पूर्ण उपलब्धियों का आंकलन करने पर समाज शास्त्रीय उपयोगिता का यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज में व्यवस्थित सैद्धान्तिक अवधारणाओं का प्रचलन एक विशेष सीमा तक ही है, इसके सापेक्ष अनेक इकाइयों में परिवर्तनीय स्थितियों के लिए सामाजिक शक्तियाँ उत्तरदायी हैं। तुलनात्मक समीक्षा की दृष्टि से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक मान्यताओं का समन्वय एक ऐसी स्थिति में है जिसे कदाचित किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के वरिष्ठतम

सामाजिक सदस्य इस अभिमत के हैं कि धार्मिक क्रिया कलापों के संचालन को यदि बुद्धि एवं विवेक के आधार पर संयोजित नहीं किया जाता है तो इससे सर्वाधिक खतरा सांस्कृतिक अस्मिता को है और जो पूर्णतः सामाजिक अवधारणा के अन्तर्गत धर्म, जाति, परिवार, वंश, विवाह, गोत्र, प्रथाओं के विकल्प में विद्यमान है तथा जनपद भिण्ड का जैन समाज इसका अपवाद नहीं है । समाज वैज्ञानिक विवेचना की संतुष्टि किसी एक स्तर पर करना अत्यधिक आवश्यक है इसलिये प्रस्तुत अध्याय की सम्पूर्ण उपलब्धियों को मूलरूप में व्यक्त करते हुये यह अपेक्षा की जा सकती है कि सामाजिक विचारधारा के क्रम में शत प्रतिशत रूप से यह सदैव अग्रणी योगदान करने में सक्षम होगी ।

-- ---xxx-------

चतुर्थ अध्याय

सांस्कृतिक व्यवस्था

(अ) जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ

(ब) समीक्षा

अध्याय - 4

सांस्कृतिक व्यवस्था

(अ) जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ

(ब) समीक्षा

(3) जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ

वर्तमान अध्याय में मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद में निवास करने वाले जैन समाज की धर्ममान्यतायें एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश इस अभिप्राय से किया जारहा है कि मंकेतनात्मक शैली में इन मिश्रित अवधारणाओं की उपादेयता को मूल्यांकित किया जा सके । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारानुसार प्राप्त विवरण अंकित है :- साहित्य में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जैन धर्म की धर्ममान्यतायें निम्न प्रकार व्यक्त की जा सकती हैं :-

1. सार्वभौमिक सत्य के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह लोक अनादि है तथा अचेतन एवं चेतन वर्ग में मिश्रित रूप में छः द्रव्य विद्यमान है ।
2. प्रत्येक द्रव्य प्राकृतिक स्वभाव में प्रतिदिन नवीन है ।
3. सांसारिक जीवन में यह माना जाता है कि पुण्ययुक्त कार्यों द्वारा जड़ एवं चेतन का वर्गीकरण किया जा सकता है ।
4. प्रत्येक सांसारी जीव वर्ग के माध्यमसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।
5. परमात्मा समाज के किसी भी सदस्य को दुःख नहीं देता है . अपितु यह प्रकृति जन्य उपलब्धि है ।
6. जीव तथा परमात्मा पूर्णतः अनन्त है तथा इनका सांसारिक अवस्था में स्थानान्तरण अत्याधिक दुर्लभ है ।
7. सामाजिक जीवन में निवास करने वाला व्यक्ति स्वयं का परिमार्जन भक्ति द्वारा कर सकता है और इसमें यह भावना प्रबल होना चाहिए कि धन प्राप्ती की अभिलाषा के लिए कतिपय रुचि न हो ।
8. राग द्वेष मोह का त्याग करना चाहिये ।
9. जीव हत्या उचित नहीं है ।
10. मांसाहारी भोजन वर्जित है तथा पानी वस्त्र से छानकर प्रयुक्त करना चाहिए ।
11. माया लोभ क्रोध एवं मान का विनाश किया जाना आवश्यक है ।
12. भद्र पुरुष के छः कार्य है - ध्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना, एवं

ममता का त्याग कायोत्सर्ग ।

13. गृहस्थ आश्रम में छः कार्य हैं - देव पूजा, शास्त्रपठन पाठन, तप, संयम, दान एवं गुरूपावती ।

14. पाँच प्रकार के महाव्रत है जो योगी पूरा करते हैं - अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग ।

इस प्रकार समस्त वर्णित मूलमान्यताओं के अतिक्रम में व्यक्ति की शारीरिक एवं क्षेत्रीय गतिविधियों को निर्देशित किया गया है और इसका आचरण अनुपालन जैन समाज में हो रहा अथवा नहीं यह एक विचारणीय प्रश्न है । सम्बन्धित साहित्यका अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि धर्म का प्रसार एवं प्रचार एक शक्तिशाली भाषा के माध्यम से किया गया और इसमें जीवन दर्शन की अनेक अनुभूतियाँ हैं । सामाजिक कार्य-कल्प में धर्म, संस्कृति, सामाजिक प्रवृत्ति इत्यादि समानार्थक प्रत्यय के रूप में माने जाते हैं, जैन दर्शन में विकास के क्रम में अनेक कुटीत उल्लेखित किये गये हैं औरउचित संकर्षों का समायोजन प्रस्तुत प्रसंग में प्रमाणिकता के आधार पर किया जायेगा । सांस्कृतिक दर्शन की गरिमा निश्चित रूप से आदिकाल में किसी भी प्रकार से दुविधा की स्थिति में नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में इस स्थिति पर जो कुठाराघात हुआ है वह समाज वैज्ञानिकों के लिए सर्वाधिक भाव में चुनौती पूर्ण है । जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषा में अपने साहित्य की रचना की जिससे लोक भाषाओं का विकास हुआ । अधिकांश जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में हुई । दक्षिण भारत में जैन विद्वानों ने ग्रंथों की रचना कन्नड़ भाषा में की । हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा को समृद्धता प्रदान की । प्राकृत अपभ्रंश और कन्नड़ भाषाओं के अतिरिक्त जैन आचार्यों ने तमिल ~~और~~ और तेलुगु साहित्य को भी सम्पन्न बनाया है । संस्कृत भाषा में भी अनेक जैन ग्रन्थों की रचना की गई है और इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है —

अ॒ <u>कलाक्षेत्र</u> —— इस क्षेत्र में जैन धर्म ने भवन निर्माण, स्थापत्य, मूर्ति निर्माण और चित्रकला को प्रोत्साहन दिया । मध्य प्रदेश सौराष्ट्र और राजस्थान में अनेक

कलाओं से पूर्ण जैन मन्दिर आज भी विद्यमान है जिसमें भारतीयकला के सर्वोत्कृष्ट प्रमाण व उपस्थित है मध्य प्रदेश के अन्तर्गत देवगढ़ ग्वालियर तथा खजुराहो भी जैन कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

ब) <u>दर्शन क्षेत्र</u> —— दर्शन के क्षेत्र में जैन आचार्यों ने अनेक नये और मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । उदाहरणार्थ सत्य की खोज के लिए जिस स्याद्वादका प्रतिपादन किया वह अमूल्य देन है । कोई भी विचार सत्य के एकांगी रूप को ही व्यक्त करता है, कोई भी पूर्णत्व का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि सभी मत आंशिक रूप में ही सत्य होते हैं।" जब यह भावना दृढ़ हो जाय तो संसार में द्वेष, संघर्ष आदि बहुत कम हो जाय ।" अहिंसा के सिद्धान्त को भी जैन धर्म ने सर्वाधिक प्रचारित किया । विश्व में अकेले जैन दर्शन की ही यह विशेषता है कि वो यह मानता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है । उसके लिए इसने एक निश्चित मार्ग भी निर्देशित कर रखा है । सो है "सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चरित्र मोक्ष मार्गः ।" जिस आत्मा में यह रत्नत्रय मौजूद है वह परमात्मपद प्राप्त कर सकती है । हम सांसारिक जीवों की आत्मा के ऊपर अनेकों आवरण पड़े हुए हैं उन आवरणों को हटाकर शुद्धात्म तत्व के दर्शन करना एक लम्बी प्रक्रिया है । चित्त को निर्मल करने की प्रक्रिया को अपना कर हम लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही सुखों को प्राप्त कर सकते हैं । चित्त को निर्मल करने की इस प्रक्रिया का नाम है पर्युषणपर्व या दशलक्षण पर्व जो यूं तो निरन्तर चलती रहनी चाहिए परन्तु जैसे किसी उद्देश्य विशेष के लिए वर्ष में कोई दिन, सप्ताह या पखवाड़ा आदि मनाने का लोकाचार है उसी परम्परा में जैन मतावलम्बी पर्युषण पर्व के रूप में दिगम्बर समाज भाद्रपद की शुक्ल की पंचमी से चतुर्दशी तक एवं श्वेताम्बर व स्थानकवासी समाज भाद्र पद वदी 13 भाद्र पद शुक्ल की पंचमी मनाते है । पर्युषण चित्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण शाश्वत है अतः इसे पर्वराज की संज्ञा भी दी जाती है । उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव शौच सत्य, संयम, तप, त्याग, आंकिचन्य एवं ब्रह्मचर्य में आत्मा के स्वभाव हैं इन स्वभावों में ही इस संसार की काजल भरी कोठरी में रहते विचरते अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे काम, क्रोध, मान, लोभ, कषाय, मायाचार आदि विकृतियाँ उत्पन्न होकर मनोवृत्ति को दूषित करती है । इन दस

धर्मों के चिन्तन व आचरण करने से मनुष्य सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होकर अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है । इनके प्रकट में व अन्तर में आचरण करने से समताव निराकुलता की वह स्निग्धधारा अन्तरव बाह में प्रवाहित होती है जो समस्त व्याप्त कलुषता को धो देती है । इसके प्रासंगिक वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तुत किया जा रहा है —

1. उत्तम क्षमा
2. उत्तम मार्दव
3. उत्तम आर्जव
4. उत्तम सत्य
5. उत्तम शौच
6. उत्तम संयम
7. उत्तम तप
8. उत्तम त्याग
9. उत्तम अकिंचन , एवं
10. उत्तम ब्रह्मचर्य

समाजशास्त्रीय प्रसंग में प्रस्तुत वर्गीकरण को सम्मिलित रूप से इसलिये प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसके आधार पर सम्पूर्ण व्यक्तियों की मानवीय क्रियायों का संचालन जैन धर्म में अपेक्षित किया गया है ।सांस्कृतिक दर्शन में विद्यमान सूचनाओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि महान पर्यूषण पर्व जैन मन्दिरों में विशेषरूप से सजावट की जाती है प्रातः पूजन शाम आरती प्रवचन एवं भजनों के कार्यक्रम होते हैं । और नर नारी व्रत रखते हैं दस दिन तक हरी सब्जीयों का ग्रहण नहीं करते तथा नियम पूर्वक एक या दो बार भोजन करते हैं या निराहार भी रहते हैं अष्टमी का दिन विशेष महत्व का माना जाता है दशमी तिथि धूप दशमी के रूप में मनाते हैं । सभी जैन बन्धु मन्दिरों में जाकर धूप अग्नि में समर्पित करते हैं चौदस व्रतों का अंतिम दिन होता है इस दिन अधिकांश नर नारी निराहार रहते हैं और प्रातः से सभी जैन मन्दिरों में दर्शनार्थ जाते है । इन दसदिनों में नगर सांस्कृतिक उल्लास और धर्म में लीन रहता है तथा पर्यूषण के तुरन्तबाद जैन मतावलम्बी क्षमावानी दिवस मनाते हैं । यह क्षमायाचन

की अत्यन्त उपयोगी पद्धति है जिसका कि आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि समस्त विश्व कलह, कषाय व हिंसा में लिप्त है। दशपर्व के अन्तर्गत क्षमा, मार्दव, अहंकार का त्याग आर्जव (छलकपट का त्याग), सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन्य (सन्तोष) और ब्रह्मचर्य की उपासना में पवित्र अन्तर लिए सभी जैन बन्धु अपने परिचितों-अपरिचितों और सम्पर्क में आने वालों से श्रावक क्षमा याचना करते हैं। शुद्ध मन से क्षमा करते भी हैं। प्राचीन संस्कृत-प्राकृत श्लोक -

" खामेमि सव्वेजीवे, सव्वेजीवा खमंतु मे।
मित्ती मे सव्व भूयेसु, वेरं मज्झं केणवि ।।

-- मैं करता हूं क्षमा सभी को, मुझको भी सब क्षमा करें। वैर विहीन पूर्ण वसुधा पर मैत्री का अमृत बिखरे। इस प्रकार दश लक्षण पर्व व क्षमावाणी की उदात्त भावना का पालन व प्रचार कर राष्ट्र के नैतिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

वर्तमान समाज शास्त्रीय शोध अध्ययन की अवधि में यह अवलोकित किया गया कि भिण्ड जनपद में सांस्कृतिक गुणवत्ता के क्रम में जैन समाज को सक्रीय योगदान है इस क्रम में अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, औषधालय तथा धर्मशालाएं, वाचनालय इत्यादि विद्यमान हैं, तथा इनका सम्यक विश्लेषण अपरिहार्य प्रतीत होता है। सामाजिक संरचना की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण यह है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले अन्य जातियों का अध्ययन किया जाय जिसका विवरण तालिका संख्या 4। में दर्शित किया गया है प्रस्तुत तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में धर्म निरपेक्षता का प्रतिनिधित्व प्रचुर मात्रा में है क्योंकि सर्वेक्षित किए गये क्षेत्र में हिन्दु, जैन, मुस्लिम, सिक्ख और बौद्ध धर्म के व्यक्ति निवास कर रहे हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में यह भी अवलोकित किया गया कि इन धर्म समूहों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक समन्वय स्थापित है इस प्रसंग में सर्वाधिक रूप से उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सामान्य ज्ञान में यह भी बात आई है कि विगत लगभग सौ वर्षों में कोई भी जाति, वर्ग, एवं धर्म संघर्ष जनपद भिण्ड में नहीं हुआ है और जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान अवधि में पूर्ण सौजन्यता स्थापित है, जो कि भारत वर्ष की वर्तमान क्षेत्रीय समस्याओं के सापेक्ष समाजवैज्ञानिक हित में

तालिका संख्या - (4.1)

जनपद भिण्ड में अन्य जातियों की सामाजिक स्थिति

क्र. सं.	जाति	क्र. सं.	जाति
1.	भदौरिया	14.	जैन
2.	नरवरिया	15.	कायस्थ
3.	ब्राहम्मण	16.	यादव
4.	मुसलमान	17.	पंजाबी
5.	मिर्धा	18.	काछी
6.	कोल	19.	कुम्हार
7.	मोची	20.	मेहतर
8.	सुनार	21.	चमार
9.	मल्हार	22.	कहार
10.	बढ़ई	23.	लुहार
11.	माली	24.	कंजर
12.	धोबी	25.	धानुक
13.	अग्रवाल	26.	ढीमर

सर्वाधिक प्रशंसनीय है । जैन धर्मावलम्बियों द्वारा संचालित औषधालयों का सामान्य विवरण तालिका संख्या 42 में प्रदत्त किया गया है । इन औषधालयों का भौतिक संचालन जैन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है और आधुनिक , आयुर्वेदिक होम्योपैथिक आदि चिकित्सा सुविधाएं अनवरत व्यक्तियों को उपलब्ध हो रही है । इन औषधालयों के प्रशासनिक नियंत्रण का सामान्य शास्त्रीय सर्वेक्षण किया गया और यह तथ्य प्रकाश में आये कि यह औषधालय पूर्णतः जन कल्याण के लिए कटिबद्ध हैं । प्रत्येक समाज व्यवस्था की सम्पूर्ण गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक अभिकरण के रूप में कुछ विकल्प निर्मित किये जाते हैं और इसक्रम में समाज सेवी संस्थाओं का प्रचलन प्राचीन समय से विद्यमान है और उसका विवरण तालिका संख्या 43 में अंकित किया गया है । सामाजिक विचारधारा के अन्तर्गतयह माना जाता है कि समाजुगा-तिक इकाईयों में यदि दूरदर्शिता विद्यमानहै तो इनके लक्ष्य भावात्मक हो सकते हैं इस प्रकार सांस्कृतिक महत्व की समाज सेवी संस्था जनपद भिण्ड की बह सृजनात्मक इकाइयाँ हैं ।इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जैन समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह प्रशंसनीय रूप में किया गया वर्तमान परिपेक्ष्य में उल्लेख किया जा सकता है कि अन्य धर्मों के सांस्कृतिक पर्वों पर जैन समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सामान्य जनमानस की व्यवस्थाएंस्वयं की और इसके अतिरिक्त कई अनेक अवसरों में इनका सक्रीय योगदान रहता है ।

समाज मनोवैज्ञानिक साहित्य में उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति की सामाजिकता उचित संस्कारों की पृष्ठभूमि में संभव है । प्राचीन अवधि से लेकर वर्तमान अवधि तक इस सिद्धान्त की सार्थकता को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सका और उसके अनेका एक कारण हैं । व्यक्ति समाज से क्या करेगा , समाज व्यक्ति के लिए क्या योगदान देगा -- वास्तव मे यथार्थवादी चिन्तन की प्रमुख विषय वस्तु है । कालान्तर में इस दिशा का उन्नयन शिक्षा के माध्यम से समायोजित किया गया । सामाजिक व्यवस्था में अनिवार्यतः उचित पद्धति की है, यह आवश्यक नहीं है कि इसका संचालन विशेष व्यक्ति द्वाराकिया ~~जयपिपासाओं~~ ज्ञानपिपासाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति भिन्न है उन चेतनाओं से जो दैवीय संरचित है और इनकी सामाजिक उपस्थिति

तालिका संख्या - {42}

जनपद भिण्ड में जैन समाज के धर्मार्थ औषधालय

क्रमांक	नाम
1.	श्री दिगम्बर जैन धर्मार्थ औषधालय,
2.	स्व: श्रीचन्द छोटे लाल जैन आयुर्वेद औषधालय,
3.	धर्मार्थ औषधालय श्री दिगम्बर जैन नार्श्याजी,
4.	श्री आदिनाथ चौपालय दिगम्बर जैन औषधालय,
5.	1008 श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन होम्यो धर्मार्थ औषधालय,
6.	श्री गोपीचन्द जैन द्वारा संचालित होम्यो औषधालय,
7.	श्री 1008 विमलसागर जी महाराज धर्मार्थ औषधालय,
8.	श्री नेमी चन्द जैन होम्यो औषधालय,
9.	चौधरी वृन्दावन अग्रवाल स्मृति औषधालय एवं
10.	श्री नन्द लाल धर्मार्थ औषधालय।

इन औषधालयों के अलावा कतिपय महानुभाव अपने निजी प्रयासों द्वारा होम्यो पैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निःशुल्क वितरण करते हैं_ जो निम्न है :—

{1}श्री शान्ति किशोर जैन लोहाने हाउसिंग कॉलोनी, भिण्ड
{2}श्री सत्यदेव जैन डी.एस.बी. महावीर चौक, भिण्ड
{3}राम बाबू वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भिण्ड

तालिका संख्या - {43}

जनपद भिण्ड में जैन समाज सेवी संस्थाएं

क्रम सं.	नाम
1.	जैन मिलन
2.	जैन विकास समिति
3.	जैन मित्र मण्डल
4.	श्री दिगम्बर जैन महा सभा भिण्ड.
5.	अखिल विश्व अहिंसा जैन मिशन केन्द्र भिण्ड.
6.	श्री दिगम्बर जैन समाज कल्याण महासमिति भिण्ड.
7.	जैन नव युवक सेवा संघ.
8.	मेंवयु जैन युवा कॉन्फ्रेंस.
9.	जैन शांति समब , एवं
10.	जैन युवा मिशन भिण्ड ।

सम सामयिकता से निर्धारित हो सकती है । इस प्रकार परोक्ष भाव में शिक्षा के समाज शास्त्र का उपन्नयन संस्कार किया गया प्रत्येक समाज वैज्ञानिक अध्ययन में शिक्षा की महत्ता को प्राथमिकस्तर स्वीकृत करते हुए अध्यापित किया जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में यह एक विशेष प्रकार का आधार पटल है । सांस्कृतिक समन्वय के अनेक मिशनों को एक-एक बूंद के रूप में मूल्यांकित एवं परिष्कृत किया जा सकता है । जनपद भिण्ड के क्षेत्र में जैन समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख तालिका संख्या 44 में किया गया है । वर्तमान विवरण के अन्तर्गत यह उल्लेखनीय है कि क्रम-संख्या 1 - 6 तक की शिक्षण संस्थाएं समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए संचालित है और इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रतिबन्ध अध्ययन के लिए नहीं लगाया गया है । जैन महाविद्यालय, कुसुम बाई कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत अनेक छात्र विभिन्न धर्मों के शोध कार्य की अवधि में दृष्टिगत किए गये और यह सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण प्रसंग है कि समाज सांस्कृतिक सामंजस्य का अनोखा प्रचलन जनपद भिण्ड में विद्यमान है । इसके समकक्ष क्रम सं. 7-14 तक वर्ग संचालित पाठशालाओं में पूर्णतः जैन दर्शन की शिक्षा व्यवस्था एक मात्र रूप से जैन समाज के व्यक्तियों में निर्धन वर्ग के लिए कुछ सुख सुविधा तथा छात्रवृत्ति इत्यादि का प्रयोजन पूर्ण तः नियमानुसार किया जाता है । प्रस्तुत क्रम में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड में मुख्यालय पर एक वाचनालय जैन समाज द्वारा स्थापित किया गया है और इसे श्री नन्दलाल जैन दिगम्बर वाचनालय के नाम से जाना जाता है तथा यह बताशा बाजार में स्थित है । इस वाचनालय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा के पत्र एवं पत्रिकाएं नियमितीयता से अर्जित की जाती हैं और उसमें किसी भी प्रकार काकोई धार्मिक प्रतिबन्ध नहीं है । शिक्षा के समकक्ष कार्यशाली का अत्याधिक योगदान है और प्रत्येक समाज व्यवस्था की पृष्ठभूमि में तदुद्देश्य योजना के अन्तर्गत कुछ भूमिकाएं विशेष उल्लेखनीय होती हैं । ब्रिटिश उपनिवेश से जर्जर होती हुई भारतीय समाज की दुर्दशा की अवधि में मध्य प्रदेश प्रान्त का जनपद भिण्ड भी अछूता नहीं था । इसका तात्विक मूल्यांकन प्रस्तुत शोध प्रबंध की अवधि

तालिका संख्या-[44]

जनपद भिण्ड की जैन शिक्षण संस्थाएं एवं वाचनालय

क्रम सं.	शिक्षण संस्था का नाम	स्थान
1.	जैन महाविद्यालय, भिण्ड	स्टेशन रोड
2.	कुसुम बाई जैन कन्या महाविद्यालय, भिण्ड	गोल मार्केट
3.	जैन हायर सैकेन्डरी स्कूल, भिण्ड	स्टेशन रोड
4.	जैन नर्सियां स्कूल भिण्ड	स्टेशन रोड
5.	पार्श्वनाथ दिगम्बर मिडिल स्कूल भिण्ड	महावीर चौक भिण्ड
6.	सम्यक ज्ञान शिशु मन्दिर	हलवाई खाना बताशाबाजार
7.	श्री 1008 विमलसागर जी सम्यक ज्ञान पाठशाला	हलवाई खाना बताशाबाजार
8.	श्री शांति नाथ पाठशाला	हिरनगर कालोनी
9.	श्री 1008 शांति नाथ दि० जैन पाठशाला	महावीरगंज
10.	श्री 1008 चन्द्रप्रभु दि० जैन पाठशाला	परेड जैन मन्दिर
11.	श्री समन्त भद्र दि० जैन विद्यापीठ	महावीर गंज भिण्ड
12.	श्री नन्दलाल जैन दिगम्बर वाचनालय	बताशा बाजार

में किया गया । कुछ ऐसे जैन समाज के वरिष्ठतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका उल्लेख करना समाज वैज्ञानिक प्रसंग में महत्वपूर्ण है । एक व्यावर्त द्वारा कुमार्थ का कार्य यदि शाब्दिक विवेचना की परिधि समायोजित नहीं किया जा सकता है तो ऐसे अध्ययन एवं चिन्तन का कोई उपयोग नहीं है जैन धर्म प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानीयों का विवरण तालिका संख्या 45 में प्रकट किया गया है । प्रस्तुत प्रसंग पंडित शिखरचंद जी का उल्लेख किया जा सकता है जिनके धार्मिक एवं रचनात्मक कार्यों से सम्पूर्ण समाज लाभान्वित हुआ है । जनपद भिण्ड में जैन धर्म द्वारा संचालित धर्मशालाएं प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं और इनका विवरण तालिका संख्या 46 में व्यक्त किया गया है ।

ऐतिहासिक विवरणों को तुलनात्मक समाज वैज्ञानिक प्रसंग में मूल्यांकित करने पर अनेक प्रकार की उपयोगी संरचनाएं प्रकाश में आई हैं सांस्कृतिक गरिमा से वस्तुनिष्ठता किसी विशेष प्रकार के अवलम्बन द्वारा दीर्घ अवधि के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं समाज ऐतिहासिक दर्शन में कला की उपयोगिता को सर्वाधिक रूप से स्वीकृति के आवश्यक प्रतीकों को धार्मिक प्रसार के अन्तर्गत व्यक्त किया जाता रहा और इस प्रकार सामाजिक धरोहर के रूप में कलात्मक विकास सृजन का आधार बने । जनपद भिण्ड का सर्वेक्षण करने पर महत्व के अनेक आयाम प्राप्त हुये और इनका विवरण तालिका संख्या 47 में अंकित किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में ऐतिहासिक महत्व के कई दुर्ग, सरोवर विद्यमान हैं और विभिन्न धार्मिक महत्व के स्थान उपलब्ध हैं वर्तमान प्रसंग में यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित पुरातत्व संग्रहालय भी विद्यमान है । वर्तमान प्रसंग में यह भी प्रसंग दिया जा सकता है कि वनखण्डेश्वर देवालय एक विशाल पूजा स्थल है जिसमें प्रत्येक धर्म का व्यक्ति दर्शनार्थ प्रवेश कर सकता है । इस देवालय की स्थापना के प्रसंग में स्थानीय रचनाओं के आधार से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि इसकी आधार शिला पृथ्वीराज चौहान द्वारा रखी गयी थी । बरासो एवं बरई अतिशय क्षेत्र के प्रसंग में विवरण प्राप्त हुआ है कि इनका निर्माण रात्रि के प्रथम दो पहर में ही हो गया था और जैन धर्मावलम्बियों के इस पूजा स्थल में नियमित रूप से जाना है । इन देवस्थलों के निर्माण में देवों का योगदान प्रचलित किवदन्तियों से

तालिका संख्या - 45

जनपद भिण्ड में जैन सम्प्रदाय के स्वतन्त्रता सेनानी

क्रमसं.	स्वतन्त्रता सेनानी
1.	भानु कुमार जैन
2.	ठाकुर लक्ष्मी चन्द जैन
3.	प्रभु दयाल जैन
4.	नेमी चन्द जैन
5.	वीर सेन वैद्य
6.	चूरामन जैन
7.	शांति किशोर लोहाने
8.	चन्द्रसेन जैन कुरतिया
9.	सौभाग्यमल जैन
10.	सम्पतराम लोहिया

तालिका संख्या- {46}

जनपद भिण्ड की जैन धर्मशालाएँ

क्रमा. सं.	नाम	स्थान
1.	श्री 1008 पार्श्वनाथ दि0 जैन धर्मशाला	हलवाई खाना
2.	श्री दि0 जैन धर्मशाला{श्री भगवानदास पवैया}	लश्कर रोड
3.	श्री दि0 जैन नाशिया धर्मशाला	पुस्तक बाजार
4.	श्री बाहुबलि दिगम्बर जैन धर्मशाला	पुस्तक बाजार
5.	श्री धनवंतरि धार्मशाला	बताशा बाजार
6.	श्री नेमीनाथ मन्दिर की धर्मशाला	बजरिया भिण्ड
7.	श्री आदिनाथ मन्दिर की धर्मशाला	किला रोड भिण्ड
8.	श्री महावीरचैत्यालय की धर्मशाला	रामकुमार की कोठी
9.	जैन धर्मशाला	जैन कालेज के पीछे

तालिका संख्या- {4.7}

भिण्ड - क्षेत्रीय स्थापत्य एवं कला

क्र. सं.	नाम	
1.	भिण्ड का दुर्ग	
2.	वन खण्डेश्वर देवालय	
3.	गौरी सरोवर	
4.	अटेर का दुर्ग	
5.	अटेर का महल	
6.	भिण्डी ऋषि की समाधि स्थल	
7.	चक्रपाणि की मूर्ति	
8.	राम मन्दिर और गणेश प्रतिमा	
9.	गौरी तटका शिवालय	
10.	बरासो का जैन मन्दिर	अतिशय क्षेत्र
11.	बरई का जैन मन्दिर	अतिशय क्षेत्र
12.	पावई का जैन मन्दिर	अतिशय क्षेत्र
13.	जखारा का जैन मन्दिर	
14.	रौन का जैन मन्दिर	
15.	पुरातत्व संग्रहालय	

आधार पर माना जाता है ।

जनपद भिण्ड के मुख्यालय में स्थित जैन मन्दिरों का विवरण तालिका संख्या 48 में दर्शायागया है. इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में जैन धर्म के अत्याधिक प्राचीन स्थल विद्यमान हैं और इनका संचालन पूर्ण स्वायत्तता के आधार पर किया जा रहा है । इन देव स्थलों में नियमित वैदिक कार्यों का संचालन पुजारी द्वारा किया जा रहा है । इन देवस्थलों में नियमित सम्बन्धित धर्म के व्यक्ति नियमित उपस्थिति से स्वयं को कृतार्थ करते हैं । सम्पूर्ण धार्मिक पृष्ठभूमि में कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं और जिनका अनुपालन समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपेक्षित किया जाता है । इसका प्रदर्शन तालिका संख्या 49 में किया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष पर्यन्त अनेक प्रकार के त्योहार प्रस्तावित किये गये हैं और इनका संचालन जनपद भिण्ड के वर्तमान जैन समाज में निरन्तर रूप से किया जाता है । वस्तुतः संस्कारजन्य इस प्रणाली में अत्याधिक धार्मिक गहराई है और इसका सीधा सम्बन्ध जैन समाज के सम्पूर्ण व्यक्तित्व में है । तालिका संख्या 50 में जनपद भिण्ड के जैन समाज के सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख समाज शास्त्रीय मानक के रूप में किया गया है । इसमें अनेक महत्वपूर्ण पर्वों के आयोजन को अभिलेखित किया गया है । जैन दर्शन के आधार पर यह निर्दिष्ट किया गया है कि जीवात्मा की उत्पत्ति तथा उसके सामाजिक उत्तरदायित्वों के सहज सांस्कृतिक गतिविधियों का सेतु विद्यमान होता है और सजीव एवं निर्जीव भेद, पाप और पुण्य में अन्तर तथा अच्छाई और बुराई में अन्तर का भाव क्रियान्वित हो सकता है । यद्यपि जैन दर्शन की मूल मान्यता है कि पूर्णतः शाकाहारी भोजन प्रयुक्त कियाजाना लेकिन व्यवहारिक परिपेक्ष्य में रूपांतरण प्रासंगिक प्रतीत होता है । जैन समाज में धार्मिक पर्वों के अन्तर्गत अलौकिक विलक्षणता है जो एक विशेष प्रकार की संस्कृति की द्योतक है । तालिका संख्या 51 में जनपद भिण्ड में संचालित होने वाले जैन मेलों का विवरण प्रस्तुत किया गया है । जनपद भिण्ड में वार्षिक मेले का आयोजन भूलास्मृति के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है ।

तालिका संख्या- [48]

जनपद भिण्ड के जैन मन्दिर

क्र. सं.	नाम	स्थान
1.	श्री महावीर स्वामी दि० जैन नशियाजी	रेलवे स्टेशन
2.	श्री विमलनाथ जी का मन्दिर	अटेर रोड
3.	श्री बाहुबली स्वामी जी बड़ा मन्दिर	पुराना बस स्टैण्ड
4.	श्री चन्द्र प्रभु स्वामी	पुराना बस स्टैण्ड
5.	श्री आदिनाथ का विशाल चैत्यालय मन्दिर	झम्मन लाल का बाजार
6.	श्री पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मन्दिर	महावीर गंज
7.	श्री नेमीनाथ जी का बड़ा मन्दिर	बड़ा डाकखाना
8.	श्री आदिनाथ का बड़ा मन्दिर	कोठी नरसिंगराव
9.	श्री महावीर स्वामी का मन्दिर	तट गौरी तलाव
10.	श्री अजितनाथ जी का मन्दिर	कन्या महाविद्यालय
11.	श्री विमलनाथ जी जती का विशाल मन्दिर	पुराना हलवाईखाना
12.	श्री महावीर स्वामी का चैत्यालय	बम्बई वाले पचातालेन
13.	श्री पार्श्वनाथ जी का चैत्यालय	महावीर गंज
14.	श्री विमलनाथ जी का चैत्यालय	पुरानी चुंगी नाका

क्र. सं.	नाम	स्थान
15.	श्री 1008 बाहुबलि दिगम्बर चैत्यालय मन्दिर	पुस्तक बाजार
16.	श्री 1008 चन्द्र प्रभु दि० जैन मन्दिर	पुस्तक बाजार
17.	श्री 1008 महावीर स्वामी दि० जैन चैत्यालय	हजरिया मार्केट
18.	श्री 1008 शाँतिनाथ दि० जैन मन्दिर	गर्ल्स स्कूल के पास
19.	श्री पार्श्वनाथ जी बड़ा मन्दिर	पुराना हलवाईखाना
20.	पद्मावती माँ का मन्दिर	कृष्णा टाकीज के पीछे
21.	श्री शाँतिनाथ जैन मन्दिर	

तालिका संख्या- [49]

जनपद भिण्ड में जैन धार्मिक क्रियाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम
1.	महावीर जयन्ति चैत्र सुदी 13
2.	अक्षय तृतीया - चैत्र सुदी 3
3.	श्रुत पंचमी - जेठ सुदी 5
4.	रक्षा जयन्ति - असाढ़ वदी
5.	अष्टान्हिका- असाढ़ कार्तिक फागुन सुदी 8 से 15 तक तीन बार
6.	वीर शासन जयन्ति - सावन वदी 1
7.	मोक्ष सप्तमी - सावन सुदी 6
8.	रक्षाबन्धन - सावन सुदी 15
9.	षोडस कारण - भादों माह फागुन अन्त के 16 दिन
10.	श्रुतस्कन्धव्रत - भादों वदी 1
11.	रविव्रत - असाढ़ सुदी का अंतिम रविवार
12.	मेघमाला व्रत - भादों सुदी प्रतिपदा से आश्विन सुदी प्रतिपदा
13.	लब्धि विधानव्रत - भादों माह चैत्र सुदी 1 से 3

क्र. सं.	नाम
14.	त्रिलोक तीजव्रत - भादों शुक्ल 3
15.	ऋषि पंचमी - भादों सुदी 5
16.	निर्दोष सप्तमी - भादों सुदी 6
17.	निःशल्य अष्टमी - भादों सुदी 8
18.	मौन एकादशी - भादों सुदी 11
19.	द्वादशी व्रत - भाद्रवा सुदी 12
20.	रत्नत्रय - भाद्रवा सुदी 13 से 15
21.	अनन्त चौदस - भाद्रवा सुदी 14

तालिका संख्या- (50)

जनपद भिण्ड के जैन सांस्कृतिक गतिविधियाँ

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1.	गजरथ महोत्सव	10.	महावीर जयन्ति
2.	पंच कल्याणक (गर्भ, जन्म, तप, केवलएवं निर्वाण)	11.	पर्युषण पर्व
3.	क्षमावाणी पर्व (मैत्री दिवस)	12.	विमानोत्सव
4.	संत वर्णीजयन्ती	13.	रक्षाबन्धन उत्सव
5.	दीपावली -महावीर निर्वाण	14.	भक्तामर पाठ
6.	निर्माण लाडू (भगवान के जन्म उत्सव)	15.	सिद्धचक्र विधान
7.	इन्द्रध्वज विधान	16.	त्रैलोक्य विधान
8.	वृहद पूजन विधान	17.	णमोकारमंत्र का जाप
9.	ज्ञानज्योति	18.	शाँतिपाठ

तालिका संख्या - §51§

जनपद भिण्ड में जैन मेलों का विवरण

क्र.सं.	नाममेला	समय हिन्दी अंग्रेजी माह	अवसर	समयावधि दिन में	व्यवस्था
1.	बरई	आश्विन सुदी 7 सित.- अक्टूबर	जैन मेला	6	स्थानी वैश्यवर्ग
2.	भिण्ड नसिया	कार्तिक सुदी 8-15 अक्टूबर, नवम्बर	जैनमेला	8	जैन समिति
3.	मौ	प्रत्येक तीसरे वर्ष दिसम्बर, जनवरी	जैन मेला	2	जैन समिति
4.	बरासौं	कार्तिक सुदी 2अक्टूबर-नवम्बर	जैन मेला	6	स्थानीय व्यक्ति
5.	रौन	भादों मास-अगस्त, सित.	जैन मेला	2	स्थानीय व्यक्ति

उपर्युक्त विवेचना में सांस्कृतिक गतिविधियों के भौतिक पक्षों का उल्लेख किया गया है और इसका समाज शास्त्रीय मूल्यांकन करने से स्पष्ट होता है कि जैन धर्म की गतिविधियों में क्रियान्वयन सम सामाजिक रूप से हो रहा है । वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रसंग संकलित सांस्कृतिक अभिरुचियों का विवरण तालिका संख्या 52 में प्रदर्शित किया गया है इस तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि शतप्रतिशत उत्तरदाताओं के अभिमत में समाज सांस्कृतिक गतिविधियाँ बौद्धिक दृष्टि से आवश्यक हैं और इनके माध्यम से वैमनस्य कम होता है । प्रस्तुत वर्गीकरण चिन्तन की अपूर्व पराकाष्ठा पर है क्यों कि भारत वर्ष के अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीयता एवं अन्य कारणों से धार्मिक उन्माद विकसित हुआ है और फिर हाल जनपद भिण्ड के जैन समाज की गरिमा के कारण इस क्षेत्र में ऐसी कोई सांस्कृतिक विषमता नहीं है । प्रस्तुत प्रसंग में उत्तरदाताओं को यह अवसर दिया गया कि वह सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवार के सदस्यों के योगदान का विवरण दें । इसका प्रदर्शन तालिका संख्या 53 में किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के परिवार के 80 प्रतिशत सदस्यों का योगदान सामान्य वर्ग में है 10 प्रतिशत सदस्यों का योगदान अधिकतम वर्ग में है और 10 प्रतिशत योगदान न्यून वर्ग में है । इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वह पूर्ण परम्परात्मक प्रतिमानों के द्वारा संचालित हो रहा है । जो व्यक्ति सांस्कृतिक गतिविधियों में कम योगदान दे पा रहे हैं उनका संभवतः कारण व्यवसायिक जटिलता है और इसके अन्तर्गत कुछ प्रतिशत में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव भी हो सकता है ।

प्रत्येक समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को सार्वभौमिक रूप से परिष्कृत करने का प्रयास किया जा रहा है और जनपद भिण्ड के जैन समाज में जब सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को परीक्षित किया गया (तालिका सं० 54) तो धनात्मक पक्ष में 51 प्रतिशत तथा ऋणात्मक पक्ष में 49 प्रतिशत उत्तरदाता संकलित किये गये वस्तुतः यह पक्ष समानुपातिक है इसलिए इसे सामाजिक विवेचन में सहजता से स्वीकृत किया जा सकता है सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाओं को उचित स्थान देने की संस्तुति प्रत्येक धर्म करता है तथा इस प्रकार प्रस्तुत विवरण सैद्धान्तिक

तालिका संख्या - [52]

उत्तरदाताओं के मतानुसार सांस्कृतिक अभिरुचियों का विवरण

क्र. सं.	अभिरुचि	मत हाँ	नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि	100	----	100
2.	सांस्कृतिक गतिविधियों से सामाजिक स्तर बढ़ता है	100	---	100
3.	सांस्कृतिक गतिविधिया मनोरंजन का साधन हैं	100	---	100
4.	सांस्कृतिक गतिविधियों से बौद्धिक स्तर बढ़ता है	100	----	100
5.	सांस्कृतिक गतिविधियों से वैमनस्य कम होता है	100	----	100

तालिका संख्या— 153

उत्तरदाताओं के मतानुसार सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवार के सदस्यों के योगदान का विवरण

क्र. सं.	योगदान	प्रतिशत
1.	सामान्य	80
2.	अधिकतम	10
3.	न्यून	10
4.	नगण्य	——
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - (54)

उत्तरदाताओं के मतानुसार सांस्कृतिक गतिविधियों महिलाओं की भागीदारी का विवरण --

क्र. सं.	दृष्टि कोण	प्रतिशत
1.	सहमत	51
2.	असहमत	49
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

दृष्टि के अन्तर्गत माना जा सकता है । धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में अभिरुचि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया और इसके आधार पर प्राप्त सूचनायें तालिका संख्या 55 में दर्शायी गयी है । धार्मिक प्रसार की दृष्टि से सांस्कृतिक माध्यम उपयोगी हो सकते हैं, इसमें 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदाता इस विचार से सहमत नहीं थे । समीपवर्ती मूल्यांकन में यह देखा गया कि अन्य धर्मों के सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने वाले एवं न लेने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 1:1 में है प्रस्तुत मूल्यांकन के क्रम में पुनः मानव कल्याण का प्रसंग परीक्षण किया गया और इसमें शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी । इस तालिका का कुल निष्कर्ष इस प्रकार हो सकता है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्म के व्यक्तियों को सांस्कृतिक गतिविधियों से अनेक प्रकार की प्रत्याशाएं हैं और संभवतः इसी जिज्ञासा से वर्ष पर्यन्त अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों में विभिन्न माध्यमों से संलग्नित रहते हैं । समाज वैज्ञानिक प्रत्यय के विकास को वैज्ञानिकक्रम में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया और इस प्रसंग के प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या 56 में अंकित किया गया है । सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में अधिक राशि के व्यय को 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृत किया है जबकि 70 प्रतिशत उत्तरदाता इस विचार से सहमत नहीं है । समीपवर्ती परिधि में पश्चिमीकरण, औद्योगीकरण, पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया से जैन धर्म के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का विमोचन किया गया और शतप्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज के मूल्यों पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव पड़ा है । चिंतन की परिधि में जैन संस्कृति, त्याग की भावना और पुनर्जन्म आदि अवधारणाओं को विश्लेषित किया गया जिसके अन्तर्गत 1:1:1 का सामाजिक समीकरण प्राप्त हुआ है । इसका तात्पर्य यह है कि धर्म एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यवहारिक स्वरूपों में कुछ परिवर्तन अवश्य उत्पन्न हुआ है और संभवतः इस दिशा का निर्माण एक मात्र रूप से आधुनिक सामाजिक शक्तियों के कारण माना जा सकता है ।

तालिका संख्या- (55)

उत्तरदाताओं के मतानुसार धार्मिक - सांस्कृतिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में अभिरुचि का विवरण :—

क्र. सं.	अभिरुचि	मत हाँ	मत नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	धार्मिक गतिविधियाँ सांस्कृतिक माध्यम से संचालित की जायें तो धर्म का प्रसार अधिक हो सकता है	60	40	100
2.	अन्य धर्मों के सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेते हैं	50	50	100
3.	जैन धर्म की सांस्कृतिक गतिविधियाँ मानव कल्याण के लिये उपयोगी है	100	——	100

पंचम अध्याय

आर्थिक व्यवस्था

(अ) प्राचीन अर्थव्यवस्था का स्वरूप

(ब) वर्तमान अर्थव्यवस्था का स्वरूप

(स) आर्थिक विस्तार

(द) समीक्षा

अध्याय - 5

आर्थिक व्यवस्था

(अ) प्राचीन अर्थ व्यवस्था का स्वरूप

(ब) वर्तमान अर्थ व्यवस्था का स्वरूप

(स) आर्थिक विस्तार

(द) समीक्षा

(अ) प्राचीन अर्थ व्यवस्था का स्वरूप

दुबे (1974) ने आर्थिक विकास के समाजशास्त्र का समाज वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया और इस अध्ययन के माध्यम से अनेक प्रकार के आर्थिक कार्यक्रमों को गुणवत्ता के आधार पर विश्लेषित भी किया साधारणतः स्वतंत्रता प्राप्ती के वर्ष को मध्यस्थ मानते हुए स्वतंत्रता पूर्व की आर्थिक गतिविधियों को तथा स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात की योजनाओं को श्रेणीबद्ध विश्लेषित किया गया । उनके मतानुसार समाज की न्यून एवं व्यापक अवधारणाओं का विकास अनेक प्रकार के आर्थिक प्रयोजन द्वारा अर्जित किया जा सकता है भारतीय समाज व्यवस्था तकनीकी दृष्टि से अत्याधिक विकसित न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर वांछित स्तर अर्जित नहीं कर सकी और इसके परिणाम स्वरूप भारत वर्ष के अनेक क्षेत्रों में आर्थिक समस्याओं के चिन्ह दिखाई देते हैं । तत्कालीन समाज व्यवस्था में सम्पूर्ण पद्धतियों की संरचना निर्दिष्ट उद्देश्यों के सापेक्ष प्रस्तावित की गयी थी और इसका प्रचलन इस अभिप्राय से था कि समाज में आसन्न प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक विकास गतिविधियों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रसंग में लाभान्वित होगा । आर्थिक विकास के प्रसंग में भारत वर्ष एक ऐसा देश है जिसमें अनेक प्रकार की संभावनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृ तो किया जाता है लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन न होने के कारण उचित स्थिति वर्तमान समय तक अर्जित नहीं की जा सकी इस प्रकार क्वालिटी तथा क्वांनटिटी में उचित समायोजन नहीं हो सका । इस प्रसंग में पीयर्स (1962), डैकि, बटन एवं गेलब (1962) का भी उल्लेख किया जा सकता है । ऐतिहासिक परिवेश में तथ्यों का मूल्यांकन किया जाना अत्याधिक आवश्यक है और इसका समाज शास्त्रीय संकलन क्रमानुसार दिया जा रहा है ।

भारत वर्ष के मध्य प्रदेश प्रान्त का जनपद भिण्ड स्थापना की दृष्टि से अत्याधिक प्राचीनतम है और ब्रिटिश कालीन गजेटियर में इसे मध्य

प्रान्त के अन्तर्गत माना गया अरावली पर्वत तथा विन्ध्याचल पर्वत के मिश्रित सिलसिले में इस भूभाग में आर्थिक कठिनाइयों का व्यापक स्वरूप रहा । भूमि संरचना की दृष्टि से जनपद भिण्ड में बनजर एवं उपजाऊ मिश्रित प्रकार की भूमि होने के कारण कृषि कार्यों के चमत्कारिक लक्ष्य अर्जित नहीं किये जा सके, और इस प्रसंग में अधिक ग्रीष्म प्रभाव का भी उल्लेख किया जा सकता है । जो स्थानीय उत्पादकता को प्रतिबन्धित किये हुए है । ऐतिहासिक प्राप्त अभिलेखों के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड के चारो तरफ कटीले बीहड़, जो चम्बलघाटी के सिलसिलों में मिश्रित होकर एक शोषणात्मकस्थिति का निर्माण करते हैं । वर्ष 1901 - 1947 तक के अवधि में किसी भी विशिष्ट आर्थिक योजना के संचालन के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं । स्थानीय व्यक्ति-यों द्वारा किये गये श्रम के आधार पर परम्परागत आर्थिक उपज प्रयास है और जो संकटता जनपद भिण्ड के भौगोलिक परिस्थिति के कारण पैदा होती है । जनपद भिण्ड में निवास करने वाले वरिष्ठ आयु के व्यक्तियों से सामान्य साक्षात्कार में यह सूचना एकत्रित की गयी कि स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आर्थिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व मिश्रित रूप से वहन किया जाये । इस संदर्भ में यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि तत्कालीन समाज व्यवस्था में दूर की मण्डियों से व्यवसायी निश्चित तिथि और स्थान पर आकर एकत्रित होते थे और स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आवश्यकता की वस्तुयें स्थानीय उपज के बदले प्राप्त की जाती थी । इसे अर्थ शास्त्र के क्षेत्र में बार्टर व्यवस्था कहा जाता है । इसके समानान्तर जनपद भिण्ड में एक मात्र रूप से कुटीर उद्योगों के प्रसंग में परम्परागत व्यवसायों का प्रचलन विद्यमान था, उदाहरणार्थ, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, चमार, नाई, सुनार, आदि । व्यवसायिक कुशलता एक ऐसा विकल्प है जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इस क्रम मे उल्लेख किया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ती की अवधि तक कोई भी ऐसा प्रशिक्षण संस्थान जनपद भिण्ड में स्थापित नहीं किया गया जो तत्सम्बन्धित आवश्यकता की पूर्ति कर सके । वर्तमान प्रसंग में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि तत्कालीन समाज व्यवस्था के सदस्यों ने मात्र श्रम कार्य ही किया होगा लेकिन यह कहना कठिन है कि स्थानीय दुर्ग, मन्दिरों, तालाबों

अन्य स्थलों का निर्माण किन परिस्थितियों में किया गया । आर्थिक उन्नयन का तथा आवागमन के साधनों पर निर्भर करता है और इस क्रम में यह उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड से राष्ट्रीय राजधानी जाने वाला रोड भी नवीन स्थापना है । इसका तात्पर्य यह हुआ जब आवागमन के साधन प्रचुरमात्रा में नहीं थे तो इसका आर्थिक विकास कैसे हो सकता था । वर्तमान प्रसंग में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि दुधारू पशुओं के पालन की प्रवृत्ति विद्यमान होने के कारण जीविका निर्वाहिका परम्परागत साधन विकसित किया गया था । इन समस्त मिश्रित घटनाक्रम का प्रभाव यह हुआ कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले प्रत्येक धर्म के व्यक्ति पर आर्थिक उत्तर-दायित्वों का बोझ निरन्तर विकसित होता रहा और मौलिक रूप से उन्नयन का श्री गणेश मात्र स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद ही सम्भव हो सका ।

{ ब } वर्तमान अर्थ व्यवस्था का स्वरूप

भारत वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात संविधानिक निर्माण की प्रक्रिया में यह निर्दिष्ट किया गया कि अंबर भारतीय अर्थ व्यवस्था को नवीन मानकों द्वारा सर्वतोमुखी विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है और इसका प्रमुख क्रियान्वयन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रस्तावित किया गया । वर्ष 1950 से वर्ष 1992 तक की सम्पूर्ण अवधि में अनेक प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र जनपद भिण्ड में स्थापित किये गये और इनके लक्ष्यों का निर्धारण एवं मूल्यांकन सम सामयिक रूप से किया गया इस योजना में विभिन्न संस्थाओं की स्थापना, अनेक प्रशासनिक वर्गीकरणों का संचालन तथा अनेक प्रकार के कुटीर उद्योगों आदि के लिए बैंकों की स्थापना आदि प्रमुख है । वस्तुतः लगभग 42 वर्ष की अवधि में जनपद भिण्ड की समाज आर्थिक स्वरूप की व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास वृहद स्तर पर किये जाने के कारण यहाँ के आर्थिक सौष्ठवता में वृद्धि हुई है । और इस वृद्धि में जैन धर्म के व्यक्तियों का सक्रिय योगदान है । वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज के सदस्य अनेक प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत हैं और इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में स्थानीय व्यक्तियों को सम्पूर्ण आवश्यकताओं की वस्तुये उपलब्ध हो जाती हैं । सम्पूर्ण जनपद में जैन धर्म के व्यक्तियों ने

जनरल स्टोर, वस्त्रों की दुकानों, सोना चांदी का व्यवसाय, होटल व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, परचूनी व्यवसाय, लेनदेन संस्थायें, लोहा व्यवसाय, पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यवसाय, तथा गल्ला व्यवसाय आदि पर स्वामित्व स्थापित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय दाल मिलें, आइस फैक्टरी, आयल मिल्स, डिपो आदि पर प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है। इस क्रम में डाक्टर सिंघल (डा० एस. सी. जैन) प्राइवेट लिमिटेड, जैन फैरो अलॉज जो दवाइयाँ तथा फैरो सिलिकॉन का उत्पादन करते हैं तथा ये संस्थायें भानपुर मैंस्थित हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में यह भी व्यक्त किया जा सकता है कि जैन धर्म के व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वकालात, शिक्षण कार्य आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से हुई है। इस सम्पूर्ण विवरण का प्रभाव यह पड़ा कि जनपद भिण्ड का जैन समाज आर्थिक मानक प्रसंग में अत्याधिक अग्रणीय है।

तालिका संख्या 57 में उत्तरदाताओं का व्यवसायिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 18 प्रतिशत नौकरी, 53 प्रतिशत व्यवसाय, तथा 9 प्रतिशत सेवानिवृत्त वर्ग में उत्तरदाता संकलित किये गये है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ न करने वाले वर्ग में प्राप्त हुए हैं। इन वर्गीकरण का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्म के व्यक्तियों में व्यवसायिक प्रवृत्ति सर्वाधिक है और इसका कारण पारिवारिक अनुपालनता के प्रसंग में स्पष्ट किया जा सकता है। साधारण सर्वेक्षण में यह देखा गया कि एक प्रकार के व्यवसाय में परिवार के अनेक सदस्य संलग्नित होते हैं। परम्परागत विवेचना में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जनपद भिण्ड में जैन समाज के व्यक्तियों द्वारा व्यवसायिक प्रभुसत्ता अर्जित की जा रही है। इसलिए वर्तमान तालिका के सम्पूर्ण उपलब्धियाँ सैद्धान्तिक मान्यता के अनुरूप हैं। जैन धर्म सम्प्रदाय के संकलित उत्तरदाताओं के पारिवारिक आय के स्त्रोतों का विवरण तालिका संख्या 58 में किया गया है। इस तालिका में व्यक्त किये गये तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि जनपद भिण्ड में जैन समाज के प्रसंग में 13 प्रतिशत नौकरी

तालिका संख्या -{57}

उत्तरदाताओं के व्यवसाय का वर्गीकरण

क्र. सं.	व्यवसाय	प्रतिशत
1.	नौकरी	18
2.	व्यवसाय	53
3.	सेवानिवृत्त	09
4.	कुछ नहीं करते	20
5.	अन्य कोई विवरण	——
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या -158

उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक आय के स्रोतों का वर्गीकरण

क्र.सं.	आय के स्रोत	प्रतिशत
1.	नौकरी	13
2.	व्यवसाय	71
3.	खेती	10
4.	मिश्रित	6
5.	अन्य	——
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

71 प्रतिशत व्यवसाय, 10 प्रतिशत खेती एवं मिश्रित स्वरूप में 6 प्रतिशत आय के स्रोत विद्यमान है। इस प्रकार व्यवसाय का अधिक प्रतिशत पूर्ववर्ती विचार धारा का समर्थक है। वर्तमान प्रसंग में यह भी उल्लेखकिया जा सकता है कि कुछ जैन परिवार इस प्रकार के हैं जो आर्थिक प्रयोजन के लिए परम्परागत कृषि पर अवलम्बित हैं।

समाज वैज्ञानिक क्रम में सर्वाधिक उल्लेखनीय सूचना तालिका संख्या 59 में अंकित की गई है। इस तालिका में पारिवारिक मासिक आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस तालिका अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वाधिक 52 प्रतिशत वर्ग में मासिक आय रुपये 5000 /= से अधिक है और व्युत्क्रम में मात्र एक प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनकी पारिवारिक मासिक आय रुपये 500 /= से कम है। इस वर्ग में संतुलित की गई सूचनाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मध्यम वर्गीय आय वर्ग में उत्तरदाताओं का प्रतिशत पारिवारिक मासिक आय के सापेक्ष कम है। जो यह निष्कर्ष प्रदत्त करता है कि जैन समाज में व्यवसाय माध्यमों की वृद्धि होने के कारण मासिक आय के मानक में प्रभावशाली रूपांतरण हुआ है। वर्तमान प्रसंग में उत्तरदाताओं को एक मनोवैज्ञानिक अवसर प्रदत्त किया गया है। जिससे कि वह धन संचय के माध्यमों का विवरण दें। इस परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या 60 में दर्शाया गया है। इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत बैंक, 10 प्रतिशत पोस्ट ऑफिस, 20 प्रतिशत बीमा कम्पनी, 10 प्रतिशत अचल सम्पदा के रूप में तथा 10 प्रतिशत घरों में रखने की स्वीकृति देने वाले उत्तरदाताओं ने अनेक माध्यमों के चयन की स्वीकृति दी है। सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न अत्याधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए सम्पदा को बैंकों में सर्वाधिक प्रतिशत सुरक्षित रखा जा रहा है। उत्तरदाताओं के परिवारों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण तालिका संख्या 61 में व्यक्त किया गया। इस में अन्य वर्गों के अतिरिक्त कार वर्ग में 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अस्वीकृति दी है तथा सामान्यतः टी.वी., फ्रिज, कूलर, टैलीफोन, स्कूटर, गैस आदि सुविधाओं के समानुपातिक प्रवृत्ति है, जिसका तात्पर्य यह स्पष्ट करना है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज में भौतिक सुविधाओं के अनेक श्रेणियाँ विद्यमान हैं। और इसे सर्वाधिक मत में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का

तालिका संख्या-159

उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक मासिक आय का विवरण

क्र. सं.	आय वर्ग	प्रतिशत
1.	500/- से कम	1
2.	500/- से 1000/- तक	6
3.	1000/- से 1500/- तक	13
4.	1500/- से 5000/- तक	28
5.	5000/- से अधिक	52
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या-159

उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक मासिक आय का विवरण

क्र० सं०	आय वर्ग	प्रतिशत
1.	500/- से कम	1
2.	500/- से 1000/- तक	6
3.	1000/- से 1500/- तक	13
4.	1500/- से 5000/- तक	28
5.	5000/- से अधिक	52
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - §60§

उत्तरदाताओं के मतानुसार धन संचय के माध्यमों का विवरण

क्र.सं.	संचय का माध्यम	प्रतिशत
1.	बैंक	50
2.	पोस्ट आफिस	10
3.	बीमा	20
4.	अचल सम्पदा के रूप में	10
5.	घर में	10
6.	अन्य माध्यम	—
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - 61

उत्तरदाताओं के मतानुसार भौतिक सुविधाओं का विवरण

क्र.सं.	सुविधा	मत हाँ	नहीं	कुल योग प्रतिशत
1.	टी. वी.	94	6	100
2.	फ्रिज	80	20	100
3.	कूलर	88	12	100
4.	टेलीफोन	81	19	100
5.	कार	14	86	100
6.	गैस	79	21	100
7.	स्कूटर	90	10	100

प्रभाव कहा जा सकता है । वर्तमान प्रसंग में पुनः उत्तरदाताओं को मनोवैज्ञानिक आधार पर परिक्षित किया गया , और इसका विवरण तालिका संख्या 62 में दर्शाया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि 98 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए नीतिगत आधार से स्वीकृति करते हैं जबकि दो 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मिश्रित प्रयास द्वारा धनवृद्धि के प्रयासों को उचित दर्शाया है । यह उपलब्धि पुनः यह कहने के लिए बाध्य करती है कि आर्थिक उन्नयन के मूल्यों पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव जनपद भिण्ड के जैन समाज पर धनात्मकता से है । समीपवर्ती प्रसंग में पारिवारिक सदस्यों के सेवा क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया और इसका निष्कर्ष तालिका संख्या 63 में दर्शाया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के परिवारों के सदस्य 10 प्रतिशत मध्य प्रदेश, 88 प्रतिशत सम्पूर्ण भारत वर्ष में तथा 2 प्रतिशत विदेशों में सेवा रत हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समुदाय के सदस्य आर्थिक अर्जन की दृष्टि से सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं विश्व के अनेकों देशों में कार्यरत हैं ।

समाज मनोवैज्ञानिक प्रसंग में आर्थिक अर्जन के अतिरिक्त व्यय करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है । इसका सामंजस्य तालिका संख्या 64 में दर्शाया गया है । जिसमें अनेक प्रकार के मदों का विवरण है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि शत्प्रतिशत उत्तरदाताओं ने धार्मिक एवं चिकित्सा कार्यों में व्यय को उचित बताया है जबकि 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनोरंजन कार्यों में व्यय की संस्तुति की है । इसके समकक्ष दान की अभिरुचि का वर्ग सामानुपातिक प्रतिशत में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राप्त हुई है । इसके समकक्ष भोगविलासता की वस्तुओं के प्रसंग में किये जाने वाले व्यय की स्वीकृति मात्र 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दी है । जबकि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत विचार के पक्ष में अभिमत दिया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि धर्म, मनोरंजन, दान चिकित्सा एवं विलासता आदि सम सामयिक वर्ग हैं और योग्यतानुसार इनमें व्यय किया जा सकता है ।

तालिका संख्या - (62)

उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक आय के प्रसंग में संचय

मनोवृत्ति का विवरण :-

क्र.सं.	मनोवृत्ति	
1.	नीति के आधार पर	98
2.	अनीति के आधार पर	——
3.	मिश्रित प्रयास द्वारा	2
4.	अन्य	——
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या -(63)

उत्तरदाताओं के अनुसार पारिवारिक सदस्यों के सेवा क्षेत्र

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	म0 प्र0	10
2.	भारत वर्ष	88
3.	विदेशों में	2
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या -[64]

उत्तरदाताओं के मतानुसार आय खर्च करने के मदों में अभिरुचि का विवरण

क्र.सं.	अभिरुचि	मत हाँ	नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	धार्मिक कार्य	100	—	100
2.	मनोरंजन	89	11	100
3.	दान	50	50	100
4.	चिकित्सा	100	—	100
5.	भोग विलास	20	80	100

तालिका में स्पष्ट मदों के सम्बन्ध में संकेत प्राप्त होता है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समुदाय के व्यक्तियों की आर्थिक परिस्थितियाँ आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव में हैं । और इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष तालिका संख्या 65 में दर्शाया गया है। जिसमें 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पारिवारिक सदस्यों के दृष्टिकोण को आर्थिक वितरण के परिप्रेक्ष्य में धनात्मक रूप से स्वीकृत किया। जबकि 19 प्रतिशत नकारात्मक रूप में है। जो पुनः पूर्ववर्ती विचारधारा को प्रबल समर्थन माना जा सकता है।

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रसंग में आर्थिक मूल्यों को औपनिवेशिक परिपेक्ष्य में मूल्यांकित करने का प्रयास किया गया और इसका विवरण तालिका संख्या 66 में अंकित किया गया है। वर्तमान तालिका के उपलब्धियाँ समाजशास्त्रीय स्वरूप में अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं में पारिवारिक आय के स्वरूप को संयुक्त अवधारणा के रूप में स्वीकृत किया है। जबकि इसके सापेक्ष्य 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं का स्वरूप व्यक्तिगत आय संरचना के विकल्प के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि की व्यवहारिक व्यवस्था में यह वर्णित किया जा सकता है कि किसी भी संगठन का वर्चस्व एकता के आधार पर स्थापित रह सकता है। जबकि व्यक्तिगत आधार पर एकत्रित इकाईयों का सुरक्षित रहना कम संभव है। इस बात की प्रमाणिकता अनेक प्रकार के दृष्टान्तों में दी गई है। सामाजिक व्यवस्था में जन संख्या घनत्व के आधार पर संगठन का स्वरूप प्रभावी होता है। तो आर्थिक प्रयोजन में यदि अवयवों के व्यक्तिगतता में वृद्धि होती है तो यह निष्प्रयोज्य उपलब्धि नहीं है। अपितु इसका स्वरूप आधुनिक शक्तियों के प्रभाव के कारण कदाचित प्रभावित हैं। इस प्रकार आर्थिक नियोजन एवं विनियोजनों के अनेकानेक प्रसंगों में जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज के सदस्यों को परिचित किया गया है।

तालिका संख्या - {65}

उत्तरदाताओं के मतानुसार आर्थिक वितरण से पारिवारिक सदस्यों

का दृष्टि :-

क्र. सं.	दृष्टिकोण	प्रतिशत
1.	हाँ	81
2.	नहीं	19
	कुलयोग:-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या-166

उत्तरदाताओं के मतानुसार पारिवारिक आय का स्वरूप

क्र.सं.	आय का स्वरूप	प्रतिशत
1.	संयुक्त	83
2.	व्यक्तिगत	17
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

(ग) आर्थिक विस्तार

भारत वर्ष के मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड के आर्थिक विस्तार के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार की सूचनायें उपलब्ध हुई हैं और इन्हें क्रमानुसार अंकित किया जा रहा है। जनपद भिण्ड के प्राचीन अर्थ व्यवस्था का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि यहाँ के अर्थ व्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के स्वरूप से मिलता जुलता था। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र ही उत्पादन की इकाई के एक मात्र स्रोत थे। गेहूँ चना, सरसों, गन्ना, अरहर, बाजरा, अलसी, यहाँ की प्रमुख फसलें हुआ करती थी एवं कपास का उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में होता था। पशु पालन भी एक मुख्य व्यवसाय था यहाँ तक की अधिक घरों में पशु पालने का रिवाज था, गाय भैंस दूध के लिए एवं भेड़ें ऊन के लिए पाली जाती थी। यही कारण है कि यहाँ पर घी का उत्पादन, ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में अधिक मात्रा में हुआ करता था। जनपद में घी, गुड़ एवं लोहे का व्यापार भी बड़ी तादाद में होता था। आज भी जनपद में कई मुहल्लों के नामों का उल्लेख सम्बन्धित व्यापारों के अनुरूप देखने को मिलता है। जैसे गुड़आई मुहल्ला, किराई मुहल्ला, लुहराई मुहल्ला, इससे लगता है कि उपरोक्त स्थान इन वस्तुओं के व्यापार के प्रमुख केन्द्र रहे होंगे। जनपद में जानवरों की खालों को सुखाकर चमड़े के जूते एवं पानी खींचने की मोठ तथा मशकें आदि बनाई जाती थी। व्यापारी वर्ग समृद्ध था। गेहूँ चना, अरहर, चावल, पत्थर का सामान, दालें, घी आदि का निर्यात होता था। बुजुर्गों के मुताबिक यहाँ से कपास मिलों में साफ होकर ग्वालियर की मिलों में वस्त्र के रूप में परिणित करने हेतु भेजा जाता था। आज भी यहाँ पर कपास के जिनिंग फैक्टरियों की चिमनियाँ विद्यमान हैं। जो कि भिण्ड नगर के औद्योगीकरण के विकास और अवनति को दर्शाती है। वर्तमान में यह मिलें केवल अवशेष के रूप में दिखाई देती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के साधन सीमित थे, साधनों के रूप में ऊँट, इक्का बैल गाड़ी, घोड़ा आदि साधनों को प्रयोग में लाया जाता था। इस सम्बन्ध में बुजुर्गों का कहना है कि कुछ व्यक्ति तो व्यवसाय के सम्बन्ध में पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे।

ऐतिहासिक आलेखों के मुताबिक भिण्ड शहर को ग्वालियर से जोड़ने के लिए सिंधियाराज घराने ने सन् 1895 ई0 में एक छोटी रेलवे लाइन डलवाई थी । भिण्ड नगर के विकास में इस बचकानी रेल लाइन का विशेष योगदान है । बताते हैं कि भिण्ड से मंडी की संपूर्ण आयात- निर्यात और आवागमन से जोड़ने का एक मात्र साधन था । प्राचीन अर्थ व्यवस्था के निरन्तर विकास में अवरोध पैदा हो जाने के सम्बन्ध में किसी जानकारी के अनुसार यह क्षेत्र 1950 से भीषण डकैती की चपेट में आया । दस्युओं के आतंक के कारण यह क्षेत्र भीषण अत्याचार जुल्म शोषण और अन्याय की कहानी बन कर रह गया । ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यवसायी एवं नागरिको ने नगरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया । जिनके पास पैसा था उन्होंने दूसरी जगह जाकर व्यवसायों को अपनाया । कुछ लोग शहरी क्षेत्र में आकर अपने अपने व्यवसाय करने लगे । लेकिन 1960 के बाद इस क्षेत्र में अमन चैन एवं शांति स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किए गये । सर्वोदयी कार्य कर्ताओं, समाज सेवी कार्यकर्ताओं, एवं शासन के प्रयासों से दस्युओं के आत्म समर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई और निरन्तर इस दिशा में आशा के अनुरूप सफलता मिलती गयी और एकबार फिर विकासो-न्मुख के द्वार खुले आधुनिक कृषि उपकरणों एवं शासन की उदारनीतियों से जहाँ एक ओर कृषि सेक्टर मजबूत हुआ और दूसरी ओर कुटीर एवं लघुउद्योग यहाँ की अर्थ व्यवस्था के मूला-धार बने । मालनपुर के रूप में इस जिले को विकास का सबसे बड़ा तोहफा मिला । यह क्षेत्र प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अत्यन्त महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है । इससे न केवल भिण्ड जिले बल्कि सम्पूर्ण ग्वालियर चम्बल सम्भाग की तरक्की के नए रास्ते खोल दिए हैं । मालनपुर में करोड़ों की लागत से जो उद्योग लगाए जा रहे हैं वे अंचल के हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराने में तो सक्षम होंगे ही इसके साथ ही वित्तीय विनियम के कारण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी आमूल चूल परिवर्तन लाने में समर्थ होंगे । यातायात और संचार के साधनों में निरन्तर वृद्धि हो रही है गुना - इटावा रेल लाईन भी भिण्ड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी । इस रेलवे लाईन के शुरू हो जाने से यह जिला । यातायात की वर्तमान दिक्कतों से निजात तो पा ही जाएगा साथ ही देश के प्रमुख नगरों से सीधा यातायात सम्पर्क भी जुड़ जाएगा । कुल मिलाकर जिले में हर क्षेत्र में एक नई चेतना दिखाई दे रही है ।

उपर्युक्त विवेचना ऐतिहासिकपरिपेक्ष्य में दर्शायी गयी है । ऐतिहासिक उद्धरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्नीसवी शताब्दी के अंत में तथा बीसवी शताब्दी के मध्य भाग तक जनपद भिण्डमें आर्थिक उपक्रमों का स्वरूप किस प्रकार नियोजित किया जाता था । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि धार्मिक प्रयोजन का स्वरूप अत्याधिक प्राचीन है और तत्कालीन समाज व्यवस्था में अन्य धर्मो के व्यक्तियों के सापेक्ष जैन धर्म के व्यक्ति भी अवसाद पूर्ण आर्थिक व्यवस्था के प्रवर्तक रहे तथा इसका एक मात्रअभीष्ट कारण संचार माध्यमों का विकास न होना तथा सम्बन्धित धन स्रोतों का उपलब्ध न होना, को माना जा सकता है । समाज वैज्ञानिक प्रसंग में जनपद भिण्ड की ऐतिहासिक स्थिति तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम वैचारिक चिन्तन में अभीष्टसमायोजन का आधार इसलिए हो सकते है कि आवश्यक उपयोगीता की वस्तुएं सामाजिककरण इकाईयों को यदि उपलब्ध न होगी तो उनमें कुंठ विकसित होगी जो सम्पूर्ण सामाजिक संरचना के लिए हानि कारक हो सकती है । मानवीय प्रसंग मे एक विचार और भी व्यक्त किया जा सकता है कि अनेक धर्मावलम्बियों की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण यदि वांछित निर्वाह के स्त्रोत उपलब्ध नही होते है तो उनके अन्तर्गत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है जो पुनः किसी भी संगठन के लिए चुनौती पूर्ण हो सकता है ।

स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात जनपद भिण्ड में साक्षरता कार्यक्रम को प्रमुखता प्रदान की गयी और वर्तमान समय में इसे कई साक्षातकरण केन्द्र प्रदेश एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं जिनसे हजारों व्यक्तियों को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रक्खा गया है । जनपद भिण्ड में 6 पशु स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 अपंग पशु संकलन केन्द्र, 14 पशु औषधालय, 10 पशु चिकित्सालय, 1 पशु निरोधास्थल, 1 चलपशु चिकित्सा इकाई तथा 5 पशु जनन केन्द्र कार्यरत है जिनमें नियमित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है इसके समक्ष सम्पूर्ण जनपद में लगभग 7 लाख पशु है तथा लगभग 30 हजार कुक्कुट है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है कि सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए दुधारू पशु क्रय करने की स्कीम चलायी और इसके फलस्वरूप लगभग 1 सैकड़ों व्यक्ति लाभान्वित हुये ।

इसके समकक्ष सूकर इकाईयों का विकास भी सरकार द्वारा किया गया । स्थानीय प्रशासनिक सूचनाओं के आधार पर वर्ष 90-91 में लगभग 90 लाख लीटर दुग्ध संकलित किया गया और इस प्रकार यह संकेत मिलता है कि जनपद भिण्ड में डेरी विकास कार्यक्रम अत्याधिक उल्लेखनीय है । प्रशासनिक आधार पर संचालित 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है । वर्ष 1985 के पश्चात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 20 हजार व्यक्तियों ने स्वयं का व्यवसाय चयनित किया और अनेक बैंकों से लगभग 5 करोड़ रुपये तथा जिला विकास अभिकरण द्वारा लगभग 2 करोड़ का अनुदान प्रदत्त किया गया इसके समकक्ष ट्राइसेमयोजना भी संचालित है इसके अन्तर्गत लगभग 300 लोग स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ कर चुके हैं ।

जनपद भिण्ड में अन्त्यावसायी योजना , राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम , ग्रामीण भूमिहीन रोजगार आश्वासन कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना , महिला एवं बालविकास योजना, पोषण आहार योजना मध्यान्ह भोजन योजना , डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0 योजना, महिला जागृति शिविर योजना, वन विस्तार एवं पर्यावरण की रक्षा योजना , लोक निर्माण योजना, आदि कार्यरत हैं । समाज शास्त्रीय प्रसंग में यह उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड उद्योगों की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें जो कायाकल्प हुई है उसमें सर्वाधिक रूप से उल्लेखनीय मालनपुर क्षेत्र को औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना । मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1000 हजार 8 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है और इसमें लगभग 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी इसमें लगभग 15 सौ करोड़ के वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं । वर्तमान प्रसंग में यह एकत्रित करने का प्रयास किया गया कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के कौन-कौन से इकाईयाँ संलग्नता के लिए प्रस्तावित हैं और इसका विवरण तालिका संख्या 67 में दर्शाया गया है । इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद भिण्ड में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से प्रबल आर्थिक प्रसार का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है । इसके समकक्ष

तालिका संख्या - 67

जनपद भिण्ड में संचालित मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में क्रियाशील इकाईयों का विवरण

क्र.सं.	इकाई	सम्भावित उत्पादन
1.	सुविधा इण्डस्ट्रीज	रिजिड पी०वी०सी० पाईप
2.	वशिष्ठ ट्रेड्स प्रा०लिमि०	पिग प्लेट, रेल्वे ट्रैक आइटम
3.	स्टैनर फार्म्स प्रा० लिमि०	हैचबल एग्स
4.	बैरोक लाइन्स लिमिटेड	वेल्डिंग रॉड
5.	अवस्थी फोम इण्डस्ट्रीज	मैट्रेस, कुशन
6.	कुबेर ओवरसीज प्रा० ~~[illegible]~~ लिमि०	पी०वी०सी० कम्पाउण्ड एण्ड पाईप
7.	एस.बी.एम. इलैक्ट्रोड्स	वेल्डिंग रॉड
8.	ग्वालियर रबर प्रा० लिमि०	ट्रेड रबर सोल्युशन
9.	डायरॉन मेडस प्रा० लिमि०	दवाईयाँ
10.	नवदीप मेटल्स प्रा० लिमि०	स्टील कास्टिंग
11.	कुशवाहा जूट बैग्स इण्डस्ट्रीज	जूट बैग्स
12.	केशवानन्द केमिकल्स प्रा० लिमि०	प्लास्टिक बॉक्स स्ट्रैपिंग
13.	कनक सिरामिक्स प्रा० लिमि०	रिफ्रैक्टरीज

क्र.सं.	इकाई	सम्भावित उत्पादन
14.	सुपर टेक इण्डस्ट्रीज	जी.आई. वायर स्टिंग कार्ड बोर्ड बॉक्सेज
15.	ऊक हेल्ड प्रा0 लिमि0	वैल्डिंग रोड्स
16.	चतुर्वेदी मैटल्स प्रा0 लिमि0	स्टील रोलिंग
17.	एम. आर. टोबैको प्रा0 लिमि0	प्रोसेसड टोबैको, पान मसाला
18.	गोल्ड वाटर कैप्स प्रा0 लिमि0	पिलफर प्रूफ कैप्स
19.	स्टील प्रा0 लिमि0	स्टील कास्टिंग
20.	जैन फैरो अलायेज	फैरो सिलिकॉन
21.	ए.पी. फोम प्रा0 लिमि	पॉली यूरेथेन फोम
22.	स्मृति अलॉयज एण्ड स्टील प्रा0 लिमि	स्टील कास्टिंग
23.	तरुन पम्प्स प्रा0 लिमि0	सबमर्सबल पम्प्स, कंट्रोल पैनल
24.	अभ्युन्नत मीडिया प्रा0 लिमि0	जॉब प्रिंटिंग वर्क्स
25.	मैटा एलॉयज	फैरो सिलिकॉन

जल प्रदाय बोर्ड के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में भूमिगत जलस्रोत, पानामन्ना जल प्रदाय योजना, मुरार नदी जल प्रदाय योजना, कोतवाल जल संवेदक योजना, आवासीय योजना तथा दुरर्वार योजना आदि प्रस्तावित हैं। सम्पूर्ण भिण्ड जनपद में नहर तथा नलकूपों की मरम्मत का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है जिसमें की कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जा सके।

समीक्षा
=============

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रस्तुत चरण में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण तथ्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया और इस क्रम में प्राचीनतम आर्थिक घटना-क्रम का विवरण देते हुए यह कहा जा सकता है कि जनपद भिण्ड में ऐसे आर्थिक परिवर्तनों को सम सामायिकता के आधार पर स्वीकृत किए रखा है जो मात्र ऐतिहासिक विषय वस्तु तो है लेकिन मानवीय चेतना के अन्तर्गत इनकी उपादेयता निर्विवाद रूप से मान्य है। बीसवीं शताब्दी की सम्पूर्ण अवधि अत्याधिक उल्लेखनीय है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्प्रभाव इस समाज पर रहे और इस कारण आर्थिक अवनति निरन्तर होती रही कालान्तर में प्रबन्धकीय प्रशासनिक क्रिया कलापों का केन्द्रीकरण इस प्रत्यय की पृष्ठभूमि में किया गया कि समाज आर्थिक उपक्रमों का समानुपातिक विकास हो सके। यह पुनः उल्लेखित किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्म के व्यक्ति आर्थिक प्रसंग में उल्लेखनीय स्थिति में हैं क्यों कि वर्तमान सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाताओं के परिवारों की मिश्रित आय रूपये 5 हजार से अधिक है। स्वावलम्बी प्रवृत्ति के अन्तर्गत अनेक प्रकार के उत्तरदाता ऐसे प्राप्त हुए है जो आर्थिक विकास कार्यक्रम में स्वयं के पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं में समाज के बहुमुखी विकास की प्रत्याशा की गयी है और इसका सर्वाधिक लक्ष्य मालनपुर औद्योगिक इकाईयों के माध्यम से संभावित प्रतीत होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि परम्परात्मक आर्थिक मूल्यों में परिवर्तन को जो प्रतिबिम्ब दिखाई देता है

यह निश्चित रूप से आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के कारण है और इसके माध्यम से पूर्व निर्धारित परिकल्पना की पुष्टि अर्थात् आर्थिक प्रयोजन के प्रसंग में भी होती है । समानुपातिक दर्शन के अन्तर्गत यह व्यक्त किया जा सकता है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों में वैचारिक परिवर्तन एक मात्र रूप से आधुनिक सामाजिक शक्तियों की ही देन है जो कि प्रस्तुत अध्याय की प्रमुख उपलब्धि मानी जा सकती है ।

——— xxxx ———

षष्टम अध्याय

समाज-आर्थिक समन्वय

अध्याय - 6

समाज - आर्थिक - समन्वय

समाज - आर्थिक - समन्वय

वर्तमान शोध प्रबन्ध में प्रसंग में प्रस्तुत अध्याय का संकलन अनियंत्रित इकाईयों को संकलित करने के अभिप्राय से किया गया है सामाजिक संरचना में विद्यमान प्रतीकात्मक अवधारणाओं का विवेचन आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समचित होगा। प्रस्तुत प्रसंग में अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन आवश्यकतानुसार समाज वैज्ञानिक आयाम में किया जा रहा है और इसकी तार्किकता का लाभ सम्बन्धित विषय में रुचि रखने वाले शिक्षाविदों को होगा । भारतीय दर्शन में विद्यमान अनेक चुनौतियों का निवारण करना संभव नहीं हो सकता है लेकिन इस दिशा में एक प्रयास तो किया ही जा सकता है । औपनिवेशिक पद्धति में परिवर्तित होते हुए प्रतिमानों का प्रभाव समाज आर्थिक समन्वय पर पड़ा इसलिए इसका रेखांकित किया जाना पूर्णतः बौद्धिक एवं सामायिक है । सैद्धान्तिक दर्शन की मान्यतायें प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य करती है एक विशिष्ट प्रवृत्ति के चयन के लिए जो संरचनात्मक गतिशीलता में समाज आर्थिक प्रतीत होती है । इसका समाज मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन यदि प्रस्तुत किया जाय, तो कौन होगा ऐसा शिक्षाविद एवं समाज शास्त्री जो इसके औचित्य पर आपत्ति करे । सामाजिक विसंगतियों को आर्थिक विकेन्द्रीकरण के प्रसंग में यदि मूल्यांकित किया जाय तो एक ऐसे वैभवशाली शिशु का पालन पोषण किया जा सकता है जो समाज की अवधारणा से जाना जा सकता है । प्रस्तुत प्रसंग में तर्क एवं विवेक के आधार पर कुछ समाज वैज्ञानिक यह संस्तुति कर सकते हैं कि अमुक प्रकार की अवधारणायें विश्लेषण के प्रयास में उचित हो सकती थी लेकिन इस विचारधारा को प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है क्यों कि बौद्धिक पराकाष्ठा की कोई सीमा नहीं है और इस आग्रह के अन्तर्गत ही विश्लेषण का प्रस्तुत किया जा रहा है कि धैर्य और क्षमता के आधार पर जो भी किया जायेगा वह प्रासंगिक अर्थों में भावपूर्ण एवं उपयोगी होगा । इस प्रकार समाज आर्थिक समन्वय की आधार शिला वैचारिक दर्शन के सापेक्ष अंकित की गयी है । योजना एवं उसके क्रियान्वयन के क्रम व्यवस्था के अन्तर्गत परार्थवादी प्रतीत होते हैं और संभवता इस विचार धारा का समुचित श्रेय समाज आर्थिक

प्रसंग में हो सकता है । परम्परागत समाज वैज्ञानिक बहुगामी पद्धतियों के प्रभाव से अकिंचन थे और इस कारण वर्तमान शोध अध्ययन की विषय वस्तु अन्तर्विषयी होने के कारण आधुनिक परिपेक्ष्य में उपयोगी है । प्रस्तुत प्रसंग में सम्बन्धित विषय वस्तु की दृष्टि से उपयोगी विवरणों को अंकित करना अपरिहार्य प्रतीत होता है ।

सामाजिक व्यवस्था में संरचना , संस्कृति, धर्म तथा अर्थ के आधार मूल्यों में परिवर्तन होना एक ऐतिहासिक ध्रुव सत्य है । वेब {1963} ने अपने एक अध्ययन में धर्म के प्रसंग में हिन्दुत्वको सामाजिक व्यवस्था का वह आवश्यक आधार बताया है जो भारतीय व्यवस्था में विकास गतिविधियों को तात्कालिक रूप से प्रभावित करने में योगदान रखता है ।इसके समकक्ष सिंगर {1956} द्वारा भारत वर्ष के आर्थिक विकास के प्रसंग में सांस्कृतिक मूल्यों को उत्तरदायी बताया है इन प्रसंगों में हिन्दु संस्कृति , कर्म का सिद्धान्त , पाप और पुण्य की अवधारणा, पवित्र अवधियाँ, और इच्छा रहित कार्य तथा जाति , संयुक्त परिवार सामाजिक वर्गीकरण इत्यादि * भारतीय आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने में सहयोगी माने गये हैं । टिनकेन {1963} ने आर्थिक विकास कार्यक्रम पर जाति का प्रभाव अध्यायित किया और निष्कर्ष के रूप में यह उल्लेख किया कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान वर्ण के आधारों पर आर्थिक विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है क्यों कि इसमें सामाजिक गतिशीलता सर्वाधिक रूप से प्रभावित हो जाती है । इस प्रसंग में यह भी उल्लेख किया गया कि वस्तुतः समाज में विद्यमान वह परम्परागत प्रवृत्तियाँ जो कार्य विशेष के प्रसंग में उल्लेखनीय है, संकीर्ण विचारधारा में पड़ने के कारण आर्थिक गतिशीलता को अस्त व्यस्त कर देती है । एस. सी. दुबे {1964 बी.} ने सामाजिक संरचना तथा परम्परागत जटिलताओं के प्रसंग में यह अध्ययित किया कि कृषि विकास अवरोधित हो जाता है । वर्तमान प्रसंग में उपयोगी शोध पत्रों के सापेक्ष मोरिस {1967}, राव {1968}, मदन{1968}, मिश्रा {1962} , शरन{1962}, सिंह {1968}, गुप्ता एण्डगुप्ता{1969}, सहाय {1967}, पाण्डे {1970} गुप्ता {1971 आदि का उल्लेख किया जा सकता है । इन समस्त अध्ययनों में सम-सामाजिक प्रयास किया गया है ।इन इकाईयों के विवेचन का रूप जो समाज आर्थिक प्रभावों के लिए उपयोगी हो सकते हैं । इस प्रकार भारत वर्ष के

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में शोध कार्यों का संचालन जिस उत्साह के साथ किया गया उसमें एक मात्र विवेचना का प्रश्न यह था कि समाज आर्थिक पारस्परिकता किस प्रकार का प्रभावी स्वरूप है इस जिज्ञासा का उपयोगितानुसार निराकरण भी किया गया और अन्य सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में समाज वैज्ञानिक टीकाओं का जो दौर चला उसे वर्तमान प्रसंग में सराहनीय कहा जायेगा । यह बात अलग है कि इन अध्ययनों में निरन्तरता का अभाव होने का कारण स्थाई प्रतिमानों का निर्माण करने में उल्लेख-नीय सफलता नहीं मिल सकी , क्योंकि प्रत्येक समाज वैज्ञानिक स्वयं की मान्यताओं के आधार पर पूर्वाभासी का संकलन इस प्रकार करता है कि क्रमिकता का संकल्प पूर्ण दिखाई तो देता है किन्तु ऐसा यथार्थ रूप में होता नहीं है ।

समाज आर्थिक प्रसंग में प्रभावी व्यक्तियों का सर्वाधिक योगदान होता है और इस दिशा में किये गये समाजवैज्ञानिक अध्ययनों में लीला दुबे (1965) , अटल (1968), मोदी (1968), पार्क एण्ड टिंकर (1959), सच्चिदानन्द (1967) का उल्लेख किया जा सकता है । इन समस्त अध्ययनों में यह प्रयास किया गया कि क्षेत्रीय प्रभावी व्यक्तियों एवं नेताओं के कारण समाज आर्थिक गतिविधियाँ निश्चित रूप से प्रभावित होती हैं । इस प्रकार समाज आर्थिक समन्वय को विश्लेषित करने की दिशा में इन योगदानों की संदर्भीकरण को उचित दर्शाया जा सकता है ।

वर्तमान शोध सर्वेक्षण मे संकलित लिए गये मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड के जैन उत्तरदाताओं के प्रसंग में यह उल्लेख किया जा सकता है कि परम्प-रागत धर्म निष्ठता की पद्धति में निवास करते हुए इन प्रतिनिधियों ने समाज आर्थिक निर्माण की एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जो अन्यत्र कहीं प्राप्त होना असम्भव है । प्र-प्रस्तुत शोध अध्ययन की सम्पूर्ण समाज आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करने पर यह भी निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जब कभी भी कोई मानक आधुनिक शक्तियों के कारण प्रभा-वित होता है तो इसका अपरोक्ष प्रभाव आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती वर्णित अध्ययनों के प्रसंग में प्रस्तुत अध्ययन मात्र एकाकीपन है जो उन सजग प्रहरी समाज वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन लिए उपयुक्त हो सकता है जो काम

विकास की दृष्टि से दीर्घ कालिक अध्ययन में रुचि रखते हैं । प्रस्तुत संदर्भ में यह भी उल्लेखकिया जा सकता है कि वर्तमान अध्याय की सम्पूर्ण व्याख्याएं सैद्धान्तिक मान्यताओं के अन्तर्गत है और समाज आर्थिक दोनो पक्षों में प्रारम्भिक मूल्यों की मौलिक संरचनाओं पर आधुनिक शक्तियों का प्रभाव विधिवत है । इसलिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्रस्तुत कष्ट साध्य सम्मेलन का महत्व समाज वैज्ञानिक अवश्य अनुभव करेंगे । हम सामाजिक विचार धारा के क्रम में विचारों को परिष्कृत रूप से निर्देशित करने का प्रस्ताव किया गया है और कदाचित इसका सामूहिक अर्थ व्यक्त किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि समाज आर्थिक समन्वयता वह सदुद्देश्य अवलम्बन है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक काल एवं समाज को है और इस अनुक्रम में जनपद भिण्ड के जैन धर्मावलम्बियों तथा अन्य धर्मों के व्यक्तिमूल्यों के सन्दर्भ में आधुनिक सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित है और इससे पूर्ववर्ती विचारधारा की पुष्टि होती है ।

——— xxxxxx ———

सप्तम अध्याय

अन्य तथ्यों का विवरण

अध्याय - 7

अन्य तथ्यों का विवरण

(अ) राजनीतिक घटनाक्रम

(ब) समीक्षा

(अ) राजनैतिक घटनाक्रम

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के वर्तमान अध्याय के अन्तर्गत मध्य-प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समुदाय के प्रतिनिधियों से संकलित उस प्रकार की सूचनाओं का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है जो अन्या-अन्य कारणों से समुचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकी । सैद्धान्तिक रूप से यह विदित है कि सामाजिक संगठन में विद्यमान प्रसंगों के सापेक्ष राजनीतिक घटनाक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है । वस्तुतः शोध सर्वेक्षण में राजनैतिक अवधारणा की विषय वस्तु एवं इसके प्रचलन को अध्ययन का प्रमुख आधार नहीं बनाया गया फिर भी प्रासंगिकता के आधार पर एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण सामाजिक परिधि में आवश्यक प्रतीत होता है । प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण में राजनैतिक प्रसंगों का विवरण एकमात्र रूप से सांकेतिक है वर्तमान परिपेक्ष्य में यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि संकलित राजनीतिक समीकरण क्रमानुसार मूल्यांकित कि जाये । समाज वैज्ञानिक दर्शन में इस अभिप्राय के अनेक सूक्ति कूटनीति विद्यमान है कि राजनैतिक अवधारणायें ऐसी विधियाँ हैं जिनसे सामाजिक मूल्य प्रभावित होती हैं । प्रस्तुत प्रसंग में आन्द्रे बी.टी (1969 बी) का उल्लेख किया जा सकता है जिनके द्वारा यह अध्यापित किया गया कि राजनैतिक व्यवस्था तथा उसके अध्ययन की पद्धितियों की समस्यायें प्रमुख रूप से विचारणीय हो सकती हैं । इस क्रम में गुप्ता (1967) का विवरण दिया जा सकता है जिन्होंने अवधारणाओं की अपूर्णताओं को भारतीय राजनैतिक समस्याओं के प्रसंग में ध्यान आकर्षित किया वस्तुतः हेबरले (1951) द्वारा राजनैतिक समाज शास्त्र का क्रमिक संकलन किया । वर्तमान प्रसंग में कोहेन (1968) को राजैतिक मानवशास्त्र का क्षेत्र निर्धारण करने के अभिप्राय में विशेष उल्लेख दिया जा सकता है राजनैतिक समाज शास्त्र के दर्शन के अन्तर्गत लिपसेट (1959), गलफीन्ड (1957), राउसेक (1957), एडोल्फ एण्ड सडोल्फ (1959), और राघवन (1917), नायडू (1920), रजब (1925), पेट्री-(1932), मेरिस्ट (1955), श्रीनिवास (1954), मेयिस (1955), फ्यूरर हेमण्ड-(1962), मेयर (1967), कोठारी (1970), गार्डनर (1968), ड्यूमोंट एण्ड-पोर्क (1962), मेयर (1967), कोठारी (1970), गार्डनर (1968), ड्यूमोंट एण्ड-

पोकोक (1957), उमन (1970ए.), अल (1968 ए.), तथा बेली (1960ए.) का उल्लेख किया जा सकता है । इन समस्त अध्ययनों में सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक प्रकार के सामाजिक कारको का योगदान राजनैतिक प्रसंग में क्रियान्वित किया गया । और इस प्रकार प्रारम्भिक चिन्तन की परिधि के अन्तर्गत दर्शनीय अध्ययनों में वह आधार पटल विद्यमान है जो लोकाचार के अन्तर्गत राजनैतिक कर्तव्यनिष्ठा में गुणात्मक सक्रियता के लिए उपयोगी हो सकता है । इन समाज वैज्ञानिको के अध्ययन के माध्यम से भारत वर्ष के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विद्यमान समाज - सांस्कृतिक मूल्यों का मूल्यांकन राजनैतिक अवधारणा के सापेक्ष होने के कारण, यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि उनका वांछित उद्धरण किया जाय ।

समानान्तरक्रम में वर्तमान सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का उल्लेख इस आशय से किया जा रहा है क्यों कि परोक्ष भाव में धार्मिक क्षेत्रों के अन्तर्गत राजनैतिक कारको का प्रचलन जिस प्रकार है उसकी उपादेयता सामाजिक एवं समाजवैज्ञानिक है । प्रस्तुत ~~अध्ययनान्त~~ अध्याय की सम्पूर्ण उपलब्धियां समेकित रूप से यह निर्दिष्ट करेंगी कि जैन समाज के धार्मिक मूल्यों के सापेक्ष जनपद भिण्ड में राजनैतिक गतिशीलता का स्वरूप उर्ध्वाधर है अथवा समान्तर । तालिका संख्या 68 में सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाताओं की राजनैतिक अभिरुचि का विवरण प्रस्तुत किया गया है और इस तालिका में दर्शाये गये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि राजनैतिक दलों की सदस्यता के प्रसंग में सहमति एवंअसहमति के दृष्टिकोण में समानान्तिक प्रवृति विद्यमान है । इसका तात्पर्य यह है कि सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाता मिश्रित व्यक्तित्व के हैं तथा परोक्षरूप में इसे परम्परात्मक एवं आधुनिक समायोजना कहा जा सकता है और संभवता इन दोनों अवलम्बनों में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव किस दृष्टि कोण पर अधिक है यह समाजशास्त्रीय चिन्तन परम उद्देश्य है । ऐतिहासिक घटनाओं क्रमों के सापेक्ष पुरानी पीढ़ी के सदस्यों ने यह सूचित किया है कि वह विगत कई वर्षों से राजनैतिक दलों के सक्रीय सदस्य हैं, इसके समक्ष वर्तमान समय के सदस्यों में इस अभिप्राय का वैचारिकमतभेद विद्यमान है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों के सदस्य राजनैतिक क्रिया कलापों के लिए

तालिका संख्या - {68}

उत्तरदाताओं की राजनैतिक अभिरुचि का विवरण

क्र.सं.	दृष्टिकोण	मत हाँ	मत नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	राजनैतिक दलों की सदस्यता उचित है	59	41	100

सहयोग में तत्पर नहीं होते हैं । वर्तमान प्रसंग में उत्तरदाताओं को एक मनोवैज्ञानिक अवसर प्रदत्त किया गया जिससे कि वह राजनैतिक दलानुसार स्वयं की प्राथमिकता व्यक्त कर सके, एवं इस अभिप्राय का संकलन तालिका संख्या 69 में किया गया है । इस तालिका में व्यक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि साधारण राजनैतिक गतिशीलता के क्रम में कांग्रेस पार्टी में 35 प्रतिशत, भारतीय जनता पार्टी में 50 प्रतिशत जनता दल में 10 प्रतिशत, बहुजन समाजपार्टी में शून्य प्रतिशत तथा अन्य दलों में 5 प्रतिशत उत्तरदाता प्राप्त हुए है । वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि पूर्णतः जैन धर्म द्वारा संचालित कोई भी राजनैतिक दल मध्यप्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में क्रियाशील नहीं हैं और इस प्रकार परोक्ष तथा अपरोक्ष सम्बन्धित दलों के अन्तर्गत सदस्यता का विवरण प्राप्त हुआ है ।

प्रत्येक समाज व्यवस्था में राजनैतिक गतिविधियों का संचालन अनेक आधारों पर संभव हो सकता है और इसका परिप्रेक्ष्य अपेक्षा करता है कि सम्बन्धित प्राप्त सूचना का संकलन प्रस्तुत किया जाय । इस क्रम की सूचना को तालिका संख्या 70 में व्यक्त किया गया है । वर्तमान तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि व्यवसायिक, धर्म, जाति, अभ्यर्थी की योग्यता के विभिन्न क्रमों में 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने पुष्टि की है कि वह सामान्य निर्वाचन के समय इन व्यक्त आधारों को प्रमुख मानते हैं और इस प्रकार प्रस्तुत किया गया विश्लेषण अत्याधिक समाज वैज्ञानिक महत्व का है कि इन क्रमों में नकारात्मक दृष्टि-कोण का जो प्रतिशत अर्जित हुआ है वह यह निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है कि आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव स्वरूप जनपद भिण्ड का जैन समाज वर्तमान अवधि में सर्वाधिक अंशों में उभय पक्षीय स्थिति में है । यह विदित है कि स्थानीय राजनीति का प्रभाव राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रमों पर पड़ता है और प्रस्तुत पक्ष की सूचनाओं को तालिका संख्या 71 में अंकित किया गया है । वर्तमान तालिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि 90 प्रतिशत

तालिका संख्या - 69

उत्तरदाताओं के राजनैतिक दलों से संलग्नित होने का विवरण

क्र.सं.	राजनैतिक दल	प्रतिशत
1.	कांग्रेस	35
2.	भा०ज०पा०	50
3.	जनता दल	10
4.	बहुजन समाज पार्टी	----
5.	अन्य	05
	कुलयोग :-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - 170

उत्तरदाताओं के मतानुसार मतदान के आधार का विवरण

क्र.सं.	मतदान का आधार	मत हाँ	मत नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	व्यवसायिक	61	39	100
2.	धर्म	80	20	100
3.	जाति	60	40	100
4.	अभ्यर्थी की योग्यता	91	09	100
5.	किसी के कहने से	—	—	—
6.	अन्य कोई आधार	—	—	—

तालिका संख्या - [71]

उत्तरदाताओं के मतानुसार राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रमों के प्रसंग का विवरण:-

क्र.सं.	घटना चक्र	मत हाँ	मत नहीं	कुल योग प्रतिशत
1.	वर्तमान समय में देश की राजनैतिक व्यवस्थायें संतुष्ट हैं	10	90	100
2.	राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा सम्भव है	70	30	100

उत्तरदाता देश की राजनैतिक व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं है और उसके समक्ष 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का निराकरण राजनैतिक प्रयास द्वारा संभावित हो सकता है । इन तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रमों के सापेक्ष जनपद भिण्ड का जैन समाज पूर्णतः सजग है और सामाजिक संतुलन की दृष्टि से इस अभिमत का है कि आतंकवादी एवं वादी समस्याओं का निराकरण पूर्णतः विवेक पूर्ण एवं संतुलित राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा अर्जित किया जा सकता है. इसका तात्पर्य यह है कि मानवतावादी प्रसंग में समस्याओं के निराकरण का विकल्प वैचारिक आधार पर हो सकता है और जैन धर्म का मूल सिद्धान्त इसकी अनुमति देता है लेकिन इसका शत्प्रतिशत लक्ष्य जब तक अर्जित न हो जाय तो एक मात्र रूप से यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जायेगा कि इस दिशा में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव पड़ा है । राजनैतिक प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले संसाधनों का विवरण तालिका संख्या 72 में प्रस्तुत किया गया है ।इस प्रसंग में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मिश्रित साधनों को स्वीकृत किया है जिनमें समाचार पत्र, टी.वी. गोष्ठियाँ, समायोजित है जबकि क्रमिक रूप से समाचार पत्र में 5 प्रतिशत, टी.वी. में 20 प्रतिशत तथा गोष्ठियों में 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृति दी है । इसका तात्पर्य यह है कि जनपद भिण्ड में राजनैतिक जागरूकता के प्रसंग में संसाधनों का अभाव नहीं है और यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि प्रचार एवं प्रसार की अवधारणा भी आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव से वंचित नहीं है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रसंग में अनेक उद्देश्य पूर्ण सूचनाओं का संकलन तालिका संख्या 73 में प्रस्तुत किया गया है इस तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तानाशाही व्यवस्था को उचित बताया है जबकि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस व्यवस्था के विपक्ष में मत व्यक्त किया है. इसके समक्ष 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार प्रजातंत्र उचित है कि दलीय राजनैतिक व्यवस्था के पक्ष में मात्र 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने

तालिका संख्या -{72}

उत्तरदाताओं के मतानुसार राजनैतिक जागरूकता के प्रसंगों का विवरण

क्र.सं.	राजनैतिक जागरूकता का माध्यम	प्रतिशत
1.	समाचार पत्र	5
2.	टी. वी.	20
3.	गोष्ठीयाँ	10
4.	मिश्रित साधन	65
	कुलयोगः-	100 प्रतिशत

तालिका संख्या - [73]

उत्तरदाताओं के मतानुसार देशहित में राजनैतिक विकल्पों का विवरण

क्र.सं.	विकल्प	मत हाँ	नहीं	कुलयोग प्रतिशत
1.	डिक्टेटर शिप उचित है	10	90	100
2.	प्रजातंत्र उचित है	87	13	100
3.	द्वि दलीय व्यवस्था उचित है	11	89	100
4.	राष्ट्रपति शासन उचित है	25	75	100
5.	जैन धर्म के व्यक्ति का शासन होना चाहिये	50	50	100
6.	आगामी समाज समाज के नियंत्रक होगा	51	49	100
7.	राजनैतिक क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी उचित है	13	87	100
8.	राजनैतिक व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं।	71	29	100

स्वीकृति दी है, जबकि इसके सापेक्ष राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति तथा अस्वीकृति में 1:3 का प्रतिशत अर्जित हुआ है । धार्मिक विस्तार के प्रसंग में जब यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि जैन धर्म के व्यक्ति का शासन होना चाहिए तो उत्तरदाताओं का धनात्मक तथा ऋणात्मक अभिमत 1:1 में प्राप्त हुआ । आगामी समाज की विकासोन्मुख कल्पना का प्रसंग जब उत्तरदाताओं के समक्ष रखा गया तो इसकी प्रवृत्ति भी समानुपातिक अर्जित की गयी । राजनैतिक गतिशीलता के क्रम में महिलाओं की भागीदारी के वर्ग में 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की जबकि 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असहमति व्यक्त की । वर्तमान प्रसंग में सामाजिक नियंत्रण का मुद्दा अन्वेषित किया गया और 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकृत किया कि राजनैतिक व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं जबकि 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक था । वर्तमान तालिका में प्रदर्शित तथ्यों का क्रमानुसार तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि जनपद भिण्ड के जैन समाज में वैचारिक परवता विद्यमान हैं और स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्रसंगों के समक्ष उनके दृष्टिकोणों में कुछ प्रतिशत में पूर्वाभ्यास विद्यमान है तो कुछ प्रतिशत में आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के कारण परिवर्तन निर्मित हुआ है और इस प्रकार प्रतिस्थापित परिकल्पना की पुष्टि प्रस्तुत तालिका के अनेक वर्गों में स्वाभाविकता से होती है ।

(ब) समीक्षा

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत बहुआयामी प्रकरणों में राजनैतिक गतिविधियों का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक स्वरूप मूल्यांकित किया गया है । जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्मावलम्बियों की सक्रियता अनेक प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में विद्यमान है । यद्यपि यह पूर्वानुमानित था कि इस जनपद में कोई शीर्ष राजनैतिक विसंगति विद्यमान नहीं होगी, लेकिन सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त तथ्यों ने निर्देशित किया है कि राजनैतिक प्रमुखता के अनेक सिद्धान्तों

एवं प्रचलन की विभिन्न अवधारणाओं में अप्रत्याशित परिवर्तन आया है और इसका प्रमुख काल बीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जा सकता है समाज धार्मिक प्रत्ययों में अन्य धर्मावलम्बियों के समकक्ष जनपद भिण्ड के जैन व्यक्तियों में राजनैतिक प्रक्रिया का प्रभाव विभिन्न स्तरों में व्यक्त किया है उदाहरणार्थ – स्थानीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय । इस जनपद के प्रतिनिधियों के अभिमत में एक स्पष्ट एवं सौष्ठव युक्त समाज की कल्पना आवश्यक है और इसकी उपलब्धि सम्बन्धित राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा अर्जित की जा सकती है । वर्तमान प्रसंग में किये गये सर्वेक्षण में यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि धर्म, जाति, व्यवसाय एवं अभ्यर्थी की योग्यता इत्यादि ऐसे मनोवैज्ञानिक अवलम्बन है जो स्थानीय निर्वाचन में प्राथमिक, द्वैतीयक एवं अन्य समकक्षीय वर्गीकरणों में अंशानुसार प्राप्त किये गये हैं । इस विश्लेषण का अभिप्राय यह है कि इस क्षेत्र के जैन व्यक्तियों में राजनैतिक क्रिया कलापों का प्रसंग मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्णतः स्पष्ट हैं और इसे अनिवार्य रूप से समाजशास्त्रीय जगत में वह आकर्षण माना जा सकता है जो दीर्घ कालिक अध्ययन के पूर्णतः योग्य है । इसके अतिरिक्त राजनैतिक उपक्रम में एकत्रित की गयी अन्यान्य सूचनाओं के आधार पर यह भी निष्कर्ष प्राप्त होता है कि मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन सामाजिक बाहुल्य में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव होने के कारण राजनैतिक महत्व के मूल्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है तथा इसका औसत अनुमान प्रचार एवं प्रसार के संदर्भ में प्राप्त किए गये प्रत्ययों के आधार पर लगाया जा सकता है जिसमें सर्वाधिक 65 प्रतिशत व्यक्तियों ने मिश्रित प्रकार के संसाधनों की स्वीकृति राजनैतिक जागरूकता विकसित करने के प्रसंग में की है ।

प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक घटनाक्रम में अनेक प्रकार के उपयोगी सूचनाओं का समावेश किया गया है और इसक्रम की सूचनाएं अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं क्यों कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन प्रतिनिधियों में तानाशाही प्रथा को 90 प्रतिशत ने अस्वीकृत किया है और राष्ट्रपति प्रणाली की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का प्रतिशत क्र 1:3 है जबकि 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं

के अभिमत में प्रजातांत्रिक प्रणाली उचित है । दलीय संरचना की स्थिति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना से जनपद भिण्ड का जैन समाज कोई बहुत अधिक सहमत नहीं है । वस्तुतः संघीय संरचना अनेक जटिलताएं उदाहरणार्थ जाति, धर्म एवं भाषावाद इत्यादि । इसके समक्ष प्रत्येक सामान्य नागरिक यह अभिलाषा करता है कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय क्षितिज पर विश्वसनीय राजनीतिक गतिशीलताऐं, हो, और इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्मावलम्बियों के 71 प्रतिशत ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि राजनीतिक व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं । यह प्रश्न शाश्वत रूप में धार्मिक तथा सामाजिक अस्मिता का है और इसका सर्वाधिक उत्तरदायित्व स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का है । वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड की भौगोलिक स्थिति चम्बल के बीहड़ों से संयुक्त है और चम्बलघाटी में आक्रांता के रूप में विचरण करने वाला आपराधिक तत्व स्थानीय वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों के यहाँ आश्रय पाते हैं और इस कारण इस क्षेत्र का जन मानस सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सदैव चिन्तित रहता है ।

—— xxxxx ——

अष्टम अध्याय

उपसंहार

अध्याय - 8

उपसंहार

उपसंहार

प्रसिद्ध समाज शास्त्री स्मेलसर [1970] का मत है कि सामाजिक संरचना को पहचानने योग्य कारकों के प्रसंग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो कि कुछ सामाजिक कार्यों एवं क्रियाओं के लिए प्रमुख रूप से संयुक्त होते हैं । इसके समक्ष एक मान्यता यह भी है कि समस्त सामाजिक व्यवहार विशेष प्रकार के सामाजिक प्रतिबन्धों , मान्यताओं तथा मूल्यों की उपपन्नता से नियंत्रित होती है । इस प्रकार समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में यह अवधारणा प्रचलित है कि सामाजिक जीवन के सम्पूर्ण अन्तःक्रियायों के परिणाम हैं जो एक दूसरे से कार्यों के सम्बन्ध में संलग्नित हैं । इस क्रम में सामाजिक आदतों, स्वीकृतियों तथा मूल्यों का प्रचुर योगदान है । वस्तुतः यदि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया का ऐतिहासिक अवलोकन किया जाये तो प्रक्रिया का ऐतिहासिक अवलोकन किया जाय तो प्रो0 चार्ल्स डार्विन का स्मरण करना आवश्यक प्रतीत होता है जिन्होंने कार्बनिक विकास की प्रक्रिया के क्रम में यह विचार प्रदत्त किये कि सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई का पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में जटिल से जटिलतम इकाई में रूपान्तरण वह सोपान है जो निश्चित रूप से उद्विकास कहा जा सकता है । इस सिद्धान्त के समर्थक कालांतर में अनेक शिक्षाविद् हुये और उन्होंने प्रो0 डार्विन की मूल मान्यताओं को भौतिक परिप्रेक्ष्य के लिये अनेक प्रकार के तुलनात्मक अवलम्बनों का निर्माण किया । सामाजिक दर्शन में प्रस्तुत योजना के अनेक रूप विद्यमान हैं । विश्व के अनेक समाजों में प्रचलित धार्मिक ग्रन्थों का विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय वर्तमान मानवीयता की पृष्ठभूमि में कई चुनौतीपूर्ण आधारों का प्रचलन रहा है और बन्धुत्व की भावना का प्रेरक प्रसंग मुख्यतः से उसी स्थान से प्रारम्भ हो जाता है जिस समय से व्यक्ति ने व्यक्ति से अंतर स्थापित करने का प्रयास किया होगा । इस विचार का समर्थन सम्भवतः ग्रीक दर्शन तथा हिन्दू दर्शन से प्रदत्त किया जा सकता है । सामाजिक विकास का अभिप्रायः दृष्टिकोणात्मक है तथा इसकी प्रारम्भिक विषयवस्तु का विवेचन प्रस्तुत प्रसंग में उपयुक्त होगा । समाज वैज्ञानिक साहित्य में विद्यमान एक मत कि मनुष्य

एक सामाजिक प्राणी है। मैं मैकाइवर ने अनिवार्य अवलम्बन स्थापित करने का प्रयास किया है कि जीव के रूप में वह कौन कौन सी मौलिक आवश्यकताएं हैं जो सामाजिकता की अपेक्षा करती हैं और इनका सामयिक समर्थन ही प्रत्येक समाज वैज्ञानिक का आदर्शात्मक कर्तव्य है। सामाजीकरण की अवधारणा में यह कहा गया है कि यदि समाज को व्यक्तियों की पारस्परिक अन्तर्क्रियाओं का परिणाम माना गया है तो इसकी दूरगामी स्थिति संरचित एवं नियंत्रित करने की आवश्यकता है और इस प्रकार सामाजिकता का मुख्य स्वरूप प्रेरणात्मक प्रतिबिम्बों में स्पष्ट किया गया। व्यक्ति की उत्पत्ति के प्रसंग में हिन्दू दर्शन में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा विष्णु एवं महेश वह आदि शक्तियाँ हैं जो सृष्टि के निर्माण, प्रभावी संचालन एवं विनाश की अवधारणा को नियंत्रित करती हैं। ग्रीक दर्शन में मानवीय उत्पत्ति के समानान्तर प्रेरक प्रसंग विद्यमान हैं। इसका अभिप्राय यह है कि विश्व का कोई भी समाज हो वह एक विशेषीकृत योजना द्वारा नियंत्रित है और इस नियंत्रण का आधार वैधानिक, सामाजिक तथा अन्य समकक्षीय इकाईयों में किस प्रकार का है यह व्यापक विवेचन का मानक विश्व के समक्ष अनेक समाज वैज्ञानिको का है। समाज मनोवैज्ञानिक इस मत के हैं कि समाज में उत्पन्न प्रत्येक असहाय शिशु का भरण-पोषण एवं संरक्षण के दृष्टिकोण से प्राथमिक स्तर से परिवार के सदस्यों तथा द्वैतीयकस्तर में पड़ोस के सदस्यों पर निर्भर रहता है और इस अवधारणा को व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक स्थान प्रदत्त किया गया तथा कालान्तर में विकसित इस इकाई को संरक्षक का प्रतिबिम्ब माना जाता है। सामाजिक साहित्य में उल्लेख है कि पारस्परिक अन्तर्क्रियाओं के माध्यमसे सहयोग अथवा संघर्ष विकसित हो सकता है। सामाजिक विचार धारा में यह माना गया है कि सहयोग कि प्रक्रिया द्वारा ऐसे सिद्धान्तो का प्रचलन, अवधारणाओं का निर्माण, एवं मान्यताओं का विकास किया जा सकता है जोकि सामाजिक समन्वय में विकास अथवा प्रगति के प्रत्यय में उपयोगी भूमिका का निर्वाह कर सकती है, जबकि इसके समक्ष व्यक्तियों में संघर्ष के कारण

पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण सम्पूर्ण सिद्धान्तों का स्वरूप अवधारणाओं का स्वरूप एवं स्थापित मूल्यों का वर्चस्व विघटित हो सकता है, जो कि सामाजिक विकास एवं प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर सकता है । इस प्रकार विचार का उपक्रम दो अर्थों में विकसित किया जा सकता है कि (अ) क्या करने योग्य है एवं (ब) क्या करने योग्य नहीं है? इन अभीष्ट प्रश्नों का विभाजन तत्कालीन समाज वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रवृत्तियों में प्रसारित तो किया गया लेकिन विश्लेषण का अभीष्ट निष्कर्ष सार्वभौमिक प्रसंग का नहीं हो सका । इस प्रकार दार्शनिक क्षेत्रमें विशेष संरचना का द्वन्द्व प्रत्येक काल में विद्यमान रहा । आदिम युगीन सामाजिक संरचनाओंका अध्ययन किया जाय तो प्रस्तुत प्रसंग की जिज्ञासाओं का आंशिक समाधान हो सकता है । एक निश्चित भू-भाग में व्यक्तियों के निवास के उद्देश्यों को विकसित किया जाना आवश्यक है क्योंकि व्यक्तिगत क्रियाओं में यदि उत्तरोत्तर विकास नहीं है तो सामाजिक प्रगति एवं विकास की कल्पना करना पूर्णतः व्यर्थ है । अब अभिप्राय यह है कि इस उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा को कैसे निर्धारित किया जाय और इसके समानुपातिक आधारों का व्यवहारीकरण किस प्रकार किया जायेगा आदि - आदि जटिल इकाईयां सामने हैं । इस प्रकार परिभाषित विचार धारा का निर्माण इन शब्दों में किया जा सकता है कि मानवीय समाज की अभीष्ट संरचना उन्हीं परिस्थितियों में परिपक्व होगी जबकि इसके अन्तर्गत सामाजिक अवलम्बनों की आधार शिला रखी जाय और इसका वास्तविक सूत्रपात प्रत्येक समाज में संस्कृति की अवधारणा के रूप में किया गया । इसका ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार एवंइसका क्रियान्वयन है । इस प्रकार प्रत्येक समाज में आचार संहिता का स्वरूप संस्कृति के रूप में सम्मिलित किया गया । इसके माध्यम से एक विशेष प्रकार की योजना श्रम विभाजन के माध्यम से संचालित की गयी जिसका मौलिक उद्देश्य यह था कि समाज में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति भोजन एवं संरक्षण के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और तदोपरान्त वह विकास एवं प्रगति की प्रक्रिया के लिए कृत संकल्प हो सके सम्भवतः इस विचार शैली में ही विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में धर्म की अवधारणा

का उदय संभव हुआ होगा । ऐतिहासिक दृष्टांतों में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति की सामाजिकता को धार्मिक अवलम्बन के माध्यम से अधिकतम अवधि के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है । इस प्रकार धर्म के इस स्वरूप को पर्सोनीफाइड कोड" की संज्ञा प्रदत्त की जा सकती है तथा सामाजिकता, धर्म एवं अवलम्बन के अनेक माध्यम वस्तुतः योजनेतर दृष्टिकोण है, जिन्हे प्रत्येक कालावधि के समाज में पोषित किया है अनेक प्रकार के उन मानोवैज्ञानिक संरक्षणों से जो चिरकाल से इस भूमण्डल पर विद्यमान तो थे अनेक स्वरूपों में परन्तु, कदाचित उन्हें दर्शनीय न समझा गया तो अथवा कोई समाज इतना सक्षम न रहा हो जो क्रियान्वय कर सके उन मानवीय एवं प्राकृतिक चेतनाओं को, शक्तियों को, स्वरूपों को जो यथार्थ में अवलम्बन की परख की कसौटी पर पूर्णतः खरे उतरते तथा आगाह करते व्यक्ति की अवधारणा को कि है सेन्टजन अवगत हो उस विचारधारा से जो सृजन एवं विनाश का संदेश देती हैं वह ईश्वर है आदि शक्ति है, अखण्ड है, अविभाज्य है और सर्वाधिक प्रतिभास में इसे एकमात्र रूप से धर्म की अवधारणा में समझा जा सकता है एवं आदि से अंत तक संयोजित रखा जा सकता है क्योंकि तुम इसे सुरक्षित एवं प्रशस्त करने वाली क्षमता रखते हो और यह प्रतिफल में तुम्हारी सामाजिकता को चिरकाल तक दीर्घजीवी रखेगी । जिसके अगणित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारण हैं ।

होली बाइबिल के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि प्रारम्भ में ईश्वर ने स्वर्ग एवं पृथ्वी का सृजन किया तथा पृथ्वी पर कोई स्वरूप विद्यमान नहीं था और पूर्णतः अंधेरा फैला हुआ था, ईश्वर की आत्मा समुद्री सतह पर विचरण कर रही थी । ईश्वर ~~ने~~ ने कहा कि वहाँ प्रकाश होने दो और वहाँ प्रकाश था । ईश्वर ने यह भी देखा कि यह प्रकाश अच्छा था तथा उसने इसे अंधेरे से विभक्त किया और प्रकाश युक्त अवधि को उसने दिन की संज्ञा प्रदत्त की है तथा अन्धकार युक्त अवधि को रात्री की मान्यता प्रदत्त की । इसके पश्चात अनेक प्रकार की वनस्पतियों जीवों एवं मनुष्य की उत्पत्ति के क्रमों को प्रशस्त किया और समकालीन व्यवस्था मैत्री एवं समृद्धि, पाप एवं पुण्य तथा धर्म एवं अधर्म की मान्यताओं का विकास किया गया । प्रस्तुत विवेचना से यह निर्देशित

होता है कि मानवीय शक्ति आदि है तो धर्म अनन्त । तत्संबन्धित साहित्य का विश्लेषण करने पर यह उल्लेख प्राप्त होता है कि सामाजिक प्रसंग में अनेक प्रकार की मान्यताओं का निर्माण या तो ईश्वरीय योजना में अन्तर्गत विद्यमान है या मनुष्य द्वारा स्वयं इसकी संरचना की गई । इस प्रकार "दि होली बाइबिल " के आधार पर क्रिश्चियन धर्म में अनेक प्रकार की मान्यताओं के दृष्टान्त अर्जित होते हैं ।
मैक्सवेबर ने धर्म के समाज शास्त्र का प्रारम्भिक स्वरूप सुनिश्चित किया और यह माना कि आधुनिकता के विश्व में ऐसी इकाईयों का संचालन मनुष्य द्वारा किया जाने लगा जो प्रारम्भिककाल में संभवतः ईश्वर अथवा ईश्वरीय शक्तियों द्वारा संचालित होता था । वस्तुतः मनुष्य ने प्राचीन विचारों को तार्किक आधारों पर सामान्यीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संकीर्ण करने का प्रयास किया क्योंकि आधुनिक विकासवादी परिवेश में गणना योग्य तथा पूर्वानुमान योग्य विकल्प विकसित होने लगे और इनमें भावना, अर्थ, तथा उद्देश्य आदि का निर्माण होने के कारण यह अभिभाषित किया गया कि व्यक्ति द्वारा स्वयं के प्रयास से जो किया जाय और प्रतिफल में जो अर्जित किया जाय वह धर्म है । धर्म के समाज शास्त्र के अन्तर्गत यह भी उल्लेख किया गया कि व्यक्ति एवं व्यक्तिगत विचारधारा को उचित आश्रय धर्म में प्रदत्त किया जाना चाहिए और इसे प्रोटेस्टेन्ट इथिक के अन्तर्गत तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है । इस प्रकार धर्म के समाज शास्त्र का महत्व समाज वैज्ञानिक क्षेत्र में विकसित होता गया और कालान्तर में इसकी आधार भूत मान्यताओं में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया एक सारस्वत चुनौती के रूप में शिक्षाविदों के समक्ष उपस्थित हुई, तथा इस विचार धारा से वशीभूत होकर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के परिप्रेक्ष्य में भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड के जैन धर्मावलम्बियों की मौलिक मान्यताओं के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रचलन एवं परिवर्तन के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को समाज शास्त्रीय विवेचना का आधार बनाया गया और जैन धर्म के अनेक उन युगरत इकाईयों का विवेचन किया गया जो तार्किकता की परिधि में येन केन प्रकारेण उपयोगी अवश्य होगी ।

टालकाट पारसंस (1964) ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में निरन्तरता का दृष्टिकोण समायोजित होता है और इस निरन्तरता पर सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक प्रकार के प्रतिमानों की संरचना में प्रासंगिक आधार पर परिवर्तन आता है । इस मान्यता के क्रम मे यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः धर्म समाज व्यवस्था का प्रमुख अंग है और इसकी प्रभाविकता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है. अतः प्रत्येक अवधि मे विद्यमान समाजो के सापेक्ष धर्म की मान्यताओं का अध्ययन समाज शास्त्रीओं के लिए पूर्ण उपयुक्त हो सकता है और इस विचारधारा की वस्तुनिष्ठता अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का समाज शास्त्रीय अनुष्ठान किया गया. जो सम्बन्धित साहित्य में क्षेत्रीयता के सापेक्ष न्यून विश्वता की कसौटी में योगदान कर सका तो भी इसकी उत्तरदायिता को पूर्ण संतोष प्राप्त होगा और इस अभिप्राय की प्रत्याशा में वर्तमान शोध प्रबन्ध की कुल उपलब्धियाँ उस प्रस्फुटित वाटिका के समान है जिसका अवलोकन प्रत्येक धर्मशास्त्री, शिक्षाविद तथा समाजशास्त्री सहज रूप में कर सकता है । वस्तुतः प्रो० सोरोकिन (1957) ने एक मत इस प्रकार समाज शास्त्री साहित्य में प्रवाहित किया कि प्रत्येक समाज व्यवस्था में संस्कृति के दो स्वरूप "सेन्सेट" तथा "आइडियेशनल" विद्यमान होते है जो विचारधारा की प्रवृत्ति में पूर्णतः अलग इकाईयाँ हैं तथा धर्म प्रमुखरूप से सेन्सेट वर्ग के अन्तर्गत आता है । इन दोनों प्रकारों के सम्बन्धित अवयवो में गतिशीलता होती है और व्यवस्था पर इनका परोक्ष एवं अपरोक्ष प्रभाव पड़ता है जिसमें मूल्यों को भी प्राथमिकता प्रदत्त की गई है । इस क्रम में यह भी माना गया है कि कोई भी समाज इस प्रकार का नहीं हो सकता है जिसमें मात्र संस्कृति का एक स्वरूप विद्यमान हो अतः संतुलन की प्रक्रिया अत्याधिक आवश्यक है और बीसवी शताब्दी के पश्चिमी जगत में प्रो० सोरोकिन द्वारा यह भी अनुमानित किया गया कि इन समाजो की संस्कृतियाँ भौतिकवादिता के कारण असंतुलन की परिधि में प्रवेश कर रही हैं जो सम्भवतः समाज के मूल उद्देश्य को निष्प्रयोज्य कर सकती है. यह घटनाक्रम सम्पूर्ण मानवीयता के लिए घातक होगा तथा इसका सामयिक निराकरण पारस्परिक समन्वय एवं नियोजित

प्रयासों द्वारा अर्जित किया जा सकता है । समाजशास्त्रीय जगत में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रो० सोरोकिन दिशा निर्देशक माने जायेंगे इस श्रेणी में जिन्होंने समाज वैज्ञानिकों को आगाह किया है कि वह इस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन सम्बन्धित क्षेत्रों में करें, इस अनुक्रम में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का संकलन सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश में उत्साहवर्धक प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें जैन धर्म की मूल मान्यताओं का सामाजिक सामान्यीकरण संरचनात्मक तात्पर्य में किया गया है जिसकी विश्वसनीयता निर्विवाद रूप से रहेगी ऐसी प्रत्याशा है । वर्तमान शोध प्रबंध के प्रसंग में जैन धर्मी साहित्य का संक्षिप्तीकरण आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि यह वह मानक आधार है जिसमें धार्मिक मूल मान्यताओं की विवेचना की गई है और प्रत्येक समर्थक सदस्य से यह अपेक्षा भी की गई है कि वह धार्मिक अनुक्रम में इनका अनुपालन आवश्यकतानुसार करेगा । यदि इसमें कोई विरोधाभास उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है । अतः प्रस्तुत प्रसंग की उपयुक्त सूचनाओं का सीमित संकलन उपयोगी आधार शिला का निर्माण करने में पूर्ण प्रभावी होगा, ऐसी प्रत्याशा है । जैन धर्म की उत्पत्ति के प्रसंग में अत्याधिक रोचक विवरण इस प्रकार है कि " व्यक्ति की आत्मा की उत्पत्ति तीन भावों से संचालित है शुद्धि, श्रद्धा एवं ज्ञान जिसका सृजन सामाजिक प्रसंग में द्वैतीय स्वरूप द्वारा किया जायेगा और कर्मों तथा कषायों को विजित कर प्राप्त होनेवाली अवधारणा को आध्यात्मिक चिन्तन में परमात्मा माना जाता है और इसे शब्द जिन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जिसका अर्थ संज्ञा सूचक के रूप में जयति इति जिनः अर्थात विजेता कहा जाता है । जैन धर्म साहित्य में उल्लेख है कि जैन धर्म के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करते हुए परमात्मन एवं महात्मन स्वरूपों में परिभाषित किया जा सकता है और इसके लिए विशेष प्रकार के अवलम्बनों का निर्धारण किया गया जिनमें यह मान्यता विद्यमान है कि जैन धर्मावलम्बियों द्वारा पूर्ण शाकाहारी भोजन ग्रहण किया जायेगा, रात्रिकालीन भोजन पूर्णतः वर्जित होगा, जल का सेवन छान कर किया जायेगा एवं जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नित्य प्रति अनिवार्य होंगे । इस सम्यक संकलन के अन्तर्गत व्यक्ति का सम्पूर्ण सामाजिक निर्धारण किया गया है तथा जिनका निर्वाह व्यक्ति द्वारा जीवन पर्यन्त

किया जायेगा और इस प्रकार व्यक्ति सद्‌गति अथवा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । इस समीकरण के अन्तर्गत जैन धर्म की अवधारणा तथा मूल्यमान्यताओं का उल्लेख विद्यमान है ।

समाजशास्त्रीय प्रसंग में किए गये साहित्य के पुनरावलोकन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जैन दर्शन में यह मान्यता है कि जो धारित किया जाय वह व्यवस्था के रूप में धर्म की अवधारणा में व्यक्त किया जा सकता है और इस विषय में यह प्रमाण उपलब्ध है कि सामान्यतः धर्म प्रथा का धारण करेगा जो धर्म के लौकिक स्वरूप के रूप में अभिव्यक्त किया गया है एवं इसे किसी भी वस्तु के सामान्य स्वभाव के प्रत्यय के रूप में सृजन का आधार माना जा सकता है । तत्कालीन साहित्य की समीक्षा करने पर यह निर्देशन प्राप्त होता है कि किसी भी आत्मा की संरचना धर्म की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है और इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जैन धर्म उत्पत्ति का प्रमुख आधार पटल माना जाता है । वर्तमान प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है कि व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सापेक्ष समन्वय, व्यक्ति का समाज के साथ सापेक्ष समन्वय तथा व्यक्ति उन अलौकिक अदृश्य शक्तियों के सापेक्ष समन्वय जिसे माध्यम से जीव की उत्पत्ति संभव हुई है आदि आदि वैचारिक परिधियां निरन्तर समालोचित एवं प्रसारित होती रहती है एक विशेष प्रकार के अवलम्बन की परिधि मे जो सामान्य एवं प्राकृतिक विपरीतियों का सामना करने की दक्षता प्रदान करता है और अपरोक्ष अर्थ में यदि किसी व्यक्ति द्वारा सांसारिक कार्यों का निर्वाह पूर्ण सत्य एवं निष्ठा से किया जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्ती का अवसर उपलब्ध हो सकता है तथा इसके लिए पूर्ण अनुशासित दैनिक पद्धति का अनुपालन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है, जैन धर्म के अन्तर्गत यह भी मान्यता है कि जो पूर्व में विदित है उसका अनुसरण करते हुए इसे समाज में प्रसारित किया जाय और जो भी आत्म ज्ञान के द्वारा अर्जित किया जाय उसका प्रमुख क्रियान्वयन धार्मिक क्षेत्र के लिए होना चाहिए एवं इस पक्ष की प्राप्ति एक प्रभाव शाली चरित्र के माध्यम से ही संभव है । धार्मिक दर्शन में यह भी दृष्टांत है कि धर्म, अर्थ और काम द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए मोक्ष का मार्ग प्रसारित किया जा सकता है और इस धारणा में चार प्रकार के पुरुषार्थों को आत्मसात किया गया है जिसके प्रसंग में यह भी मान्यता है कि

धर्म, अर्थ एवं काम का दृष्टिकोण पूर्णतः लौकिक व्यवस्था है तथा मोक्ष का पक्ष पूर्णतः परालौकिक परिधि की विषय वस्तु है । सामान्य व्याख्या के क्रम में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः जीवों के उद्धारक मार्ग एवं प्रवृत्ति को धर्म की अवधारणा माना गया है एवं यह भी अपेक्षा की गयी है कि सार्वभौमिक रूप में धर्म का स्वरूप निःस्वार्थ रूप से उदारवादी होना चाहिए । सामाजिक व्यवस्था में यदि व्यक्ति पक्षपाती प्रवृत्ति, सीमित वैचारिक शक्ति एवं अन्य सम्बन्धित विषमताओं से ग्रसित होता है तो उस समाज में धर्म प्रगति नहीं कर सकता है क्योंकि मनीषियों ने व्यवस्था प्रदत्त की है कि धर्म की प्रवृत्ति कदापि शारीरिक नहीं है, अपितु इसका सृजन आत्मिक है । जैन धर्म के अन्तर्गत यह भी मान्यता है सांस्कृतिक आधारों पर व्यक्ति अनेक प्रकार की स्थितियों को प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार कार्यक्षेत्र में प्रत्येक सदस्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रतिफल के रूप में समाज को उन विशेष प्रकार के उत्तरदायित्वों से लाभान्वित करे जिसे शाश्वत स्वरूप में मानवता वाद माना जा सकता है । जैन धर्म के अन्तर्गत यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति यदि शरण प्राप्त करना चाहता है तो उसके हितों की रक्षा के लिए धर्म सदैव तत्पर रहेगा एवं इस प्रसंग में एक उद्धरण प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है— अनाथानामबंधुनां दरिद्राणां सुदुःखिनाम् ।

जिन शासन मेतद्धि परमं शरणं मतम् ॥

इस प्रकार जैन धर्म का मन्थन करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सामाजिक प्रचलन में इसकी श्रेष्ठता एवं उपयुक्तता निर्विवाद रूप से है एवं सामयिक परिप्रेक्ष्य में इसके चिंतनों का मूल्यांकन प्रत्येक शिक्षाविद को करना चाहिये । इस आधार पर वर्तमान शोध प्रबन्ध में मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्माव-लम्बियों को समाजशास्त्रीय क्रम में अध्ययनित किया जिसकी उपयोगिता से समस्त धार-णाओं के व्यक्ति पूर्णतः सहमत होंगे ।

जैन धर्म की प्राचीन आचार संहिता में यह निर्देशित किया गया कि व्यक्ति सजातीय विवाह पद्धति का अनुपालन करेगा और कालान्तर में इसका

विस्तार अनुलोम विवाह पद्धति के रूप में विस्तृत किया गया जो कि पूर्ण रूप से वैधानिक मान्यता है । इसके साहित्य में ऐसे अनेकों दृष्टान्त विद्यमान हैं जब जैन धर्मसम्प्रदाय में प्रतिलोम विवाह अवलोकित किए गये और उनके मोक्ष के मार्गों को पुनः दीक्षा, व्रत एवं उपवास द्वारा तथा सामयिक दान आदि के माध्यम से प्रशस्त किया गया । वस्तुतः इसकी समाजशास्त्रीय समीक्षा की जाये तो यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन राज्य व्यवस्थाओं में मूलत परिवर्तनों के कारण एवं अन्य मनोवैज्ञानिक कारणों में इस प्रकार की प्रवृत्ति औं का सृजन हुआ होगा । इसके समक्ष वर्तमान जैन समाजों में अन्तर्समाजी विवाह प्रवृत्तिविद्यमान है, ऐसी मान्यता है । लेकिन इस मान्यता पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव पड़ने के कारण एक विशेष सीमा तक अन्तर स्थापित हुआ है जिसका अवलोकन मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाजों से किया गया है । आधुनिक सामाजिक शक्तियों के अवधारणाओं के निर्माण के प्रसंग में प्रो० एम. एन. श्री निवास का उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने सर्व प्रथम अपनी पुस्तक "रिलीजन एण्ड सोसायटी अमंग दी कुर्ग" के अन्तर्गत संस्कृतिकरण का प्रयोग किया और इस अवधारणा के अन्तर्गत यह प्रत्याशा की कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सामाजिकता से पुर्नदीक्षित होने के लिए सक्षम है और सांस्कृतिक आधारों पर उसके संस्कारों का केन्द्रण इस प्रकार किया जा सकता है जिससे वह रूपान्तरण के उपयोगी क्रम में यथार्थ रूप में समाहित हो सके । इसके समक्ष पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण की अवधारणा का भी सृजन किया गया और इन तीनों अवधारणाओं को मिश्रित रूप से समाजवैज्ञानिक प्रसंग में आधुनिक सामाजिक संरचना काल प्रवाह की अवधि में अपरोक्ष घटनाक्रमों के कारण अवश्य प्रभावित होती है । इसलिए आकस्मिक संकट परिस्थितियों में विशेष प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र जो परिवर्तन प्राप्त करता है उसकी विवेचना दो प्रकार से की जा सकती है । (अ) परिवर्तन का मुख्य आधार क्या है एवं (ब) परिवर्तन की दिशा किस प्रकार की है । द्वन्द्वात्मक परिस्थितियों में सामाजिक घटनाक्रम बाध्य करता है धार्मिक जगत के आचार्यों को कि वह न्यायिकदृष्टि से

वास्तविक विश्लेषण औरसम्बन्धित समस्या के निराकरणों के उपायों को विकसित करें ।
सैद्धान्तिक दर्शन में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गुणात्मक इकाईयां नियंत्रणरेखा के बाहर
नहीं समझी जा सकती है और इस क्रम में मूल्यों के महत्त्व को असीमित माना जायेगा।
चिन्तन का दृष्टिकोण एक मात्र रूप से सामंजस्य स्थापित करने का नहीं है अपितु इसका
स्पष्ट लक्ष्य प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के संकल्प के रूप में निर्दिष्ट समस्त उद्देश्यों की परिधि
के रूप में है । यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर मध्य -
प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड का चयन प्रस्तुत अध्ययन के प्रसंग में इसलिए किया गया क्योंकि
सम्बन्धित विषय वस्तु के क्रम में कोई भी पूर्व सम्पादित शोध कार्य उपलब्ध नहीं हो सका ।
इस प्रकार वर्तमान शोध प्रबन्ध की शैशवावस्था की अवधि में अनेक प्रकार के प्रतिकारात्मक
लक्ष्य वैचारिक परामर्श के आधार पर स्पष्ट रूप से अनुभव किए गये । इसके पश्चात
सम्यक सूचनाओं का निर्धारण एवं उपयोग सम-सामयिक रूप से किया गया । प्रस्तुत
परिप्रेक्ष्य में यह परिकल्पना प्रस्तावित की गयी कि क्षेत्रीय समाज आर्थिक गतिविधियां
आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव से प्रभावित होती हैं ।

वर्तमान शोध प्रबन्ध के लिए चयनित अध्ययनपद्धतियां एवं
न्यायदर्शों की कुशलक्षमता में पूर्णतः सामञ्जस्य स्थापित रहा , यह बात अलग है कि क्षेत्र
परीक्षण की सम्पूर्ण अवधि में मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड की सम्पूर्ण भौगोलिक
परिधि का भ्रमण लगभग प्रतिदिन करना पड़ा और इस अवधि में यह प्रयास किया गया
कि निर्देशीकृत पद्धति के अन्तर्गत सूचनाओं का संकलन अधिकतम किया जा सके और जो
सूचनाएं सामान्य साक्षात्कार के क्रम में कदाचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकी उनका
संकलन दैनिक डायरी में विधिवत रूप से किया गया । वर्तमान शोध अध्ययन में प्राप्त
तथ्यों का स्थानान्तरण साधारण सारणीओं में किया गया और विश्लेषण के लिए विषय
विशेषज्ञों के परामर्श को अक्षरशः अनुपालित किया गया । इस आधार पर एकत्रित तथ्य-
रूप में जैन धर्म की सम्पूर्ण निधि को संजोते हुए यदि व्याख्या का क्रम प्रारम्भ किया
जाय तो यह अत्याधिक दुष्करकार्य प्रतीत होता है फिर भी एक सीमा विशेष तक

इसका उल्लेख करना न्यायोचित हो सकता है ।

वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रसंग में सामाजिक गतिविधियों के सा-पेक्ष जो उपलब्धियाँ अर्जित हुई है वह अत्याधिक विचारणीय है । जैन धर्म में परम्परागत आधार पर एकमात्र रूप से संयुक्तता को प्रतिष्ठित किया गया है और इसका तात्पर्य यह है कि सर्वेक्षण में शत प्रतिशत संयुक्त परिवार उपलब्ध होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सर्वेक्षण के केन्द्रीय परिवारों की संरचना का दृष्टिगत होना मात्र ही वैचारिक परीक्षा का आधार बन सकता है । परम्परागत एवं आधुनिक सामाजिक संरचना में अनेक प्रकार की विविधताएं ~~[illegible]~~ व्यवस्थित प्रकार के विश्लेषण के लिए प्रेरित करती हैं प्रत्येक समाज व्यवस्था परामर्शदात्री इकाई के रूप में व्यक्ति को सचेत कर सकती है कि उसके हित किस प्रकार सुरक्षित रह सकते है । इसके समक्ष व्यक्ति द्वारा चयनित संरचना परिस्थि-ति जन्य के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है और इस प्रकार जैन पारिवारिक संरच-ना में विभिन्नताओं के जो स्वरूप जनपद भिण्ड के जैन प्रतिनिधियों में देखे गये, उनके क्रम में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप सामाजिक संरचना आच्छादित है ।समाज मनोवैज्ञानिक प्रसंगो में प्राप्त सूचनाएं स्पष्ट करती है कि सत्ता की प्रवृत्ति सर्वाधिक प्रतिशत में पितृसत्तात्मक है और जिसका संचालन अनेक वर्गों के नेतृत्व के विकल्पों में होता है । इस प्रचलन के अन्तर्गत यह कहा जा सकता है कि जनपद भिण्ड का भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संलग्नित है अतः इस धारणा के प्रसंग में जो विविध उपलब्धियाँ मनोवैज्ञानिक क्रम में प्राप्त हुई है वह मौलिक के साथ-साथ वस्तुनिष्ठ भी हैं ।

मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन धर्मावलम्बियों के सामाजिक वर्गीकरण में लेमचू, बरौला, गोलालारे, ओस तिमाड़े, परवार जायसवाल अग्रवाल श्वेताम्बर प्रकार के स्तरण विद्यमान है जो यह निर्दिष्ट करते है कि धार्मिक सहिष्णुता में अनेक वर्गों की उपस्थिति बाधक नहीं मानी गयी है लेकिन इन वर्गों में प्रचलित सामाजिक धारणाएं अनेक स्वरूपों में है । कदाचित इस विषय वस्तु पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव तुलनात्मक विश्लेषण की अवधारणा बनाया जाय तो यह तथ्य प्रकाश में

आये हैं कि परम्परात्मक प्रतीक में वैवाहिक कटिबद्धता वर्ग विशेष के अन्तर्गत निर्दिष्ट तो की गयी है लेकिन इसका अनुपालन मध्य प्रदेश प्रान्त के इस जनपद में नहीं किया जा रहा है और इसे संभवतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की परिकल्पना की पुष्टि के औचित्य के रूप में स्वीकृति किया जा सकता है क्योंकि पारिवारिक उत्तरदायित्वों के क्रम में प्राप्त सूचनाएं निर्दिष्ट करती हैं कि आत्मनिर्भर सदस्यों का वर्ग उपलब्ध तो है परन्तु इसके समकक्ष एक वर्ग सदस्यों का ऐसा है जो आत्म निर्भर नहीं है-- यह दोनों मानक परस्पर विरोधी हैं एवं इस आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सामाजिक संस्तरण का समानान्तर तथा उर्ध्वाधर क्रम आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव से ग्रसित है । मध्य प्रदेश प्रान्त के इस भू-भाग में संचालित किए गये अध्ययन के माध्यम से यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि जैन धर्म सम्प्रदाय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के समानतावादी अभिप्राय को सैद्धान्तिक आधार पर स्वीकृत तो किया गया है लेकिन कुछ परिवारों में इसका व्यवहारिक स्वरूप अवलोकित नहीं किया जा सका और इस क्रम में यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि संभवतः जैन धर्म के व्यक्तियों का आत्मसाती करण समकालीन हिन्दूसमाजों से है अथवा इस सम्पूर्ण व्यवस्था पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव किस सीमा तक पड़ा है यह कहना कुछ कठिन है क्योंकि सर्वेक्षण में संकलित उत्तरदाताओं के एक विशेष प्रतिशत द्वारा यह दर्शाया गया कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था पुरुष प्रधान समाज में ही संभव है । इन पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्थिति की समता और विषमता का विद्यमान होना यह इंगित करता है कि देश में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रवेश हो तो चुका है लेकिन इसका विधिवत रेखांकन वर्तमान प्रत्यय के प्रसंग में नहीं किया जा सका है ।

मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में जैन समाज के व्यक्तियों पर समाज- आर्थिक प्रसंग के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इस क्षेत्र का जैन समाज व्यवसायिक दृष्टि से अत्याधिक सक्षम है क्योंकि इसके पास अर्थ व्यवस्था की श्रेष्ठता के रूप में दो इकाईयां प्रदान हैं-- परम्परागत कृषि योग्य भूमि एवं

व्यवसायिक अन्य अभिकरण । प्रस्तुत शोध प्रबंध में संकलित उत्तरदाता विभिन्न वर्गों में विकेन्द्रीकृत किए गये और इसमें नौकरी और व्यापार के प्रतिशत में पारस्परिक विरोधाभास देखा गया है स्थानीय जैन प्रतिनिधियों द्वारा यह भी स्वीकृति प्रदत्त की गयी कि कुछ परिवारों के व्यक्ति सेवा एवं व्यवसायों के प्रसंग में भारत वर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित है एवं इसके अतिरिक्त सेवारत व्यक्तियों के प्रतिशत की स्वीकृति अन्तर्राष्ट्रीय क्रम में भी की गयी है । इस प्रकार व्यवसायिक वर्गीकरण में विविधता का विद्यमान होना यह निर्देशित करता है कि सामाजिक विकास अथवा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के सापेक्ष परम्परात्मक विचारों में परिवर्तन हो रहा है और इस धारणा के आधार पर प्रारम्भिक परिकल्पना की पुष्टि होती है कि जैनसमाज आर्थिक गतिविधियों के प्रसंग में आधुनिक सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का दृष्टिकोण धनात्मक है । आर्थिक वर्ग में संकलित की गयी सूचनाओं के क्रम में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से अनेक उपयोगी तथ्य अर्जित किए गये इन तथ्यों का विश्लेषण करने पर प्रायः यह देखा गया कि धन संचय की प्रवृत्ति एवं माध्यमों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन है और इसके साथ-साथ रुपये पाँच हजार से अधिक मासिक आय वाले परिवार अधिक प्रतिशत में प्राप्त होना यह दर्शाता है कि भौतिक परिस्थितियों की निरन्तर वृद्धि के कारण इन्हें अर्जित करने की चिन्ता को इस क्षेत्र का जैन प्रतिनिधि संकीर्ण नहीं कर सका क्यों कि तदानुसार विश्लेषित सूचनाओं में इस प्रसंग के अभिमत अनेक स्वरूपों में प्राप्त किए गये हैं । इसकी समाज शास्त्रीय व्याख्या की जाय तो एक मात्र रूप से यह स्वीकृत किया जा सकता है कि जनपद भिण्ड के जैन सम्प्रदाय की समाज-आर्थिक गतिविधियों पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव प्रचुर मात्रा में है और इस प्रकार पूर्व निर्धारित परिकल्पना की पुष्टि शत प्रतिशत अर्थ में होती है ।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में राजनीतिक गतिविधियों का क्रम अध्ययन का अभीष्ट उद्देश्य नहीं था फिर भी इस वर्ग की एकत्रित सूचनाएं विश्लेषण का आधार रखती है इसलिए समाज शास्त्रीय व्याख्या में इन्हे विधिवत रूप से दर्शाया गया है वर्तमान शोध अध्ययन में संकलित उत्तरदाता कांग्रेस भारतीय जनतापार्टी, जनतादल, एवं अन्य

दलों के क्रमों में वर्गीकृत किए गये है और इस अभिप्राय का गुणात्मक अध्ययन करने से, से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड के जैन प्रतिनिधि सर्वाधिक प्रतिशत में भारतीय जनतापार्टी के समर्थक है जो इस अभिप्राय का द्योतक है कि मूल रूप से कोई भी जैन राजनैतिक दल विद्यमान न होने के कारण इस धर्म के व्यक्ति समकालीन उस आधुनिक हिन्दू विचार धारा के समर्थक बनने के लिए बाध्य हैं जो कदाचित राष्ट्रीय एकता का सपना हिन्दुत्व की गरिमा के अनुरूप अनुभव करता है और संभवता इस सान्निध्यता के स्वरूप में वह स्वयं के धर्म सम्प्रदाय को कालान्तर में सुरक्षित रख सके । वस्तुतः प्रस्तुत उपलब्धि अत्याधिक गंभीर निदेशन है सम्पूर्ण राजनेताओं एवं प्रशासकों को कि वह क्षेत्रीय समन्वय में व्यवहारिक क्रियाशीलता स्थापित करे । इसका एक कारण और भी है और वह इस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि इस जनपद की समीपता चम्बल घाटी से होने के कारण अत्याधिक भयानक डाकुओंकी समस्या से वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं जिसकी पुष्टि सम्बन्धित अध्याय के विभिन्न क्रमों का विवेचना करने पर की जा सकती है । राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्यों के निराकरण के प्रसंग में राजनैतिक प्रयासों की स्वीकृति इस क्षेत्र के उत्तरदाताओं द्वारा दी गयी है लेकिन इसके समक्ष यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण में संकलित अधिकांश उत्तरदाताओं के मतानुसार राजनैतिक व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं । वर्तमान प्रसंग में परीक्षित की गयी छोटी - छोटी कई अन्य मनोवैज्ञानिक अवधारणायें यह निर्दिष्ट करती है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में वोट देने के विभिन्न दृष्टिकोणों में संरचनात्मक विविधता है । जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वस्तुतः इस देश का जैन प्रतिनिधि राजनैतिक गतिविधियों के प्रसंग में वस्तु निष्ठ इकाइयों का एकीकरण नहीं कर सका और संभवता इन समीकरण पर भी आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जिसे प्रस्तुत परिपेक्ष्य में सकारात्मक माना जा सकता है ।

सामाजिक मूल्यों के प्रचलन दो स्वरूप होते हैं - प्रथम मूल्यों की परम्परात्मक अवधारणा तथा द्वितीय मूल्यों का वर्तमान स्वरूप । सामाजिक

संरचना में विद्यमान मूल्य वह विशेषीकृत अभिकरण है जो सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्षों का निर्धारण करते है । जैन दर्शन की तात्विक समीक्षा करने से यह स्पष्ट हो चुका है कि धर्म की क्रिया शीलता विद्यमान मूल्यों के सापेक्ष ही सम्भव है और इस प्रकार व्यवस्था के उभय पक्ष — संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक , कालिका की दृष्टि से संचालित होंगे । जैन दर्शन में उल्लेख है कि भौतिक एव अभौतिक सीमाओं में धर्म , अर्थ काम , एवं मोक्ष की परिकल्पना की गयी है और इसका व्यवहारिक अनुपालन अहिंसा , शाकाहारी भोजन, पानी छानकर पीने की प्रक्रिया एवं सूर्यास्त के पश्चात भोजन करने पर प्रतिबन्ध आदि - आदि के माध्यम से किया जायेगा । इसके समक्ष दैनिक क्रियाओं में बौद्धिक चिन्तन , गोष्ठीयां एवं जिन भगवान के दर्शन , भी अपेक्षित किए गये है और इसक्रम में उल्लेख किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश प्रान्त का जनपद भिण्ड जैन धर्म के अनेक देवालयो से भरापड़ा है तथा इन देवालयों की स्थापना विभिन्न स्थानों पर है । सांस्कृतिक मूल्यों के पक्ष में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि वर्ष की अनेक अवधियों में विभिन्न प्रकार के तीज त्योहारो को आवश्यक माना गया है और इस व्याख्या के अतिरिक्त यह भी विवरण प्रस्तुत करने योग्य है कि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के दृष्टि कोण से जैन धर्म समाज द्वारा इस प्रकार की अनेक शैक्षणिक संस्थाएं संचालित की जा रही है । जिनमें चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य उपयोगी उपक्रमों की समीक्षा तथा क्रियान्वयन सम-सामयिक रूप से किया जाता है इस प्रकार इस भौगोलिक क्षेत्र में मूल्यों के भौतिक स्वरूप में समानुपातिक परिवर्तन अवश्य आया है क्यों कि इस क्षेत्र में कुछ शिक्षण संस्थान इस प्रकार के संचालित है जिनमें अन्य धर्मों के विद्यार्थी सहज रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वर्तमान अध्ययन की अवधि में कुछ ऐसे भी शिक्षण संस्थान देखे गये है जो पूर्णतः जैन धर्म के व्यावसायियों के लिए है अतः समाज शास्त्रीय व्याख्या के क्रम में यह माना जा सकता है कि सांस्कृतिक समग्रता का मूल्य स्वार्थवादी एवं परार्थवादी दोनों पक्षों का है तथा विचार धारा का क्रम इस प्रकार रेखीयक्रम किया जा सकताहै

मूल्यों की निधि पर आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रसंग में किए गये तुलनात्मक विवेचन के आधार पर निम्नलिखित स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किए जा सकते हैं—

1. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में पितृ सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था विद्यमान है।

2. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में वंशावली का आधार दैवीय प्रतिको में विद्यमान है।

3. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड के निवास करने वाले जैन समाज में अन्तरसमूही विवाह पद्धति पूर्व में विद्यमान थी लेकिन वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत अब इस व्यवस्था पर स्पष्ट अन्तर दृष्टि गोचर हुआ है।

4. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाजो में शैक्षिक स्तर में वृद्धि हो रही है।

5. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में विद्यमान सामाजिक गतिविधियों के क्रम मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों के अन्तर्गत परिवर्तित हो रहे हैं।

6. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में दिगम्बर और श्वेताम्बर वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं और इनमें दिगम्बर वर्ग अग्रणीय है।

7. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में धार्मिक पद्धति के आधार पर एक आचार संहिता पूर्व में निर्धारित की गयी थी, लेकिन इसका अक्षरशः अनुपालन वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है।

8. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में धार्मिक दृष्टि से उदारवादी दृष्टिकोण विद्यमान है।

9. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में विवाह पद्धति को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है।

10. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों का पूर्व निर्धारित स्वरूप सामान्य धारणा में विद्यमान है लेकिन इसके प्रसंग के मनोवैज्ञानिक कार्यों में परिवर्तन अवश्य हुआ है।

11. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज द्वारा स्वेच्छित शिक्षण संस्थाओं का नियन्त्रणकिया जा रहा है और इस पक्ष में उल्लेखनीय है कि पूर्णतः जैन व्यक्तियों के लिए तथा मिश्रित प्रकार के प्रतिनिधियों के लिए इन शिक्षण संस्थाओं में उचित प्रावधान है ।

12. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज द्वारा आवश्यकतानुसार अनेक प्रकार के धार्मिक मेलों का आयोजन किया जाता है ।

13. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाला जैन समाज पूर्णतः शाकाहारी प्रवृत्ति का है ।

14. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में महिलाओं के सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में उल्लेख किया जा सकता है कि पर्दा प्रथा का आंशिक प्रचलन वर्तमान समय में भी है और सामाजिक सह- अस्तित्व के प्रसंग में महिलाओं की स्थिति को विकसित करने का प्रयास इस देश में किया जा रहा है ।

15. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्डमें निवास करने वाले जैन समाज के मिश्रित प्रकार की आर्थिक संरचनायें हैं जिनमें कृषि, व्यवसाय, रोजगार आदि के विकल्प व्यक्त किये जा सकते हैं ।

16. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में आर्थिक संचय का उपक्रम अत्याधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मिश्रित प्रकार के आर्थिक संचय के प्रयासों को वर्तमान क्रम में देखा गया है ।

17. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड मे निवास करने वाले जैन समाज में यह विशेषता है कि वह समाज धार्मिक कार्यों के प्रसंग में व्यय किये जाने वाले धन को उचित मानते हैं ।

18. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में भौतिक सुविधाओं की वृद्धि करने में एक स्पष्ट प्रतिस्पर्धा है ।

19. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज द्वारा इस देश में अनेक प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करने के व्यग्रता है ।

20. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में जैन व्यक्तियों द्वारा संचालित कोई भी राजनैतिक दल नहीं है और यह सर्वाधिक प्रतिशत में भारतीय जनतापार्टी के सदस्य हैं ।

21. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में इस अभिप्राय की अधिकता है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास पूर्ण प्रभावशाली राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा अर्जित किया जा सकता है ।

22. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में सामाजिक असुरक्षा की भावना विद्यमान है क्योंकि यह जैन समाज के कीचड़ों के समीपस्त हैं

23. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में धर्मनिरपेक्षता के पद्धति विद्यमान है और इस समाज के सदस्य अन्य धर्मों के व्यक्तियों के सह-अस्तित्व के प्रसंग में हैं।

24. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में प्रचलित मूल्यों की अवधारणा इस प्रकार की स्थिति में है जिसे प्रचलन के क्रम में व्यवहारिक, सामंजस्य के आधार पर संचालित किया जा रहा है। एवं

25. मध्य प्रदेश प्रान्त के जनपद भिण्ड में निवास करने वाले जैन समाज में समाजार्थिक एवं समाजसांस्कृतिक मूल्यों का समग्र आधुनिक सामाजिक शक्तियों से प्रभावित है।

उपलब्ध निष्कर्षों के क्रम में यह संस्तुति की जा सकती है कि प्रस्तुत अध्ययन की पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार के विषाविद आगामी अध्ययनों को आधारित कर सकते हैं। मूल मान्यताओं की परिधि में जो सामाजिक व्यतिक्रम में आधुनिक सामाजिक शक्तियों के सर्वाधिक प्रभाव में है एवं इसके आधार पर बीजारोपित परिकल्पना के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पुष्टि होती है। वर्तमान शोध प्रबन्ध के प्रस्तुत चरण में उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्येक प्रक्रिया के निरन्तरता सामाजिक अनिवार्यता है लेकिन यह भी विदित है कि अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति शत प्रतिशत अर्थ में अर्जित नहीं हो सकती है। और इस अभिप्राय का अपवाद उल्लेखनीय है क्योंकि सामयिक संतुलन की दृष्टि से अन्य प्रकार की बाधायें भी हैं। अतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध कौशलपूर्ण उपलब्धता का विवेचन उन्हीं परिस्थितियों में संभव होगा जबकि इसका वांछित अवलोकन सम्बन्धित समाज वैज्ञानिकों द्वारा किया जाय।

——— XXXXX ———

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

B I B L I O G R A P H Y

Agrawal, P.C. 1968, Human Geography of Bastar district Garga Brothers, Allahabad.

Alexander, J.M. 1982. A Comparative evaluation of the Canadian Society- with some policy implications. Guru Nanak Journal of Sociology. Vol. 3. No. 2 (Oct). pp.58-124.

Atal, Y. 1968 a. The Changing Frontiers of caste, National Publishing House, New Delhi.

Atal, Y. 1968. The Role of Elite in Economic Development. Seminar on Sociology of Economic Development, Department of Anthropology and Sociology, University of Saugar, Sagar.

Bailey, F.G. 1957. Caste & the Economic Frontier, Manchester University Press, Manchester.

Bailey, F. 1960a. Tribe, Caste and Nation; A Study of Political Activity and Political change in Highland Orissa, Manchester University Press, Manchester.

Barnow, V. 1954. The Changing Character of Hindu Festival. American Anthropologist, 56, 74-86.

Bernard, L.L. 1934. Fields and Methods of Sociology. pp.273-274. Farrar, Straus & Giroux.

Beers, H.W. 1962. Relationships among workers in C.D. Blocks, National Institute of Community Development, Mussoorie.

Beteille, A. 1969b. Caste & Politics in Tamil Nadu. In A.Beteille Castes: old and New, Asia Publishing House, Bombay.

Beteille, A 1964-65. Note on Pongal Festival in Tanjore Village. Man, May- June, 65.

Bose, N.K. 1961. A Study in Indian Unity and Diversity, Anthropological Survey of India, Calcutta.

Buchanan, F.H.1925. Journal of Francis Buchanan Kent during the Survey of Patna and Gaya in 1811-12.(Edited by V.H. Jackson), Patna.

Chattopadhyay, K.P. 1935. Dharma Worship in Bengal: Journal of Asiatic Society of Bengal, Letters, 1(3).

Coleson, E.1968. Political Anthropology: The Field: International Encyclopaedia of the Social Sciences, 12, 189-93.

Das, T.C. 1927. Sun Worship Amongst the Aboriginal Tribes of Eastern India. Journal Department of Letters, Calcutta University, 2.

Dube, D.C., Sutton, W.A. Village Level Workers, National Institute of Community Development, Mussoorie.

Dube, L. 1965. Studies on Leadership in Village India", In emerging Patterns of Rural Leadership in Southern Asia, National Institute of Community Development, Hyderabad.

Dube, S.C. 1964b. Tradition, Social Structure and Agricultural Development. Kurukshetra. 13(1), 14-19.

Dube, S.C. 1974. Sociology of Economic Development In "A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology". Vol. II pp.1-29.

Dubois, Abbe J.A. and Bencham P, H.K. 1928. Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Clarendon Press, Oxford.

Dutta, R. 1968. Values and Economic Development" Economic and Political Weekly, 3(1&2), 109-116 (Annual Number).

Dumont, L. & Pocock, D.F. 1957. Village Studies, Contribution to Indian Sociology, No. 1, 23-41.

Dumont, L. 1970. Religion Politics and History in India, Mouton & Co., The Hague.

Elmore, W.T. 1915. Dravidian Gods in Modern Hinduism: A Study of Village Deities of South India, University of Nebraska, Lincoln.

Epstein, T.S. 1962. Economic Development and Social Change, Manchester University, Manchester.

Fiirer-Haimendorf, C. Von. 1962. Caste & Politics in South Asia. In C.H.Philips (ed.) Politics and Society in India, Frederick A.Praeger, New York.

Gardner, P.M. 1968. Dominance in India. A Re-Appraisal, Contributions to Indian Sociology, New Series, No. 2, December, 82-97.

Ghurye, G.S. 1953. Indian Sadhus. Popular Book Depot, Bombay.

Gupta, A.1967. Research in Politics Borrowed concept Do Not Fit, Economic and Political Weekly, 2(17), 803-806.

Gupta, K.P. 1971. A Theoretical Approach to Hinduism and Modernisation of India. Journal of Sociology 2(1),59-91.

Gough, E.K.1959. Cults of the Dead Among the Nayars. In Milton Singer(ed.) Traditional India; Structure and change, 140-272.

Gusfield, J.R. 1957. 'The Sociology of Politics', In Joseph B.Gittler (ed.) Review of Sociology: Analysis of a Decade, John Wiley & Sons, Inc. New York, 520-30.

Heberle, R.1951. Social Movements: An Introduction to Political Sociology, Century Crafts, Appletion.

Harper, E.B.1957a. Shamanism in South India. SouthWestern Journal of Anthropology, 13, 267-287.

Harper, E.B.1957b. Hoylu: A belief relating Justice and Supernatural; American Anthropologist, 59,801-816.

Harper, E.B.1959. A Hindu Village Pantheon. SouthWestern Journal of Anthropology 15, 227-234.

Harper, E.B. 1963. Spirit Possession and Social Structure in Bala Ratnam (ed.) Anthropology on the March, The Book Centre, Madras, 165-197.

Harper, E.B. 1964a. Ritual Pollution as an Integrator of caste and Religion. The Journal of Asian Studies, 2, 151-197.

Hutton, J.H. 1961. Caste in India: Its Nature, Function and Origin. IInd Edition. Oxford University Press, Bombay.

Josi, O.P.1982. Bhind Janpad Ki Krishi Bhumi Upyog Aur Pritiroop Nuton Parivarthano Ka Sthanik Vishleshan.p.67.

Kapadia, K.M. 1946. Hindu Kinship. Popular Book Depot, Bombay.

Kapp,W.K. 1963. Hindu Culture, Economic Development and Economic Planning in India, Asia Publishing House, Bombay.

Karve, I. 1961. Hindu Society. An Interpretation, Sangam Prakashan, Poona.

Kothari, R.&Maru,R.1970. Federating for Political Interests,' In Ranji Kothari(ed.) Caste in Indian Politics, Orient Longmen, Delhi.

Lewis, O. 1955. Group Dynamics in a North Indian Village, Planning Commission, Delhi.

Looms, C.P. and Looms, Z.K.1969. Socio-Economic change, Affiliated East-West Press, New Delhi.

Hutton, J.H. 1961. Caste in India: Its Nature, Function and Origin. IIInd Edition. Oxford University Press, Bombay.

Josi, O.P.1982. Bhind Janpad Ki Krishi Bhumi Upyog Aur Pritiroop Nuton Parivarthano Ka Sthanik Vishlashan.p.67.

Kapadia, K.M. 1946. Hindu Kinship. Popular Book Depot, Bombay.

Kapp,W.K. 1963. Hindu Culture, Economic Development and Economic Planning in India, Asia Publishing House, Bombay.

Karve, I. 1961. Hindu Society. An Interpretation, Sangam Prakashan, Poona.

Kothari, R.&Maru,R.1970. Federating for Political Interests,' In Ranji Kothari(ed.) Caste in Indian Politics, Orient Longman, Delhi.

Lewis, O. 1955. Group Dynamics in a North Indian Village, Planning Commission, Delhi.

Looms, C.P. and Looms, Z.K.1969. Socio-Economic change, Affiliated East-West Press, New Delhi.

Lipset, S. 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.'

Madan, T.N. 1968. The Hindu Family and Economic Development: Notes for Discussion Seminar on Sociology of Economic Development, Deptt. of Anthropology and Sociology, University of Saugar, Sagar.

Mathur, K.S.1964. Caste and Ritual in a Malwa Village, Asia Publishing House, Bombay.

Mandelbaum, D.G.1970. Society in India: Change and Continuity, 2 Vols. University of California Press, Berkeley.

Marriott, M. 1955. Little Communities in an Indigenous Civilisation, in M.Marriott (ed.), Village India, University ofChicago Press, Chicago, 171-222.

Marriott, M. and Cohn, B.S.1958. Networks and centre in the Integration of Indian Civilisation. Journal of Social Research, 1, 1-9.

Mayer, A.C. 1967b. Caste and Local Politics in India, In Philip Mason (ed.), India and Ceylon: Unity and Diversity, Oxford University Press, New York.

Merton, R.K. 1949. Social Theory and Social Structure: Towards Codification of Theory and research. Columbia University Press, pp. 55-59.

Mishra, V.1962. Hinduism & Economic Growth. Oxford University Press, Bombay.

Moddie, A.D. 1968. The Brahmanical Culture and Modernity, Asia Publishing House, Bombay.

Morris, M.D. 1967 Values as an obstacle to Economic Growth in South Asia: A Historical Survey, Journal of Economic History, University of Washington, U.S.A. 37(4), 558-607.

Naidu, G.P. 1920. The Legislative Council Elections: A Critical Study of Party Programmes, Saraswati Pioneer Press, Rajahmundry.

Niwell, W.H. 1957. A Gaddi House in Goshen Village, Chamba State, North India; Man, 57(20).

Nicholas, R. 1967. Ritual Hierarchy and Social Relations in Rural Bengal. Contribution to Indian Sociology. (New Series), 1, 56, 83.

Oomen, T.K.1970a. The Concept of Dominant Caste: Some Queries; Contribution to to Indian Sociology, New Series No. 4, December, 73-83.

Pandeya, A.N. 1970. Role of Religion, Seminar, April, 128, 34-37.

Park, R.L.& Tinker, H19??(Eds) Leadership and Political Institutions in India, Oxford University Press, Maddras.

Parsons, T. 1964. The Social System. Free Press, New York.

Patro, A.P. 1932. The Justice Movement in India, Asiatic- Review, January, 27-49.

Piggott, S, 1944. Nomad House Sites in the Western Himalayas; Man, 44(121).

Radha Krishanan, S.1967. Religion and Society. Rajpal & Sons, Delhi, pp. 125.

Raghvan, K. 1917. Home, Rule and Caste, Spectator Press, Calicut.

Rajah, M.C. 1925. The Oppressed Hindus, Huntley Press, Madras.

Rao, M.S.A. 1968. Occupational Diversification and Joint House hold Organisation. Contribution to Indian Sociology, 2, 98-11.(New Series).

Risley. H.H. 1915. The People of India, IInd Edition, W.Thacker & Co. London.

Redfield, R. and Singer, M.1954. The cultural Role of Cities Economic Development and Social Change, 3(1),53-73.

Rudolph; L.I.&Rudolph, Indian Political Studies and the Scope of comparative Politics : Review Article,' Far Eastern Survey September, 134-42.

Roy, S.C. 1928, Oraon Religion and custom Ranchi.

Roucek, J.S. 1957 Political Sociology and Public Administration in the U.S.A., IL, Politico, 22, 519-33.

Sahay, K.N.1967. Christianity as a Source of Economic Development among the Uraon Converts of Chainpur. Indian Journal of Social Work, 28(2), 185-194.

Sangave, V.A.1959. Jain Community: A Social Survey, Popular Book Depot, Bombay.

Saran, A.K.1968. Hinduism and Economic Development in India, Archives de Sociologie des Religions, 8-15.

Singh, S.J. 1933. Habitations of the Maitais, Main In India, 13.

Singh, R.L. 1955. Evolution of Settlement in the middle Ganga Valley: National Geographical Journal of India, 1 (Pt. II).

Singh, A.K. 1967. Hindu Culture and Economic Development in India. Consectus, 3(1), 9-32.

Singh, S.K. 1968. Hinduism and Economic Growth in India. The Tara Printing Works, Varanasi.

Singer, M.B. 1955 The Cultural Pattern of Indian Civilization. Far Eastern Quarterly 1 15(1), 2 25-36.

Singer, M. 1956. Cultural Values in Indians Economic Development, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 305, 81-91.

Singer, M.B.1958. The Great Tradition in a Metropolitan Center, Madras. Journal of American Folklore, 71, 347-388.

Singer, M.B.1964. The Social Organisation of Indian Civilisation. Diogenes, 45, 84-119.

Singer, M.B.1972. When a Great Tradition Modernizes: An Anthropological Approach to Indian Civilization Prager Publishers New York.

Sorikin, P.A. 1957. Social and Cultural Dynamics, One Volume Edition, Poster Sargent, Boston.

Srinivas, M.N. 1952. Religion and Society Among the Coorgs of South India. Oxford University Press, Oxford.

Srinivas, M.N. 1954. A Caste Dispute Among Washermen of Mysore, Eastern Anthropologist, 7(3 & 4).

Stevenson, H.N.L. 1954. Status Evaluation in the Hindu Caste System. Journal of the Royal Anthropological Institute, 84, 45-65.

Tilman, R.O. 1963. The Influence of a Caste on Indian Economic Development. In R. Braibanti and J.Spengler (Eds.) Administration and Economic Development in India Duke University Press, Durham, N.C. and Cambridge University, Press, London.

Vidyarthi, L.P. 1961. The Sacred Complex in Hindu Gaya. Asia Publishing House, Bombay.

Vidyarthi, L.P. 1967. Leadership in India. Asia Publishing House, Bombay.

Walton, J. 1959b Folk Building in Tehri Garhwal: Man, 59 (282).

Weber, Max. 1920-21. The Religion of India: The The Sociology of Hinduism and Buddhism, (Translated and Edited by Hanse H.Gerth and Martindale), The Free Press, Glencoe (1958).

Whitehead, H.1921. The Village Gods of South India, Culcutta.

Young, P.V. 1956. Scientific Social Surveys and Research (3rd Ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.

****

*****
***
*

परिशिष्ट (साक्षात्कार अनुसूची का प्रारूप)

परिशिष्ट

साक्षात्कार अनुसूची का प्रारूप

साक्षात्कार - अनुसूची

" जैन धर्म की कुछ मान्यतायें एवं सामाजिक आर्थिक विकास :- जैन धर्मावलम्बियों पर आधारित अध्ययन "

(जनपद भिण्ड के जैनों के विशेष प्रसंग में)

शोधार्थी : कैलाश चन्द्र जैन
प्रवक्ता, समाज शास्त्र
जैन डिग्री कालेज
भिण्ड (म0प्र0)

दिनांक ....

अ. **सामान्य सूचनायें :**

1. उत्तरदाता का नाम : ----------------
2. पत्र व्यवहार का पता : ----------------
   : ----------------
   : ----------------
3. उत्तरदाता की जन्मतिथि : ----------------
4. पिता/पति का नाम : ----------------
5. भौगोलिक क्षेत्र : -------- शहरी/ ग्रामीण - --
6. वैवाहिक स्तर : -------- अविवाहित/विवाहित/ विधवा/विधुर/तलाकशुदा
7. जाति : ----------------
8. गोत्र : ----------------
9. शैक्षणिक योग्यता : ------ अशिक्षित/प्राथमिक/जूनियर - हाईस्कूल/हाईस्कूल/इण्टरमी-डियट/स्नातक/स्नातकोत्तर/ इंजीनियरिंग/चिकित्सा/अन्य प्रशिक्षणादि का विवरण

10. पारिवारिक सत्ता : ———— पितृसत्तात्मक/मातृसत्तात्मक

11. उत्तरदाता का व्यवसाय : ———— नौकरी/व्यवसाय/सेवानिवृत्त/कुछ नहीं करते/अन्य कोई विवरण आदि

ग. सामाजिक घटनाक्रम :

12. उत्तरदाता के पारिवारिक सदस्यों की संख्या : ———— दो सदस्य/दो से पाँच सदस्य/पाँच से दस सदस्य/दस से अधिक सदस्य

13. उत्तरदाता के परिवार का स्वरूप : ———— संयुक्त/केन्द्रीय/विस्तृत

14. उत्तरदाता के परिवार का प्रमुख : ———— पिता/माता/पति/दादा/दादी/अन्य कोई तो उल्लेख कीजिये ।

15. उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों का विवरण : ———— आश्रित/आत्मनिर्भर

16. उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों का सामान्य सामाजिक विवरण :————

विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	आयु	शिक्षा	व्यवसाय	मासिक आय	उत्तरदाता से सम्बन्ध
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

17. उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों का वैवाहिक विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	अविवाहित	विवाहित	विधवा	विधुर	तलाकशुदा
1.						
2.						
3.						
4.क.						
5						

18. आपके पारिवारिक सदस्यों के सम्बन्ध : ———— सामान्य/असामान्य/कुछ नहीं कह सकते।

19. भोजन पद्धति का स्वरूप किस प्रकार का है : ———— शाकाहारी/मांसाहारी/मिश्रित।

20. पारिवारिक सदस्यों की अभिरुचियाँ : ———— शिक्षा/व्यवसाय/धार्मिक/सामाजिक/मिश्रित/ अन्य कोई है तो उल्लेख कीजिए।

21. परिवार में आवासीय सुविधा का विवरण :———— निजी मकान/किराये का मकान।

22. आवासीय परिसर में सुविधाओं का विवरण : ———— कच्चा आवास/पक्का आवास/

23. पारिवारिक सदस्यों की वस्त्र सम्बन्धी अभिरुचि का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	वस्त्र का विवरण			मिश्रित	अन्य कोई
		सूती	रेशम	टेरीकाट		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

24. आपके परिवार में किस प्रकार : ———————— एक विवाह/बहुपत्निप्रथा/बहुपति प्रथा ।
की विवाह पद्धति का प्रचलन

25. आपके परिवार में क्या दहेज : - - - - - - - हाँ/ नहीं /कुछनहीं कहसकते
प्रथा विद्यमान है

26. आपके परिवार में विवाह का : - - - - - - ——गोत्र के अन्तर्गत/गोत्र से अन्यत्र/
निर्धारण किस प्रकार कियाजाताहै मिश्रित प्रक्रिया

27. आपके परिवार में गोत्रकाप्रचलन : - - - - - - - - देवी देवताओं के नाम पर आधारित है/वनस्पतिअथवा प्राकृतिकसंरचना पर आधारित है /अन्य कोई प्रचलन हो तो उल्लेख कीजिये ।

28. आपके परिवार में पर्दा प्रथा : - - - - - - - - - —— —— हाँ / नहीं
विद्यमान है

29. विवाह के समय किये जानेवाले विभिन्न: - - - - - - - - - - - —— सहमत/असहमत
संस्कारों एवं मंत्रों के सम्बन्ध में मत

30. आपके मत में : - - - —— - - - - - -

[1] विवाह एक सामाजिक बंधन है - - - - - - - - - —— - - - हाँ/नहीं

[2] विवाह एक धार्मिक संस्कार है —— - - - - - - - —— - - - - हाँ/नहीं

[3] व्यवहारिक जीवन में विवाह से कोई कठिनाई नहीं है - —— —— - - - - - - - - - - हाँ/नहीं

[4] परिवार नियोजन के प्रसंग में अभिरुचि —— - - - - - - —— - - - - - हाँ/नहीं यदि हाँ तो माध्यमों का उल्लेखकीजिये ।

[5] वंश चलाने के लिये एक पुत्र आवश्यक है —— - - - - - - - —— - - - - हाँ/नहीं

[6] अन्य पत्नी विवाह केप्रसंग मे मत ———— - - - - - - - - —सहमत/असहमत

[7] विवाह के समय अनेक आडम्बरो के प्रसंग में - - - - - - - - - - —— हाँ/नहीं

31. आपके परिवार में भाषा का प्रचलन : - - - - - - - - - ——हिन्दी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय/मिश्रित/अन्य कोई हो तो उल्लेखकीजिये

स. आर्थिक घटनाक्रम

32. परिवार की आय के साधन : ———— नौकरी/व्यवसाय/खेती/मिश्रित/अन्य कोई हो तो उल्लेखकीजिए

33. परिवार की कुल मासिक आय : ———— 1. 500/= से कम
2. 500/=से 1000/= तक
3. 1000/=से 1500 /= तक
4. 1500/= से 5000/= तक
5. 5000/=से अधिक

34. परिवार में धन संचय का माध्यम:———— बैंक/पोस्टआफिस/बीमा/अचल सम्पदा के रूप में/घर में/अन्य कोईहोतो उल्लेख कीजिए

35. आपके परिवार में विद्यमान वस्तुओं का उल्लेख कीजिए ———— टी. वी. /फ्रिज/कूलर/स्कूटर/टेलीफोन/ कार/ गैस/अन्य

36. पारिवारिक आय के प्रसंग में संचयित मनोवृत्तिका विवरण ———— नीति के आधार पर/अनीति के आधार पर/विशिष्टयुक्ति द्वारा/अन्य कोई आधार होतोउल्लेख कीजिए ।

37. आपके परिवार के सदस्य व्यवसाय के लिए कहाँ-कहाँ सेवारत हैं । ———— म0प्र0/भारत वर्ष में/विदेशोंमें

38. आपके मत में परिवार की आय व्यय की जा सकती है ————
(1) धार्मिक कार्यों में ———— हाँ/नहीं
(2) मनोरंजन ———— हाँ/नहीं
(3) दान करने में ———— हाँ/ नहीं
(4) चिकित्सा पर ———— हाँ/ नहीं
(5) भोगविलासकीवस्तुओंपर ———— हाँ/ नहीं

39. परिवार में आर्थिक वितरण से सदस्य सन्तुष्ट हैं । : ———— हाँ/ नहीं/कुछनहीं कह सकते हैं

40. आय का स्वरूप किस प्रकारकाहै : ———— संयुक्त/व्यक्तिगत

ड. धार्मिक घटनाक्रम

41. जैन धर्म महत्वपूर्ण है : ——— - - - - - - - - ——— हाँ/ नहीं

42. जैन धर्म के क्रियाकलाप उचित हैं : - - - - —— —— - - - - - - - — हाँ/ नहीं

43. ईश्वर की आराधना के लिये : - - - - ——— - - ——— - भजन-कीर्तन/कथा/यज्ञ/वस्त्र चढ़ाना/माला जपना/अन्य
कौन-कौन से तरीके प्रयुक्त किये जाते हैं ।

44. धर्म के माध्यम से उद्धार हो सकता है: ——— - - - - ——— — सहमत/असहमत

45. जैन धार्मिक क्रियाओं का पालन करते हैं : —— - ——— - - ——— हाँ/ नहीं

46. धर्म में आडम्बर आवश्यक है : - - - - —— - ——————— -हाँ/नहीं

47. धर्म एवं विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं : - —— - - - - - - - - हाँ/ नहीं

48. शुभ कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व : - - - - - - ——— - - ——— हाँ/ नहीं
मुहूर्त दिखाना आवश्यक है ।

49. दूसरे धर्म के व्यक्तियों से सामान्यः —— - - - - ——— - - - — हाँ/नहीं/सामंजस्य की कोई आवश्यकता नहीं है ।
सामंजस्य स्थापित है ।

50. आपकी सामान्य धार्मिक प्रवृत्ति : —— - - - - ——— - -कट्टरपंथी/ उदार

51. धार्मिक गतिविधियों का संचालन : - - - - - - - - ——— -
किस प्रकार होता है — - - -

- (1) पिता द्वारा - - - - - - - - हाँ/ नहीं
- (2) माता द्वारा — - - - - - - - हाँ/ नहीं
- (3) स्वयं द्वारा - - - - - - - - हाँ/ नहीं
- (4) दादा दादी द्वारा — - - ——— — हाँ/ नहीं
- (5) पुजारी द्वारा - - - - - - - - हाँ/ नहीं

52. प्राकृतिक आपदायें धर्म के माध्यम : - - - ——— ——— - - हाँ/ नहीं
से निराकरित की जा सकती हैं ।

घ. सांस्कृतिक घटनाक्रम :

53. सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि :------------------ हाँ/ नहीं

54. सांस्कृतिक गतिविधियों से : --------

(1) सामाजिक स्तर बढ़ता है ------------ हाँ/नहीं

(2) मनोरंजन का साधन है ------------ हाँ/नहीं

(3) बौद्धिक स्तर बढ़ता है ------------ हाँ/नहीं

(4) वैमनस्य कम होता है ------------ हाँ/नहीं

55. वर्ष भर की सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख कीजिए —

क्र.सं.	माह	सांस्कृतिक गतिविधि का नाम
1.	जनवरी	
2.	फरवरी	
3.	मार्च	
4.	अप्रैल	
5.	मई	
6.	जून	
7.	जुलाई	
8.	अगस्त	
9.	सितम्बर	
10.	अक्टूबर	
11.	नवम्बर	
12.	दिसम्बर	

56. आपके परिवार के सदस्यों का सांस्कृतिक गतिविधियों में योगदान : ------------------ सामान्य/अधिकतम/न्यून/ नगण्य

57. सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी उचित है । :-------------- सहमत/ असहमत

58. धार्मिक गतिविधियाँ सांस्कृतिक माध्यम से यदि संचालित की जाये तो धर्म का प्रसार अधिक हो सकता है । :-------------- सहमत/असहमत

59. अन्य धर्मों के सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेते हैं । :-------------- सहमत/असहमत/ कुछ नहीं कह सकते

60. जैन धर्म की सांस्कृतिक गतिविधियाँ मानव कल्याण के लिए उपयोगी है । : -------------- सहमत/असहमत/यदि अन्य कोई मत है तो उसका उल्लेख करें ।

61. सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में अधिक राशि का व्यय उचित है । : -------------- सहमत/असहमत

62. पश्चिमीकरण/औद्योगीकरण /परसंस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया से जैन धर्म के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । : -------------- सहमत/असहमत

63. जैन संस्कृति के अनुरूप जीवन यापन करते हैं : -------------- हाँ/ नहीं

64. जैन संस्कृति में त्याग की भावना की प्रधानता है लेकिन इस प्रसंग में परिवर्तन आया है । : -------------- सहमत/असहमत

65. पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार होता है : -------------- सहमत/असहमत

र. राजनैतिक घटनाक्रम :
====================

66. राजनैतिक दलों की सदस्यता उचित है :-------------- हाँ/ नहीं

67. आप किस राजनैतिक दल के सदस्य हैं : --------------

68. मतदान करते समय आपके मत का आधार ---

(1) व्यवसायिक ---------- हाँ/नहीं

(2) धर्म के आधार पर ---------- हाँ/नहीं

(3) जाति के आधार पर ---------- हाँ/नहीं

(4) योग्यता के आधार पर ---------- हाँ/नहीं

(5) किसी के कहने से ---------- हाँ/नहीं

(6) अन्य कोई आधार हो तो ----------
उल्लेख कीजिए ।

69. क्या आप वर्तमान समय में देश की :- ---------- हाँ/नहीं

राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं ।

70. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं ---------- हाँ/ नहीं

का निराकरण राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा

सम्भव नहीं है ।

71. राजनीतिक जागरूकता के लिये आप : ---------- समाचार पत्र/टी.वी./गोष्ठियाँ/मनोरंजन साधन

क्या साधन प्रयोग करते हैं ।

72. देश हित में

(1) द्विदलीय प्रणाली उचित है ---------- हाँ/नहीं
(2) बहुदलीय उचित है ---------- हाँ/नहीं
(3) त्रिदलीय व्यवस्था उचित है ---------- हाँ/नहीं
(4) राष्ट्रपति शासन उचित है ---------- हाँ/नहीं
(5) केवल एक व्यक्ति का शासन ---------- हाँ/नहीं
होना चाहिए ।
(6) आगामी समय समाज के लिए ---------- हाँ/नहीं
अच्छा होगा ।

73. राजनीतिक क्रियाकलापों में महिलाओं : ---------- हाँ/नहीं
की भागीदारी उचित है ।

74. राजनीतिक गतिविधियों में संलग्नता : ---------- हाँ/नहीं/कुछ नहीं कह सकते
व्यक्ति व्यवसायिक शोषण करते हैं ।

75. अन्य उपयोगी सूचनायें जो आप देना चाहें :- ----------
जो मत मान्यताओं के प्रसंग में उपयोगी समझते
हैं उनका विवरण दीजिए ।

x---------- धन्यवाद ----------x